



नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट (एनसीसीएफ)

वन प्रमाणन और संरक्षण नेटवर्क (एनसीसीएफ)

वन प्रबंधन प्रमाणन मानक

---

एनसीसीएफ - मानक - वन प्रबं. - 01/2017

---

नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट (एनसीसीएफ)

पंजीकृत कार्यालय : ईपीसीएफ हाउस, पॉकेट 6 एवं 7, सेक्टर सी, एलएससी, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070, भारत | फैक्स : +91-11-26135518 & 19

प्रशासनिक कार्यालय : 505, 5वां तल, मैट्रिक्स टॉवर, बी 4, सेक्टर 132,

नोएडा 201304, भारत | दूरभाष : 0120 - 6758614/11

ई-मेल : [info@nccf.in](mailto:info@nccf.in) | वेबसाइट : [www.nccf.in](http://www.nccf.in)

प्रतिलिप्याधिकार सूचना

© नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। यह दस्तावेज़ नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स वेबसाइट पर या अनुरोध पर उपलब्ध है।

इस दस्तावेज़ या इसके किसी भी हिस्से को नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स की अनुमति के बिना किसी भी तरीके से परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता है, ना ही इसकी प्रतिकृति या प्रतिलिपि बनाई जा सकती है।

इस दस्तावेज़ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। केवल नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट इस दस्तावेज़ का अनुवाद प्रदान कर सकता है।

**दस्तावेज़ का नाम :** एनसीसीएफ राष्ट्रीय वन प्रबंधन प्रमाणन मानक

**दस्तावेज़ का शीर्ष :** एनसीसीएफ-मानक-वन.प्रबं.-01/2017

**अनुमोदनकर्ता :** शासी निकाय एनसीसीएफ

**अनुमोदन की तिथि :** 12 दिसंबर 2018

## प्राक्कथन

द नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट (एनसीसीएफ) सोसायटी ज़रूरी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर - लाभकारी संगठन है और जिसे भारत में देश विशिष्ट वन प्रबंधन प्रमाणन विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

एनसीसीएफ के मानक विकास समूह (एसडीजी) द्वारा एक खुले, पारदर्शी, परामर्शी और सर्वसम्मति आधारित प्रक्रिया, जिसमें ई-मेल के माध्यम से किए गए कई हितधारक परामर्श, ऑनलाइन परामर्श, साक्षात्कार और क्षेत्र स्तरीय हितधारक परामर्श कार्यशालाएं भी शामिल हैं, के माध्यम से एनसीसीएफ वन प्रबंधन प्रमाणन मानक विकसित किया गया है। मानक विकास के उपरांत, 3 स्थानों पर, असम में नागांव वन प्रभाग, कर्नाटक में डानडेलि (हलियाल) वन प्रभाग और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद वन प्रभाग में इस मानक का व्यापक क्षेत्र स्तरीय प्रायोगिक परीक्षण किया गया। इस प्रायोगिक परीक्षण का उद्देश्य भारतीय स्थितियों में इस मानक की व्यावहारिकता/उपयुक्तता की सीमा का आकलन करना और साथ ही साथ क्षेत्र में अनुकूलता का परीक्षण करना था। यह दस्तावेज़ आंतरिक मसौदा तैयारी, समीक्षा, हितधारक परामर्श और प्रायोगिक परीक्षण की पूरे प्रक्रम की प्रक्रिया की परिणति है।

इस दस्तावेज़ में पेश एनसीसीएफ वन प्रबंधन प्रमाणन मानक, सरकारी स्वामित्व वाले वनों और साथ ही साथ निजी स्वामित्व वाले पेड़ आच्छादित क्षेत्रों/वनों के मुद्दों को हल करने के लिए वृहत स्तर पर तैयार किया गया है। यह दस्तावेज़ एनडब्ल्यूफपी, वन क्षेत्रों से बाहर पेड़ और बागानों, संरक्षित क्षेत्रों और आर्द्र भूमि इत्यादि के लिए विशिष्ट मानक विकसित करने हेतु इसे आधारभूत मानक रूप में उपयोग किए जाने की भी मंशा रखता है।

विषय, सिद्धांत, मानदंड और संकेतक/सूचक काफी व्यापक रखे गए हैं, ताकि जिम्मेदार वन प्रबंधन के सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया जा सके, वहीं यह गतिशील भी रहे, ताकि बदलती राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों में, और जब और ज्यों नयी सूचना, तकनीक या प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण बन जाए, इन मानकों में आगे संशोधन संभव हो सके। एनसीसीएफ भविष्य की बदलती अपेक्षाओं के आधार पर, पूर्ण रूप से और कुछ हिस्सों में इन मानकों की समीक्षा करने और संशोधित करने की स्वतंत्रता को प्रतिधारित रखता है। ये परिवर्तन तब किए जाएंगे जब भी ऐसा करना आवश्यक होगा, लेकिन पांच साल के कार्यकाल के दौरान कम से कम एक बार किया जाएगा।

## विषय सूची

प्राक्कथन	
प्रस्तावना	
दस्तावेज की रचना	
संकेताक्षरों की सूची	
कार्यक्षेत्र	
निर्देशात्मक संदर्भ	
विषय क : वैधता और भू-धृति	
सिद्धांत 1 : राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विनियमों की अनुपालना	
सिद्धांत 2 : भू-धृति, अधिकार और जिम्मेदारियां	
विषय ख : वन प्रबंधन योजना	
सिद्धांत 3 : एक प्रबंधन योजना / कार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन	
सिद्धांत 4 : प्रबंधन योजना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी, आकलन और समीक्षा	
विषय ग : वन प्रबंधन - प्रभाव और परिणाम	
सिद्धांत 5 : वन प्रबंधन गतिविधियां - सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव	
सिद्धांत 6 : वन और जलवायु परिवर्तन - जलवायु परिवर्तन उपशमन और अनुकूलन में वन प्रबंधन गतिविधियों का योगदान, वन कार्बन सूची में परिवर्तन इत्यादि।	
विषय ग : वन प्रबंधन - प्रभाव और परिणाम	
विषय घ : वन संसाधनों का संधारणीय और मितव्ययी उपयोग	
सिद्धांत 7 : वन संसाधनों की वस्तु सूची और संधारणीय कटाई व्यवस्था	
सिद्धांत 8 : वनों से लाभ	
विषय ङ : सामाजिक रूप से उत्तरदायी वन प्रबंधन - समाज एवं समुदाय के अधिकार और संबंध	
सिद्धांत 9 : समुदाय के अधिकार और संबंध - वन प्रबंधन प्रचालन स्थानीय	

समुदायों, वन वासियों और मूल निवासियों/आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान करता है और उनके दीर्घावधिक सामाजिक और आर्थिक हितलाभ का अनुरक्षण और वृद्धि करता है	
सिद्धांत 10 : श्रमिक अधिकार - सभी स्तरों पर स्थायी, अस्थायी और संविदा श्रमिक सहित	
विषय च : पारिस्थितिकीय अखंडता और वनों की सेहत - संरक्षण और प्रबंधन	
सिद्धांत 11 : पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन - संरक्षण, वर्द्धन और पुनर्वास	
सिद्धांत 12 : उच्च संरक्षण मूल्य वन (एचसीवीएफ) की पहचान, सुरक्षा और प्रबंधन / संरक्षण हेतु विशेष स्थल	
सिद्धांत 13 : वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं - मूर्त और अमूर्त दोनों पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं की पहचान, परिमाणीकरण और मूल्यांकन करना	
सिद्धांत 14 : जैव-विविधता संरक्षण - संरक्षण और अनुरक्षण के उपाय और प्रबंधन गतिविधियों से उत्पन्न या एफएमई के अंदर होने वाले जैव-विविधता मूल्यों में हानियों का पुनर्सुधार	
अनुलग्नक - शब्दावली और परिभाषाएं	
शब्दकोश	

## प्रस्तावना

भारतीय वन, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय सहित दुनिया के कुछ गिन चुने विशाल विविधता हॉट स्पॉट समाए हुए हैं, प्रजातियों, पारिस्थितिक प्रक्षेत्रों, वन प्रकारों और वन उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला की दृष्टि से विस्मयकारी विविधता के साथ विषमताओं (सूखे झाड़ - झंखाड़, सवाना के जंगल और मेंगोव से वर्षा वन और अल्पाइन पर्वतीय जंगलों तक) का एक संकलन है। भारत के वनों की विस्तृत श्रेणी पूरे दक्षिण एशिया के एक सूक्ष्म जगत, और इसके अंदर ही, पारिस्थितिक परिस्थितियों के रंगीन कैनवास और क्षेत्र की समृद्ध जैव - विविधता को परिलक्षित करती है।

भारतीय वनों का प्रबंधन और प्रशासन अन्य भू-भागों, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकी वन, जहाँ ज्यादातर वन संसाधन मुख्यतः सरकार स्वामित्व में हैं और सरकार द्वारा प्रबंधित हैं, सिवाय देश के कुछेक भागों में जहाँ समुदाय वनों में स्वायत्त परिषद के पास प्रबंधन अधिकार है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में, भारत ने, यह ध्यान में रखते हुए कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या भोजन, आश्रय और आजीविका हेतु वनों पर आश्रित है, वनों के संरक्षण और इसकी सुरक्षा में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं। आदिवासियों और पारंपरिक वन वासियों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए कानून का अधिनियमन कर इसे और मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकार के विविध वन संसाधन आधार और भोजन, आश्रय और साथ ही साथ वैकल्पिक भूमि उपयोगों की प्रतिस्पर्धी मांग को देखते हुए उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे दृष्टिकोण को तथापि, वर्तमान में वनों पर आजीविका के लिए आश्रित रहने वाली एक विशाल आबादी की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने की सामाजिक जरूरत के साथ संरक्षण को संतुलित करना होगा। इसके अतिरिक्त, खाद्य उत्पादन, अवसंरचना, इत्यादि के लिए वनों पर अन्य भूमि उपयोगों के दबाव के अलावा, उद्योग की हमेशा से और बढ़ती हुई संसाधन और भूमि मांग रही है। वनों और उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग उनके उचित प्रबंधन पर निर्भर करेगा और वन प्रमाणीकरण का साधन इन प्रबंधन प्रथाओं के लिए प्रवर्तक और निगरानी के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वन संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता बनी रह सकती है।

वनों के सतत और जिम्मेदार प्रबंधन को मोटे तौर पर वनों, वन संसाधनों और संबंध भूमि के इस तरह से उपयोग और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वर्तमान और

भावी पीढ़ी की सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा कर सके, और साथ - साथ प्रासंगिक सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रकार्यों को पूरा करने के लिए उनकी जैव विविधता, उत्पादकता, पुनरुद्भव क्षमता, जीवनक्षमता और क्षमता को बनाए रखे।

यह इस संदर्भ में है कि वन प्रमाणन एक स्वैच्छिक बाजार आधारित गैर-नियामक संरक्षण तंत्र के रूप में विकसित हुआ है जिसे जिम्मेदार वन प्रबंधन को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमाणन के माध्यम से, स्वतंत्र अन्य पक्ष के मूल्यांकनकर्ता कटाई की प्रथाओं सहित वन प्रबंधन का मूल्यांकन करते हैं, जो उन मानकों पर आधारित होते हैं जो इसकी संधारणीयता, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को संबोधित करते हैं।

वर्तमान में, विश्व स्तर पर विभिन्न वन प्रबंधन प्रमाणन योजनाएं मौजूद हैं, जो जिम्मेदार वन प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने में अलग-अलग स्तर की सफलता के साथ काम कर रही हैं। हालांकि, जब भारत में अंगीकरण के लिए विभिन्न वन प्रबंधन प्रमाणन योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था, तो नीति निर्माताओं और हितधारकों को यह अहसास हुआ था कि भारत को एक स्वतंत्र वन प्रबंधन प्रमाणन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो प्रमाणीकरण उद्देश्यों और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग की कठोरता पर खरा उतरते हुए भारत में वनों के प्रबंधन को प्रभावित करने वाली अजीबोगरीब स्थितियों और बाधाओं से सुपरिचित हो। इन अनूठेपन को ध्यान में रखते हुए, एनसीसीएफ वन प्रबंधन प्रमाणन मानक को प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और वन और बाग प्रबंधन प्रथाओं में सुधार का एक साधन बनाने के लिए विकसित किया गया है, साथ ही साथ ये एक विश्वसनीय प्रमाणन नेटवर्क के माध्यम से काष्ठ आधारित उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ कर वन और बागान मालिकों, किसानों, शिल्पकारों, विकेन्द्रीकृत मूल्य संवर्धन / विनिर्माण इकाइयों और व्यापारिक इकाइयों को लाभान्वित करने के लिए वन प्रबंधन (एफएम) और अभिरक्षा श्रृंखला (सीओसी) प्रमाणन के लिए आधार गठित करते हैं।

एनसीसीएफ का लक्ष्य देश में बेहतर और संधारणीय वानिकी प्रथाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय नीतियों, संस्थागत ढांचे और संधारणीय उपयोग मानदंडों के अनुसार आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण के लिए जिम्मेदार और सामाजिक रूप से लाभप्रद हो। ये मानक सिद्धांतों, मानदंडों और संकेतकों/सूचकों के विकास की परिकल्पना करती है, जो राष्ट्रीय स्तर

पर, संधारणीय वन प्रबंधन संबंधी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय वन प्रबंधन नीतियों, विनियमों और विधानों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वर्तमान में प्रचलित संधारणीय वन प्रबंधन के सर्वाधिक कठोर मानकों पर खरा उतरा जा सके। व्यापक स्तर पर, यह मानक वन और बाग प्रबंधन प्रथाओं के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक साधन बनने की परिकल्पना करता है और इस प्रक्रिया में, इसमें मौजूदा वन प्रबंधन प्रणालियों के क्रमिक परंतु स्थायी और निरंतर सुधार में मदद करने का एक आकांक्षी दृष्टिकोण होगा।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि ये मानक किसी भी वन, बागान या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र के लिए, उसके आकार या स्वामित्व के निरपेक्ष एक स्वैच्छिक अनुप्रयोग के लिए अभिप्रेत है। ये मानक प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति विलेखों के साथ तुलना करने के लिए भी आशयित है और इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं और मानदंडों दोनों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

एनसीसीएफ भारत में वन प्रमाणीकरण के क्षेत्र में भोपाल इंडिया प्रोसेस के माध्यम से आईआईएफएम और आईटीटीओ द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आभार प्रकट करता है, और राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014 और वन संरक्षण अधिनियम (1980) और नियम और इसी तरह की अन्य पहलों के माध्यम से मुख्य रूप से निरूपित वनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए सरकारी नीतियों, अधिनियमों और नियमों को भी नोट किया है।

प्रावधानों की अभिव्यक्ति के लिए शाब्दिक अभिरूप

[आईएसओ/आईईसी डाइरेक्टिव पार्ट 2 से रूपांतरित: अंतरराष्ट्रीय मानकों की संरचना और आलेखन के लिए नियम]

“होगा या करेगा” : मानक की अनुपालना के लिए अपेक्षाओं को कड़ाई से अनुपालित किए जाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

“चाहिए” : इंगित करता है कि कई संभावनाओं में से एक को विशेष रूप से संस्तुति की गयी है, अन्यो का उल्लेख किए बिना या छोड़े बिना, या यह कि एक निश्चित क्रियाविधि को तवज्जो दिया गया है परंतु वह अनिवार्य रूप अपेक्षित नहीं है। कोई प्रमाणन निकाय एक समतुल्य तरीके से इन अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है, बशर्ते कि इसे प्रदर्शित किया जा सके और औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके।

“किया जा सकता है” : संलेख की सीमाओं के अंदर अनुमेय क्रियाविधि को इंगित करता है।

“कर सकता है” : संभाव्यता और क्षमता के लिए प्रयुक्त किया गया है, चाहे मूर्त, भौतिक या सामयिक हो।

## दस्तावेज की रचना

वन प्रमाणन के प्रासंगिक प्रमुख मुद्दों को समरूप विषयों में साथ पिरोया गया है, और विषय को आगे 'सामाजिक रूप से लाभप्रद, पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य' की तिहरी आधार रेखा में डिजाइन और संरचित किया गया है। इन विषयों को वैश्विक स्तर पर विभिन्न वन प्रमाणन मानकों और राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता में संबोधित प्रमुख मुद्दों के विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाकर एक ढाँचा/बनाव के रूप में विकसित किया गया है। इन विषयों को आगे सिद्धांतों में संगठित किया गया है, जो इस मानक के रचक खंड हैं। इन सिद्धांतों को मूल्यांकन हेतु विभिन्न मापदंडों के साधनों के द्वारा उस सिद्धांत के किसी पहलू के संगत प्रत्येक मापदंड के साथ विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जबकि संपूर्ण सिद्धांत इसके प्रतिभागी मापदंडों के योग से कहीं अधिक है। इसके अलावा, प्रत्येक मापदंड के लिए संकेतक विकसित किए गए हैं, ताकि क्षेत्र में निष्पादनों पर निर्णय किया जा सके। सभी विषयों में मानक के प्रतिभागी तत्वों के बीच परस्पर व्यापन के क्षेत्र होंगे, अर्थात् सिद्धांत, मापदंड और संकेतक/सूचक। यह परस्पर व्यापन इसलिए होता है क्योंकि मानक के कई तत्व विभिन्न विषयों में अति महत्वपूर्ण होंगे, यद्यपि यह प्रयास किया गया है कि प्रत्येक विषय के घटक के अलग अलग और साझे लक्ष्य हों। विभिन्न विषय इस प्रकार हैं :

**विषय क :** यह विषय वन प्रबंधन उद्यम की वैधता और इससे संबद्ध सभी कार्रवाइयों और गतिविधियों की कानूनी स्थिति से संबंधित है।

**विषय ख :** यह विषय लिखित वन प्रबंधन योजना के विकास और सावधिक अद्यतन, इन योजनाओं के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी से संबंधित है।

**विषय ग :** यह विषय वन प्रबंधन गतिविधियों और उनके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित है, और साथ ही साथ यह जलवायु परिवर्तन से जोड़ता है।

**विषय घ :** यह विषय वन प्रबंधन गतिविधियों की आर्थिक व्यवहार्यता के पहलू से संबंधित है और इसका सरोकार वन उत्पादों और साथ ही साथ सेवाओं सहित वन संसाधनों के संधारणीय और उत्पादक उपयोग से है।

**विषय ङ :** यह विषय "सामाजिक रूप से उत्तरदायी वन प्रबंधन" पहलू से सरोकार रखता है और सामाजिक और सामुदायिक संबंधों और वन श्रमिकों, साथ ही साथ आदिवासियों, वन वासियों

और वन पर आश्रित समुदायों के अधिकारों से संबंधित है।

**विषय च :** यह विषय वन प्रबंधन की 'पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संधारणीयता' के पहलू से संबंधित है और उच्च संरक्षण मूल्यों, मूर्त और अमूर्त वन सेवाओं, जैव-विविधता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और प्रबंधन इत्यादि से संबंधित मामलों से सरोकार रखता है।

संकेताक्षरों की सूची

एआर	आर्टिफिशियल रिजेनरेशन - कृत्रिम पुनरुद्भवन
एएनआर	एसिस्टेंट नेचुरल रिजेनरेशन - सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुद्भवन
बीआईपी	भोपाल इंडिया प्रोसेस - भोपाल भारत प्रक्रिया
सीबीडी	कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डायवर्सिटी - जैविक विविधता समझौता
सीआईटीएस	कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डेंजर्ड स्पेशिज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा - जंगली जीव और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौता
सी एंड आई	क्रिटेरिया एण्ड इंडीकेटर - मानदंड और संकेतक/सूचक
सीओसी	चेन ऑफ कस्टडी - अभिरक्षा श्रृंखला
डीओई	डेसिगनेटेड ऑपरेशनल इंटायटि - अभिहित प्रचालनरत संस्था
ईडीसी	इको डेवलपमेंट कमिटी - पारि विकास समिति
एफसीए	फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट - वन निकासी अधिनियम
एफएम	फॉरेस्ट मैनेजमेंट - वन प्रबंधन
एफएमई	फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंटरप्राइज - वन प्रबंधन उद्यम
एफएमयू	फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूनिट - वन प्रबंधन इकाई
एफपीआईसी	फ्री प्रायर एण्ड इंफोर्मड कंसेंट - स्वेच्छा से पूर्व एवं संसूचित सम्मति
एफआरए	फॉरेस्ट राइट एक्ट - वन अधिकार अधिनियम
एफएससी	फॉरेस्ट स्टिवार्डशिप काउंसिल - वन सुप्रबंधकता परिषद
एफएसआई	फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया - भारतीय वन सर्वेक्षण
जीएचजी	ग्रीन हाउस गैस - ग्रीन हाउस गैस
एचसीवीएफ	हाई कंजर्वेशन वैल्यू फॉरेस्ट्स - उच्च संरक्षण मूल्य वन
आईआईएफएम	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट - भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईएलओ	इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईटीटीओ	इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिंबर ऑर्गेनाइजेशन - अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन
जेएफएमसी	ज्वायंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी - संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एमजीएनआर ईजीए	महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इंफ्लॉयमेंट गारंटी एक्ट - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमओईएफसी सी	मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरामेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनएएमए	नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन्स - राष्ट्रस्तरीय उपयुक्त उपशमन

	कार्रवाइयां
एनएपीसीसी	नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज - जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना
एनसीसीएफ	नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट - वन प्रमाणन और संरक्षण नेटवर्क
एनडीसी	नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान
एनजीओ	नन गवर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन - गैर सरकारी संगठन
एनडब्ल्यूएफपी	नव-वूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट - गैर लकड़ी वन उपज
पीडीडी	प्रोजेक्ट डिजाइन डेवलपमेंट - परियोजना रूपरेखा दस्तावेज
पीईएस	पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज - पारिस्थितिकीय सेवाओं के लिए भुगतान
पीईएफसी	प्रोग्राम फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन - वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम
आरईडीडी+	रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फोरेस्ट डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनहेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन डेवलपिंग कंट्रिज - वनों की कटाई और वन निम्नीकरण के कारण होने वाले उत्सर्जन में कमी और विकासशील देशों में संरक्षण, वनों के संधारणीय प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि की भूमिका
आरईटी	रेयर, इन्डेंजर्ड एंड थ्रैटेंड - दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त
एसएपीसीसी	स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज - जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्यीय कार्य योजनाएं
एसएफडी	स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट - राज्य वन विभाग
एसएफएम	सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट - संधारणीय वन प्रबंधन
एसओपी	स्टैंडर्ड वर्किंग ग्रुप - मानक प्रचालन/संचालन प्रक्रिया
टीडब्ल्यूजी	टेकनिकल वर्किंग ग्रुप - तकनीकी कार्य समूह
यूएनसीसीडी	यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बेट डिजर्टीफिकेशन - संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण शमन समझौता
यूएनसीईडी	यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन इनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संबंधी पर्यावरणीय सम्मेलन
यूएनएफएफ	यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फोरेस्ट्स - संयुक्त राष्ट्र वन फोरम
यूएनएफसीसी	यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क समझौता
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ	वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर - प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि

## कार्यक्षेत्र / दायरा

यह दस्तावेज भारतीय वनों पर प्रयोज्य वन प्रबंधन मानकों की अपेक्षाओं को कवर करता है। इस मानक के संदर्भ में प्रयुक्त शब्दावली और परिभाषाएं इस दस्तावेज के अनुलग्नक में शामिल किए गए हैं।

## निर्देशात्मक संदर्भ

- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014
- राष्ट्रीय कृषिवानिकी नीति 2014
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- एनसीसीएफ मानक निर्धारण नीति
- पीईएफसी संधारणीय वन प्रबंधन - पीईएफसी अपेक्षाएं - एसटी 1003:2010
- कार्य पर मूल सिद्धांतों और अधिकारों की आईएलओ की घोषणा 1998

## विषय क : वैधता और भू-धृति

यह विषय वन प्रबंधन उद्यम (एफएमई) और प्रतिभागी वन प्रबंधन इकाइयों (एफएमयू) के विधिक अस्तित्व से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करता है। इस विषय में शामिल प्रमुख मुद्दों में एफएमई द्वारा संचालित प्रचालनों की कानूनी वैधता, राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय कानूनों की अनुपालना, शुल्कों और उप-करों का नियमित भुगतान, उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अनुपालना (सीआईटीईएस, आईटीटीओ, सीबीडी पेरिस समझौता, यूएनसीसीडी इत्यादि) जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, अधिकारों के साथ वन भूमियों का स्पष्ट और संलेखित स्वामित्व आते हैं। इस विषय में विधिक अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां और साथ ही साथ स्वामित्व और अधिकारों के विवादों के समाधान के लिए कार्रवाई करना भी शामिल है। यह विनियामकीय उल्लंघनों और अनुपालना की प्रकृति, बारंबारता और गंभीरता पर और इन्हें हल किए जाने के तरीके पर भी विचार करता है। एक और अहम मुद्दा जिस पर ध्यान दिया गया है, वह है संसाधन की उपलब्धता - मानव, वित्तीय और भौतिक, ताकि प्रासंगिक कानूनों और विधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

### सिद्धांत 1 : राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विनियमों की अनुपालना

मापदंड 1.1 : वन प्रबंधन उद्यम (एफएमई), इस पर लागू सभी राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय कानूनों और प्रशासनिक/विनियामकीय अपेक्षाओं की पहचान करता है और उनमें अंतर्निहित प्रावधानों का सम्मान और अक्षरशः अनुपालन करता है!

संकेतक/सूचक 1.1.1 : एफएमई और इसके प्रबंधकों के पास वन प्रबंधन से संबंधित सभी प्रयोज्य केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कानूनों, विनियमों और नीतियों की अद्यतित प्रतियां उपलब्ध हैं और वे वन प्रबंधन के विनियामकीय संरचना के प्रति जागरूक और/या जानकार हैं।

संकेतक/सूचक 1.1.2 : एफएमई वन प्रबंधन पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन करेगा, जिसमें वन प्रबंधन संव्यवहारों; प्रकृति और पर्यावरणीय सुरक्षा; संरक्षित और विलुप्तप्राय प्रजातियों; संपत्ति, भू-धृति/काश्तकारी और मूल निवासियों और वन आश्रित समुदायों के भूमि और संसाधन अधिकार; स्वास्थ्य, श्रम और सुरक्षा के मुद्दों; और अधिशुल्कों और करों के भुगतान से संबंधित कानून शामिल हैं।

संकेतक/सूचक 1.1.3 : एफएमई इन कानूनों और विनियमों की अननुपालना के किसी मामले जो उपयुक्त प्राधिकार के साथ इनके ध्यान में लाया जाता है, का समाधान करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा। एफएमई द्वारा इन कानूनों के सभी उल्लंघनों और इनके समाधान के लिए की गयी उपचारात्मक, दंडात्मक और मध्यस्थता कार्रवाइयों का अभिलेख रखा जाता है।

1.1.4. : जब उल्लंघन होता है और संकेतक/सूचक 1.1.3 के अनुसार एफएमई के संज्ञान में लाया जाता है, एफएमई को उपयुक्त प्राधिकरणों / विधिक तंत्र के साथ उस उल्लंघन से संबंधित परिस्थितियों को तत्काल ठीक करना और उपचार करना चाहिए।

1.1.5. विनियामकीय उल्लंघनों की बारंबारता और प्रकृति से यदि व्यापक और प्रणालीगत अननुपालना का संकेत मिलता हो, तो वह एफएमई प्रमाण पत्र निरस्तीकरण का दायी होगा।

मापदंड 1.2 : एफएमई यह सुनिश्चित करता है कि सभी लागू और विधिक रूप से विहित शुल्कों, अधिशुल्कों, करों और अन्य प्रभारों का नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।

संकेतक/सूचक 1.2.1 : एफएमई के पास सभी विधिक रूप से विहित शुल्कों, अधिशुल्कों, करों और अन्य प्रभारों की अद्यतन सूची उपलब्ध होगी।

संकेतक/सूचक 1.2.2 : एफएमई इस बाबत साक्ष्य प्रदर्शित करेगा कि करों, अधिशुल्कों और अन्य प्रभारों का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया गया है। बहुकालीन गैर भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं है।

संकेतक/सूचक 1.2.3 : एफएमई सभी भुगतानों का अद्यतन अभिलेख रखेगा और उन अभिलेखों को मूल्यांकन दल को प्रस्तुत करेगा।

मापदंड 1.3 : एफएमई, इसके प्रबंधक और सभी प्रतिभागी एफएमयू (वन प्रबंधन इकाइयां) उन सभी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों, जिनका भारत एक हस्ताक्षरी देश है, के प्रयोज्य प्रावधानों का आदर करते हैं और क्रियान्वयन करते हैं।

संकेतक/सूचक 1.3.1 : एफएमई उन सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों, जिनका भारत ने अंगीकरण किया है, के आशयों का अनुपालन करेगा। सभी अंगीकृत समझौतों

को विधान के जरिए प्रवर्तित किया जाता है, और समनुरूपता का मूल्यांकन इन समझौतों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रयोज्य कानूनों की अनुपालना के आधार पर किया जाता है।

संकेतक/सूचक 1.3.2 : राज्य स्वामित्व वाले वनों के मामले में, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रयोज्य प्रावधानों से संबंधित प्रासंगिक सरकारी आदेश एफएमई के पास उपलब्ध होंगे।

संकेतक/सूचक 1.3.3 : एफएमई प्रबंधकों को प्रयोज्य कानूनों, विनियमों और एफएमई पर लागू बाध्यकारी करारों की सामान्य समझ होनी चाहिए और उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे क्षेत्र में क्रियान्वित करना चाहिए।

मापदंड 1.4 : एफएमई सुनिश्चित करता है कि वन क्षेत्र अवैध कटाई, शिकार, वास और अन्य अप्राधिकृत गतिविधियों से मुक्त है और इसके लिए उपयुक्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं।

संकेतक/सूचक 1.4.1 : एफएमई के पास अनधिकृत गतिविधियों जैसे अतिक्रमण, अवैध लॉगिंग और भू-उपयोग, अवैध खनन, शिकार, अग्नि और अन्य अनधिकृत गतिविधियों से वन की सुरक्षा के लिए एक संलेखित दीर्घावधिक प्रतिबद्धता होगी।

1.4.2 : एफएमई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवैध गतिविधियां नहीं की जा रही हैं, उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं - बुनियादी ढाँचा, वित्तीय और मानव बल।

1.4.3 : यदि किसी अवैध या अनधिकृत गतिविधियों का पता चलता है तो, एफएमई और इसके अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के लिए, कानून के अनुसार उपयुक्त उपाय करेगा।

मापदंड 1.5 : एफएमई के पास इस मानक में प्रस्तुत विषयों, नियमों और मापदंडों के अनुपालन के प्रति एक लिखित दीर्घावधिक प्रतिबद्धता है, और इसके कार्य करने का तरीका एनसीसीएफ की भावना की अनुपालना को प्रदर्शित करता है।

संकेतक/सूचक 1.5.1 : एफएमई के पास इस मानक में प्रस्तुत नियमों और मापदंडों के अनुरूप वन प्रबंधन संव्यवहारों के प्रति संलेखित दीर्घावधिक प्रतिबद्धताएं हैं।

संकेतक/सूचक 1.5.2 : लिखित प्रतिबद्धता का वक्तव्य एफएमई के शीर्ष प्रबंधन द्वारा पुष्टि की हुई होगी, पूरे संगठन में प्रसारित होगा, और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

संकेतक/सूचक 1.5.3 : एफएमई अपने स्वामित्व के अधीन / उसके द्वारा प्रबंधित वन आच्छादित क्षेत्र संबंधी सूचना उपलब्ध करवाएगा, जिसे वर्तमान मूल्यांकन के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

संकेतक/सूचक 1.5.4 : एफएमई उसके द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों, जो प्रमाणन के दायरे से बाहर हैं, में ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो एनसीसीएफ - वन प्रबंधन प्रमाणन मानक की भावना के विरुद्ध हो।

संकेतक/सूचक 1.5.5 : एफएमई प्रबंधक के पास एनसीसीएफ वन प्रबंधन मानक की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उपलब्ध होंगी और क्षेत्र कार्मिक को उनके कर्तव्यों के अनुरूप, इस मानक की जागरूकता का एक सामान्य स्तर प्रदर्शित करना चाहिए।

## सिद्धांत 2 : भू-धृति, अधिकार और उत्तरदायित्व

मापदंड 2.1 : एफएमई प्रबंधक वन भूमि के दीर्घावधिक अधिकार (अर्थात् भू-स्वामित्व, प्रथागत अधिकार, या पट्टा करार) के स्पष्ट, कानूनी रूप से सुरक्षित और प्रदर्शन योग्य साक्ष्य की उपलब्धता प्रदर्शित करते हैं।

संकेतक/सूचक 2.1.1 : एफएमई का स्पष्ट और कानूनी रूप से सुरक्षित भू-धृति और वन संसाधन उपयोग अधिकार होगा।

संकेतक/सूचक 2.1.2 : एफएमई की परिसीमाएं क्षेत्र में स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगी और मानचित्र पर साफ तौर पर चिन्हित होंगी।

संकेतक/सूचक 2.1.3 : भोगाधिकार करार की दशा में, एफएमई, एफएमई पर अपने कानूनी अधिकारों और वन प्रबंधन में अनुभव और मूल्यांकन अधीन वन संसाधनों के उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। स्वामित्व और भोगाधिकार करार असंदिग्ध/सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होना चाहिए।

मापदंड 2.2 : कानूनी या प्रथागत / परंपरागत भू-धृति या अधिकार संपन्न स्थानीय समुदाय वन प्रचालनों और संसाधनों पर नियंत्रण (उस सीमा तक जो उक्त अधिकारों या संसाधनों की

रक्षा करने के लिए आवश्यक हो) बनाए रखते हैं, जब तक वे राज्य या अन्य एजेंसियों को स्वतंत्र, पूर्व और संसूचित सहमति के साथ नियंत्रण प्रत्यायोजित नहीं कर देते हैं। राज्य स्वामित्व वाले वन भूमि के मामले में, सभी संबंधित हितधारक के अधिकार निर्धारित और प्रलेखित किए जाएंगे। उन मामलों में जहाँ अधिकार निश्चित कर दिए गए हैं, अधिकार निश्चयन के आशय की अधिसूचना उपलब्ध कराई जाती है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश उपलब्ध कराए जाते हैं।

संकेतक/सूचक 2.2.1 : एफएमई वन के कानूनी और/या प्रथागत/पारंपरिक अधिकार संपन्न आदिवासियों, स्थानीय समुदायों, वनवासियों और/या अन्य हितधारकों की पहचान करेगा और प्रबंधन योजना में इन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निरूपण करेगा।

संकेतक/सूचक 2.2.2 : जब समुदायों ने विधि द्वारा अधिकृत तरीके से अपने अधिकारों का नियंत्रण या आंशिक अधिकार का उपयोग अधिकार प्रत्यायोजित कर दिया है, इसकी पुष्टि प्रलेखित करारों और/या स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कारों द्वारा होगी।

संकेतक/सूचक 2.2.3 : जब संसाधनों पर कानूनी या प्रथागत / पारंपरिक भू-धृति या अधिकार का कानूनी से निपटान हो गया हो (राज्य स्वामित्व अधीन वन भूमियों के मामले में), अधिकार निपटान के आशय की अधिसूचना उपलब्ध होगी और अधिकारों या भू-धृति निपटान के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों का आदेश उपलब्ध कराया जाएगा।

संकेतक/सूचक 2.2.4 : स्थानीय समुदायों द्वारा अन्य पक्षकारों को विधिवत मान्य कानूनी या प्रथागत अधिकार का आवंटन, स्वतंत्र, पूर्व और संसूचित सम्मति के साक्ष्य के साथ संलेखित किया जाएगा।

**मापदंड 2.3 : भू-धृति दावों और अधिकारों पर विवादों का निपटान करने के लिए यथोचित और कानूनी रूप से प्रयोज्य तंत्र नियोजित किए जाते हैं। किसी लंबित विवाद की परिस्थिति और प्रास्थिति पर प्रमाणन मूल्यांकन में स्पष्ट रूप से विचार किया जाएगा। सभी संलेखित विवादों के लिए, विवाद निपटान के लिए उठाए गए कदमों / उपयोग किए गए तंत्रों को संलेखित किया जाएगा।**

संकेतक/सूचक 2.3.1 : भू-धृति और अधिकारों पर विवादों का निपटान अधिनिर्णयन/माध्यस्थम या अन्य विधिक तंत्रों पर स्वैच्छिक और मैत्रीपूर्ण/समझौताकारी

पद्धतियों को तरजीह देते हुए यथोचित तंत्रों के माध्यम से एक प्रणालीगत तरीके से किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 2.3.2 एफएमई आगे न्यायिक प्रक्रियाओं से बचने के लिए और साथ ही साथ भविष्य में इसी प्रकार के टकरावों के लिए दृष्टांत स्थापित करने के लिए ऐसे सभी टकरावों और उनके समाधान की पद्धति (परिणाम के साथ) का अभिलेख बनाएगा।

संकेतक/सूचक 2.3.3 : अनिर्णीत भू-धृति दावों और अधिकार विवादों के परिमाण और इसकी गंभीरता, वन प्रबंधन प्रचालन पैमाने की तुलना में गौण होना चाहिए। ऐसे सभी अनिर्णीत या लंबित विवादों के लिए, एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि विवाद की परिस्थिति और वर्तमान स्थिति और विवाद निपटान के लिए उठाए गए कदम / शामिल तंत्र प्रलेखित किए गए हैं।

## विषय ख : वन प्रबंधन योजना

यह विषय वन प्रबंधन उद्यम (एफएमई) में एक सुनियोजित प्रबंधन योजना के तहत वन प्रचालनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित है। वन प्रबंधन आयोजना में, राष्ट्रीय वन नीति, भारतीय वन अधिनियम (1927), वन (संरक्षण) अधिनियम (1980), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (1972), जैव विविधता अधिनियम (2002), अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986), और अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय और देश के स्थानीय विधानों में यथा प्रतिष्ठापित सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय आयामों को शामिल करने की जरूरत है। राष्ट्रीय कार्यसाधक/व्यवहार्य योजना संहिता, 2014 “वन संसाधनों का यथोचित तरीके से प्रबंधन करने, संरक्षण करने और उपयोग करने के लिए और पर्यावरणीय स्थिरता, जैव - विविधता निगरानी और प्रबंधन, विकृत क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्बहाली, वन संसाधनों के संरक्षणात्मक प्रकार्यों और एनडब्ल्यूएफपी के अन्य सामाजिक-आर्थिक हितलाभों पर उचित ध्यान केंद्रित करते हुए वन प्रबंधन आयोजना में एकरूपता लाने के लिए” एक प्रबंधन / कार्यसाधक/व्यवहार्य योजना की जरूरत विहित करता है।

संधारणीयता अवधारणा में न सिर्फ उत्पादक कार्यों की संधारणीयता शामिल है अपितु मृदा और जल संरक्षण और कार्बन स्वविनियोजन और वन में और वन आंचल पर रहने वाले वन आश्रित समुदायों, आदिवासियों और वन वासियों को सामाजिक आर्थिक हितलाभ, जिसमें उनकी आजीविका जरूरतों को पूरा करना और वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में उनकी सहभागिता शामिल है, सहित पर्यावरणीय कार्य शामिल हैं। संधारणीय वन प्रबंधन (एसएफएम) संव्यवहारों को परिमाणात्मक और गुणात्मक या कार्यसाधक/व्यवहार्य योजनाओं में वनों के उपर्युक्त प्रकार्यों से संबद्ध विवरणात्मक विशेषताओं के साथ जोड़ा गया है। इसलिए, वन संसाधनों की संधारणीयता की कोई आयोजना और किसी क्रियान्वयन को, वन प्रचालनों के पैमाने और प्रबलता को और साथ ही साथ प्रबंधन गतिविधियों से संबद्ध जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त सभी पहलुओं की निगरानी और आकलन करना चाहिए, जो न सिर्फ परिवर्तन की दिशा इंगित करेगा अपितु वन प्रबंधन के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।

इस विषय के दायरे के अंदर संबोधित अन्य मुद्दों में प्रबंधन योजना के लक्ष्यों (वनवर्धनिक, सामाजिक -आर्थिक, पर्यावरणीय) का विकास, प्रबंधन योजनाओं का सावधिक पुनरीक्षण, प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में एफएमई और श्रमिकों का प्रशिक्षण, योजना के क्रियान्वयन के लिए

निगरानी और मूल्यांकन प्रोटोकॉल की स्थापना (निगरानी का प्रकार और इसकी प्रबलता सहित), वन उत्पादों की अभिरक्षा श्रृंखला की स्थापना की प्रक्रिया, परिमाणों का सार्वजनिक सार शामिल है। यह विषय योजना विकास और निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए संसाधन आवंटन और योजना विकास में प्रवाहित हितधारक आदान की सीमा को भी संबोधित करता है।

### सिद्धांत 3 : प्रबंधन योजना / कार्यसाधक/व्यवहार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन

मापदंड 3.1 : एफएमई प्रचालन के पैमाने, उसकी प्रबलता और संमिश्रता के अनुरूप एक उपयुक्त लिखित प्रबंधन योजना (और अन्य समर्थक दस्तावेज) विकसित करता है और संधारित रखता है, जो इस मापदंड में सूचीबद्ध निम्नलिखित योजना घटकों, और साथ ही साथ दावानल, कीटों और रोगों, अवैध बस्ती और खेती के विरुद्ध सुरक्षा के प्रावधानों, पुरातत्विक स्थलों और अन्यो पर ध्यान देता है। प्रबंधन योजना में निम्नलिखित प्रलेखित होगा :

- क. प्रबंधन का उद्देश्य, जो 'सामाजिक रूप से लाभकारी, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और आर्थिक तौर पर अर्थक्षम' हैं।
- ख. प्रबंधन अधीन वन संसाधनों का गुणात्मक और परिमाणात्मक विवरण, जैव-विविधता विशेषताएं, पर्यावरणीय सीमाएं, भूमि उपयोग और स्वामित्व की स्थिति, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और साथ ही भूमि की रूपरेखा।
- ग. संरक्षित क्षेत्र, नियोजित प्रबंधन गतिविधियां और भू-स्वामित्व सहित वन संसाधन आधार का वर्णन करने वाला मानचित्र।
- घ. एक क्रियाशील और कारगर प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए मानव और पूंजी संसाधन आवंटन।
- ङ. प्रश्नगत वन की पारिस्थितिकी और संसाधन सूची के माध्यम से एकत्रित सूचना पर आधारित वनवर्धनिक और/या अन्य प्रबंधन प्रणालियों का विवरण।
- च. वार्षिक कटाई की दरें और प्रजाति चयन का औचित्य
- छ. प्रयुक्त कटाई तकनीकों और उपकरणों का विवरण और औचित्य।
- ज. वन संवृद्धि और गतिशीलता की निगरानी के लिए प्रावधान।
- झ. पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकनों और प्रबंधन प्रभाव निर्धारण पर आधारित पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षोपाय।
- ञ. अभिज्ञात सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के लिए उपशमन रणनीति / योजना।

- ट. दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय प्रजातियों, पर्यावासों और पारिस्थितिक तंत्रों की पहचान, संरक्षण और उनके पुनरुद्भवन के लिए योजनाएं।
- ठ. नर्सरियों और बागों के लिए अनुमोदित स्थल विशिष्ट योजनाएं (एएनआर/एनआर/एआर) - जिसमें स्थल चयन, प्रजाति चयन, मृदा और पोषक तत्व विश्लेषण, उपयुक्त वनवर्धकीय मध्यवर्तन, यथोचित कीट और पोषक तत्व प्रबंधन व्यवस्थाएं और वृक्षारोपण पश्चात् देखभाल शामिल है।
- ड. अग्नि दुर्घटना के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त अग्नि दुर्घटना रोकथाम, प्रबंधन और शमन योजना।
- ढ. वन पुनरुद्भवन और संवृद्धि पर और साथ ही साथ जैव-विविधता पर पशु आबादी और उनके चरागाह के दबाव को संतुलित करने के लिए पशु चराई की समस्या का आकलन और अत्यधिक पशु चराई से बचने के उपाय।
- ण. विचलन, यदि कोई हो, सहित प्रबंधन समीक्षा की निगरानी की प्रक्रिया।
- त. अवैध गतिविधियों के विरुद्ध संरक्षण।
- थ. उच्च संरक्षण मूल्यों के संरक्षण के उपाय।

संकेतक/सूचक 3.1.1 : एफएमई एक लिखित प्रबंधन योजना विकसित करेगा, जिसमें ऊपर यथा परिभाषित मापदंड 3.1 के घटक क) से थ) शामिल होंगे।

संकेतक/सूचक 3.1.2 : इस प्रबंधन योजना में इस मानक के लक्ष्यों के अनुरूप दीर्घावधिक रणनीतिक लक्ष्य, मध्यम अवधि रणनीतिक लक्ष्य और साथ ही साथ अल्प और निकट अवधि सुनियोजित निदेश शामिल होंगे।

संकेतक/सूचक 3.1.3 : प्रबंधन योजना में प्रबंधन आयोजना की दिशा, विभिन्न प्रबंधन चक्रों की उत्तरोत्तर प्रबंधन योजनाओं के विचलन और परिणाम से संबंधित पूर्व प्रबंधन योजनाओं का संदर्भ होना चाहिए।

संकेतक/सूचक 3.1.4 : एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि एक कार्यशील और कारगर प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए योजना विकास में पर्याप्त संसाधन निवेशित किए गए हैं।

संकेतक/सूचक 3.1.5 : प्रबंधन योजना का प्रत्येक 10 वर्ष पर या उससे कमतर अवधि पर समीक्षा की जाएगी।

**मापदंड 3.2 : एफएमई प्रबंधन योजना के माकूल क्रियान्वयन के लिए अपने कार्मिकों का क्षमता वर्धन करता है और वन क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय गुणों में वृद्धि करने के लिए शोध करता है।**

संकेतक/सूचक 3.2.1 : एफएमई कर्मचारियों को प्रबंधन योजना और इसके तत्व बताने के लिए एफएमई तंत्र स्थापित करेगा।

संकेतक/सूचक 3.2.2 : एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि वन कर्मचारी और श्रमिक प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में अपनी अपनी भूमिकाओं से वाकिफ हैं, और उन्हें इसे क्रियान्वित करने के लिए संलेखित तंत्र के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और क्षमता वर्धन किया जाता है।

संकेतक/सूचक 3.2.3 : जब कभी भी अनिवार्य हो, एफएमई वन श्रमिकों को उनके क्षेत्र प्रचालन के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पेशेवर तकनिशियनों का उपयोग करेगा।

संकेतक/सूचक 3.2.4 : एफएमई प्रबंधन योजना क्रियान्वयन में अपने कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप उन्हें प्रदत्त प्रशिक्षण का अभिलेख बनाए रखेगा।

संकेतक/सूचक 3.2.5 : यदि एफएमई उप-संविदाकार को काम पर रखता है या कार्य के किसी हिस्से को वाह्य एजेंसियों को आउटसोर्स करता है, तो एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियां और उप-संविदाकार उनके प्रचालन के क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

**मापदंड 3.3 : एफएमई योजना विकास और क्रियान्वयन चरणों के दौरान हितधारक पहचान, परामर्श और सहलग्नता की प्रक्रिया संचालित करता है।**

संकेतक/सूचक 3.3.1 : एफएमई सभी संबंधित हितधारकों को, जो वन प्रबंधन गतिविधियों द्वारा प्रभावित होंगे, संलग्न करने के लिए एक हितधारक चित्रण और परामर्श प्रक्रिया संचालित करेगा।

संकेतक/सूचक 3.3.2 : एफएमई योजना विकास, योजना क्रियान्वयन और साथ ही साथ योजना पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अभिज्ञात हितधारकों की राय प्राप्त करने का प्रयत्न

करेगा। परामर्श की प्रक्रिया स्वतंत्र, पूर्व और संसूचित सम्मति (एफपीआईसी) पर आधारित होगी और योजना निर्माण चरण में और साथ ही साथ क्रियान्वयन और निगरानी चरणों, दोनों चरणों में संलेखित की जाएगी।

मापदंड 3.4 : एफएमई सार्वजनिक रूप से प्रबंधन योजना के प्राथमिक तत्वों का सारांश उपलब्ध करवाएगा। इस सार्वजनिक सारांश को प्रबंधन योजना की वैधता अवधि के दौरान कम से कम एक बार और जब कभी भी प्रबंधन या संसाधन आधार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, अद्यतित करने की जरूरत होगी।

संकेतक/सूचक 3.4.1 : एफएमई संबंधित हितधारकों को वन प्रबंधन योजना के दायरे और पैमाने की सूचना सहित प्रबंधन योजना के प्राथमिक तत्वों को सार्वजनिक रूप से (जहाँ कहीं भी संभव हो स्थानीय रूप से प्रचलित भाषा में) उपलब्ध करवाएगा।

संकेतक/सूचक 3.4.2 : एफएमई इस सार्वजनिक सारांश को प्रबंधन योजना की वैधता अवधि के दौरान कम से कम एक बार और जब कभी भी प्रबंधन या संसाधन आधार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, अद्यतित करेगा।

## सिद्धांत 4 : प्रबंधन योजना और इसके क्रियान्वयन की निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा

मापदंड 4.1 : प्रचालन के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त, निम्नलिखित विशेषताओं की निगरानी करने के लिए वन प्रबंधन गतिविधियों में शोध और आंकड़ा संग्रहण शामिल है :

- क. अवकर्षण, पुनरुद्भवन और पुनर्बहाली/पुनर्वासन सहित वन संवृद्धि दरें और स्थिति
- ख. वनस्पति और जीव की संरचना और देखे गए परिवर्तन
- ग. पूर्व की योजनाओं और प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में वन संसाधनों का परिवर्तन आव्यूह (मैट्रिक्स)
- घ. काटे गए सभी वन उत्पादों का परिमाण।
- ङ. वन प्रबंधन की लागतें, उत्पादकता, और दक्षता।
- च. खेती और अन्य प्रचालनों का आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव।
- छ. उत्सर्जन प्रच्छादन के माध्यम से कार्बन स्टॉक में परिवर्तन।

संकेतक/सूचक 4.1.1 : एफएमई प्रचालन के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त ऊपर मापदंड 4.1 में वर्णित घटक क) से छ) संबंधी सूचना का सावधिक रूप से संग्रहण करेगा।

संकेतक/सूचक 4.1.2 : एफएमई प्रचालन के पैमाने और प्रबलता के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त स्तरों पर प्रत्येक वाणिज्यिक वन उत्पाद के सावधिक कटाई स्तरों की सूचना एकत्रित करेगा।

संकेतक/सूचक 4.1.3 : एफएमई को अपने प्रचालनों की पर्यावरणीय और सामाजिक - आर्थिक रूपरेखा से संबंधित मुख्य संकेतकों/सूचकों संबंधी सूचना अर्जित करने के लिए एक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए।

मापदंड 4.2 : वन की दुरुस्तगी और जीवनक्षमता की सावधिक रूप से निगरानी की जानी चाहिए, विशेष रूप से प्रमुख जैविक और अजैविक कारक जो वन पारिस्थितिक तंत्रों की दुरुस्तगी और जीवनक्षमता को संभावित रूप से प्रभावित करता है, जैसे कीट, रोग, अत्यधिक पशु-चराई और आवश्यकता से अधिक भंडारण, अग्नि और जलवायु संबंधी कारक, वायु प्रदूषक या वन प्रबंधन गतिविधियों द्वारा कारित क्षति।

संकेतक/सूचक 4.2.1 : एफएमई उन प्रमुख जैविक और अजैविक कारक को संलेखित करेगा जो एफएमयू के अंदर वन पारिस्थितिक तंत्रों की दुरुस्तगी और जीवनक्षमता को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

संकेतक/सूचक 4.2.2 : एफएमई निगरानी प्रोटोकॉल में प्रचालनों के पैमाने, उसकी प्रबलता और जोखिमों पर आधारित महत्वपूर्ण जैविक और अजैविक कारकों की सावधिक निगरानी शामिल होगी।

संकेतक/सूचक 4.2.3 : एफएमई को इन संकेतकों/सूचकों के लिए एक परिवर्तन आव्यूह विकसित करना चाहिए, ताकि जब कभी भी वन पारिस्थितिक तंत्र की दुरुस्तगी और स्थायित्व को कोई खतरा होता है, उपयुक्त निरोधक और उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

**मापदंड 4.3 : निगरानी की आवृत्ति और प्रबलता का निर्धारण, वन प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने और उसकी प्रबलता, साथ ही साथ प्रभावित पर्यावरण की सापेक्षिक जटिलता और भंगुरता द्वारा किया जाएगा। निगरानी प्रक्रियाविधियां आने वाले समय के संगत और प्रतिकृति योग्य होनी चाहिए, ताकि परिवर्तन के परिणाम और मूल्यांकन की तुलना की जा सके।**

संकेतक/सूचक 4.3.1 : वन प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने और उसकी प्रबलता और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर एफएमई निगरानी संकेतकों/सूचकों, निगरानी प्रोटोकॉल और निगरानी की आवृत्ति और प्रबलता को परिभाषित करेगा।

संकेतक/सूचक 4.3.2 : एफएमई निगरानी प्रोटोकॉल क्रियान्वित करने की पिछली उपलब्धियां प्रदर्शित करेगा, जो समय के साथ संगत और प्रतिकृति योग्य हो।

संकेतक/सूचक 4.3.3 : एफएमई प्रबंधन वन प्रबंधन के लक्ष्यों को हासिल करने में निगरानी संकेतकों/सूचकों के प्रति निष्पादन समीक्षा संचालित करेगा। ये समीक्षाएं एफएमई स्तर पर कम से कम वार्षिक रूप से की जाएंगी।

संकेतक/सूचक 4.3.4 : वन निगरानी के परिणाम, वन प्रबंधन योजनाओं और प्रचालन योजनाओं के अनुकूलनीय विकास/पुनरीक्षण में प्रतिबिंबित होंगे।

**मापदंड 4.4 : एफएमई स्वतंत्र प्रमाणन निकायों / संगठनों को प्रत्येक वन उत्पाद का इसके स्रोत से बिक्री तक निगरानी करना और अनुरेखण करना, “अभिरक्षा की श्रृंखला” के रूप में ज्ञात एक प्रक्रिया, सक्षम करने के लिए प्रलेखन प्रदान करता है।**

संकेतक/सूचक 4.4.1 : एफएमई के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन उत्पादों के स्रोत को एफएमई के अभिरक्षा की श्रृंखला (सीओसी) संकेतक/सूचक के अनुसार अनुरेखण किया जा सकता है, प्रमाणित उत्पादों की खेती, परिवहन, प्रसंस्करण से खुदरा बिक्री और विपणन तक अनुरेखण करने के लिए एक संलेखित प्रक्रियाविधि है।

संकेतक/सूचक 4.4.2 : एफएमई संकेतक/सूचक 4.4.1 में परिभाषित सीओसी और अनुरेखण प्रक्रियाओं को लगातार क्रियान्वित करेगा और उसके पास इसका प्रलेखित साक्ष्य होगा, ताकि स्वतंत्र प्रमाणन निकायों को वन उत्पादों का स्रोत से बिक्री बिन्दु तक अनुरेखण सक्षम किया जा सके।

**मापदंड 4.5 : निगरानी के परिणामों या नयी वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना को शामिल करने के लिए और साथ ही साथ उस क्षेत्र में प्रचलित परिवर्तनशील पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रत्युत्तर देने के लिए प्रबंधन में सावधिक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। भूमि की कानूनी स्थिति में किसी परिवर्तन या अधिकारों में परिवर्तन को प्रबंधन योजना में प्रलेखित किया जाता है।**

संकेतक/सूचक 4.5.1 : एफएमई अनुकूलनीय प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा, जहाँ प्रणालीगत निगरानी के दौरान एकत्रित सूचना प्रबंधन योजना, और साथ ही साथ इसके परिशिष्टों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या अन्य आयोजना संलेखों के पुनरीक्षण में शामिल किया जाता है।

संकेतक/सूचक 4.5.2 : भूमि की कानूनी स्थिति में परिवर्तन, भू-धृति या उपयोग अधिकार में परिवर्तन, प्रबंधन या संसाधन आधार इत्यादि में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को प्रलेखित किया जाएगा और प्रबंधन योजना में अद्यतित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 4.5.3 : वन प्रबंधन प्रचालन वन संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए प्रासंगिक शोध गतिविधियों में योगदान करेगा या समर्थन करेगा।

**मापदंड 4.6 : एफएमई सार्वजनिक रूप से निगरानी संकेतकों/सूचकों के परिणामों का एक सार उपलब्ध कराता है।**

संकेतक/सूचक 4.6.1 : एफएमई सार्वजनिक रूप से निगरानी संकेतकों/सूचकों (किसी मालिकाना या गोपनीय सूचना को छोड़कर) के परिणामों का एक सार उपलब्ध करेगा।

संकेतक/सूचक 4.6.2 : एफएमई अपने प्रचालनों के पैमाने और उसकी प्रबलता के लिए उपयुक्त निगरानी के परिणामों का सार्वजनिक सार अद्यतित करने के लिए एक अवधि निर्दिष्ट करेगा। यह अद्यतन प्रबंधन योजना की वैधता की अवधि के दौरान कम से कम एकबार और जब कभी भी वन प्रबंधन या संसाधन आधार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तब किया जाता है।

## विषय ग : वन प्रबंधन - प्रभाव और परिणाम

वन/बाग प्रबंधन गतिविधियों में मानवजनित भागीदारी के परिणामस्वरूप इन वनों के अस्तित्व और उन समुदायों पर जो इन वनों का प्रबंधन कर रहे हैं और / या इन वनों पर निर्भर करते हैं, की पारिस्थितिक/सामाजिक स्थितियों में उपांतरण होता है। यह विषय वन संसाधनों और आसपास के वातावरण में विभिन्न प्रबंधन गतिविधियों के प्रभावों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है जिसमें वन प्रबंधन उद्यम (एफएमई) कार्य कर रहा है। इसमें मृदा और जल संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामले जो प्रबंधन गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन अतिसंवेदनशीलता के प्रति वन संसाधनों का आकलन, वनों का लचीलापन, एफएमई/एफएमयू स्तर पर अनुकूलन और शमन के उपाय आदि शामिल हैं। साथ ही इस विषय में वन प्रबंधन गतिविधियों के सामाजिक प्रभाव से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। वानिकी का एक अन्य पहलू (एक आकांक्षात्मक उद्देश्य से यहाँ शामिल किया गया है), वन और जलवायु परिवर्तन है, जिसमें वनों के पारिस्थितिकी तंत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन उपायों को पूरा करने के लिए वन प्रबंधन गतिविधियों की क्षमता शामिल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्य (एनएएमए), एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान), जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के साथ सामंजस्य कर सकते हैं।

### सिद्धांत 5 : वन प्रबंधन गतिविधियां - सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव

मापदंड 5.1 : एफएमई उन पहलुओं पर जैसे वन पारिस्थितिकी, मृदा और जल संसाधन, वन प्रबंधन इकाई (एफएमयू) में और उसके आसपास की स्थानीय आबादी और/या वे लोग जो भोजन, आश्रय या आजीविका हेतु वन या वन संसाधन पर आश्रित रहते हैं, प्रबंधन गतिविधियों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करता है। इसमें एफएमई द्वारा एफएमयू के अंदर संचालित सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रबंधन कार्य या वन की इसकी प्राकृतिक अवस्था में अस्तित्व या कार्यकरण से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं।

संकेतक/सूचक 5.1.1 : वन प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने, उनकी प्रबलता और उससे उत्पन्न जोखिम के आधार पर एफएमई वन प्रबंधन इकाई (एफएमयू) में और उसके आसपास रहने वाली स्थानीय आबादी और भोजन, आश्रय और / या आजीविका हेतु

वनाश्रितों पर इसकी प्रबंधन गतिविधियों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान, उसका आकलन और विश्लेषण करेगा।

संकेतक/सूचक 5.1.2 : वन प्रबंधन के पैमाने और प्रबलता और वन संसाधन विशिष्टताओं के आधार पर एफएमई वन की पारिस्थितिकी, मृदा, जल संसाधन, वन्य जीव और आसपास के पर्यावरण जिसमें एफएमई कार्य करता है, पर वन प्रबंधन गतिविधियों के वर्तमान और संभावित प्रभाव का अभिनिर्धारण, आकलन और विश्लेषण करेगा।

संकेतक/सूचक 5.1.3 : ये मूल्यांकन (सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय) स्थल और परिदृश्य स्तर, दोनों पर किए जाएंगे, और इसमें प्रबंधन गतिविधियों के एकल प्रभावों और साथ ही साथ संचयी प्रभावों को शामिल किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 5.1.4 : एफएमई वन प्रबंधन गतिविधियों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का सारांश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

**मापदंड 5.2 : प्रबंधन आयोजना और प्रचालन सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन के परिणामों को शामिल करता है। प्रबंधन प्रचालनों की आयोजना में प्रबंधन प्रचालनों से प्रभावित हुए या प्रभावित हो सकने वाले सभी हितधारकों के साथ किए गए विस्तृत परामर्शों को शामिल किया जाता है।**

संकेतक/सूचक 5.2.1 : पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन और विश्लेषण में प्रतिभागी हितधारकों की स्वतंत्र, पूर्व और संसूचित सम्मति के साथ एक संलेखित हितधारक परामर्श प्रक्रिया शामिल होगी।

संकेतक/सूचक 5.2.2 : एफएमई अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम इत्यादि में रहने वाले समुदायों पर वन प्रचालनों के परिणाम सहित पहुँच और अधिकारों से संबंधित हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्रलेखित करेगा।

संकेतक/सूचक 5.2.3 : प्रभाव मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, नियोजित वन प्रबंधन प्रचालनों में यथोचित सुधार, समायोजना या उपांतरण किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण और समाज पर इन गतिविधियों के प्रभाव को कम से कम किया जा सके और वन पारिस्थितिक

तंत्र को होने वाले क्षरण और उन पर आश्रित और उनका प्रबंधन करने वाले स्थानीय समुदाय को होने वाली क्षति से बचा जा सके।

संकेतक/सूचक 5.2.4 : एफएमई प्रबंधन संव्यवहारों में किए गए किसी परिवर्तन को प्रलेखित करेगा और ऐसे परिवर्तनों की उनकी प्रभाविता को मापने के लिए निगरानी करने हेतु कदम उठाएगा।

मापदंड 5.3 : वन प्रबंधन प्रचालनों में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाते हैं ताकि वन भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं को बनाए रखा जा सके, जल संसाधनों की रक्षा की जा सके और वन प्रबंधन गतिविधियों के कारण भूमि क्षरण को रोका जा सके।

संकेतक/सूचक 5.3.1 : मृदा की प्राकृतिक विशेषताओं और इसकी दीर्घकालीन उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मानवजनित गतिविधियों जैसे भूमि तैयार करना और पेड़ उखाड़ने, परिपालन, वन कटाई, पुनरुद्भवन, सड़क निर्माण आदि से वन क्षेत्रों को होने वाले नुकसान की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

संकेतक/सूचक 5.3.2 : एफएमई एफएमयू के अंदर संचालित सभी वन प्रबंधन गतिविधियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करेगा और प्रलेखित करेगा और उन्हें वन भूमियों या पारिस्थितिक तंत्रों को होने वाली संभावित क्षतियों को कम करने के लिए डिजाइन करेगा।

संकेतक/सूचक 5.3.3 : जल संसाधनों की गुणवत्ता और परिमाण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाना चाहिए, मृदा और जल क्षरण नियंत्रित किया जाना चाहिए, और वन के अंदर जल ग्रहण क्षेत्र को होने वाली क्षतियों से बचा जाना चाहिए।

संकेतक/सूचक 5.3.4 : एफएमई नदियों और धाराओं के तटों पर या जल निकायों के चारों ओर जल और मृदा संरक्षण के लिए प्रतिरोधक (बफर) प्रक्षेत्र की चौड़ाई निर्धारित करेगा। ये प्रक्षेत्र मौजूदा स्थानीय दिशोनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए, या कोई दिशानिर्देश नहीं होने की स्थिति में, निवारक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए।

संकेतक/सूचक 5.3.5 : ऊपर संकेतक/सूचक 5.3.4 के अनुसार निर्धारित किए गए प्रतिरोधक (बफर) क्षेत्र स्थापित किए जाने चाहिए और वन मानचित्र या वन प्रचालन रूपरेखा में चिन्हित होने चाहिए।

संकेतक/सूचक 5.3.6 : एफएमई अपने प्रचालन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम से कम करेगा (खेतों में और साथ ही साथ नर्सरी में)। मृदा उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कार्बनिक और जैव-उर्वरकों को प्राथमिकता देते हुए रासायनिक उर्वरकों के किसी अपरिहार्य उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

**मापदंड 5.4 : पारिस्थितिकी प्रकार्य और मूल्य को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, या पुनःस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :**

क. वन पुनरुद्भवण और अनुक्रमण

ख. आनुवंशिक, प्रजाति, और पारितंत्र विविधता

ग. प्राकृतिक चक्र जो वन पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं

संकेतक/सूचक 5.4.1 : एफएमई प्रबंधन योजना में ज्ञात पारिस्थितिकीय प्रकार्य और मूल्यों का वर्णन करेगा और जब कभी भी अतिरिक्त सूचना प्राप्त होती है सावधिक रूप से उन्हें अद्यतित करेगा।

संकेतक/सूचक 5.4.2 : प्रबंधन योजना में परिदृश्य के सिद्धांत और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आयोजना शामिल होगी। प्रबंधन मध्यवर्तनों के पैमाने, उसकी प्रबलता और प्रकृति के अध्यधीन, वन प्रचालन सभी प्राकृतिक रूप से विद्यमान प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वास में बनाए रखने का प्रयत्न करेगा और आनुवंशिक, प्रजाति और परिदृश्य स्तरीय विविधता को बनाए रखने का प्रयास करेगा।

संकेतक/सूचक 5.4.3 : एफएमई प्रबंधन प्रचालनों को इस प्रकार से निष्पादित करेगा कि प्राकृतिक वन संरचना बनी रहे, उसमें वृद्धि हो या उसका पुनर्स्थापन हो और यह प्राकृतिक विविधता की सीमा के अंदर वितरण पर आनुवंशिक चरणों की पूरी श्रृंखला को बरकरार रखे।

संकेतक/सूचक 5.4.4 : कटाई की रूपरेखा प्राकृतिक विघ्नों के प्रकार, आकार और आवृत्ति और साथ ही साथ वन्यजीव पर्यावासों की संपर्कता पर विचार करते हुए अलग अलग समय और स्थान में तय की जानी चाहिए।

संकेतक/सूचक 5.4.5 : एफएमई को यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित कदम उठाने चाहिए कि पुनरुद्भवन सफल रहता है और यह कि कटाई क्षेत्रों और पुनःस्थापन क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों में, कलम खड़े रहते हैं, चाहे वे रोपित हों या प्राकृतिक रूप से स्थापित हों, वांछित प्रजातियों से भरे हैं, दुरुस्त पेड बनने के राह पर हैं।

**सिद्धांत 6 : वन और जलवायु परिवर्तन - जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में वन प्रबंधन गतिविधियों का योगदान और वन कार्बन सूची में बदलाव इत्यादि।**

मापदंड 6.1 : एफएमई वन प्रबंधन कार्य इस प्रकार से करता है कि लंबी अवधि में कार्बन चक्र को बरकरार/बनाए रखा जा सके और उसमें वृद्धि हो।

संकेतक/सूचक 6.1.1 : एफएमई कार्बन चक्र में अपने योगदान को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए निर्धारित वन क्षेत्र के अंदर वन का प्रबंधन करेगा।

संकेतक/सूचक 6.1.2 : एफएमई निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित वन क्षेत्र में वर्तमान और भावी कार्बन प्राच्छादन का परिमाणात्मक आकलन कर सकता है

क. वन क्षेत्र में परिवर्द्धन और विलोपन

ख. तनों और साथ ही साथ बढ़ते स्टॉक की संख्या में वृद्धि के अनुसार निवल कार्बन उद्ग्रहण

ग. एफएमयू स्तर पर, और साथ ही साथ एफएमई स्तर पर, दोनों स्तरों पर वन से कार्बन की निवल निकासी का परिमाणीकरण

घ. पुनःवनीकरण / पुनर्वासन गतिविधियों की सफलता

**मापदंड 6.2 : एफएमई कार्य के संचालन में जलवायु अनुकूल गतिविधियों को अनुकूलित और एकीकृत करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है, जैसे वन प्रचालन द्वारा जीवाश्म ईंधन उपयोग को न्यूनतम करने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, संसाधन इष्टतमीकरण इत्यादि में।**

संकेतक 6.2.1 : एफएमई को अपने प्रबंधन प्रचालनों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों, में कार्बन निशानों (फुटप्रिंट) का मूल्यांकन करना चाहिए और कार्बन निशान को कम करने के लिए इसका मूल्यांकन करना चाहिए और उपाय क्रियान्वित करना चाहिए।

संकेतक/सूचक 6.2.2 : एफएमई को वन प्रचालनों द्वारा और उद्यम के संचालन में जीवाश्म ईंधन उपयोग को कम करने के प्रति एक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए।

संकेतक/सूचक 6.2.3 : एफएमई प्रचालन की प्रकृति और दायरे के आधार पर ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) निशान कमी तंत्र का एक अनुक्रमण स्थापित कर सकता है और प्रचालनात्मक विचारणों के अध्यक्षीन उनका क्रियान्वयन शुरू कर सकता है।

**मापदंड 6.3 : एफएमई वन प्रबंधन प्रचालनों को जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) के साथ संरेखित करता है, जो वन प्रबंधन के लक्ष्यों को पूरा करने के अध्यक्षीन होगा। इस संरेखण में जलवायु परिवर्तन शमन कार्रवाइयां और आश्रित समुदायों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता का संवर्धन करना शामिल है।**

संकेतक/सूचक 6.3.1 : एफएमई प्रबंधकों के पास एसएपीसीसी की प्रतियां उपलब्ध होनी चाहिए।

संकेतक/सूचक 6.3.2 : एफएमई को अपने प्रचालन दायरे के अंदर उन कार्रवाइयों का अभिनिर्धारण करना चाहिए जिनसे जलवायु परिवर्तन का शमन होगा और / या वन आश्रित समुदायों की जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता का संवर्धन होगा।

संकेतक/सूचक 6.3.3 : वन प्रबंधन प्रचालनों के आकार, पैमाने और प्रबलता के आधार पर, एफएमई संकेतक/सूचक 6.3.2 में अभिनिर्धारित कार्रवाइयों को प्रतिभागी एफएमयू में क्रियान्वित कर सकता है, जो एसएपीसीसी के उपयुक्त और समनुरूप हो।

संकेतक/सूचक 6.3.4 : यदि एफएमयू के अंदर एसएपीसीसी के उपयुक्त कोई कार्रवाई करना संभव नहीं होता है तो एफएमई, एफएमयू के अंदर या बाहर, एसएपीसीसी के प्रावधानों के संगत, एसएपीसीसी और / या अन्य विद्यमान राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की सिफारिशों से अंतःपुच्छन करवा कर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे सकता है।

**मापदंड 6.4 : एफएमई, लंबी अवधि में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत तंत्रों के अनुसार परिभाषित आधार रेखाओं के प्रति कार्बन शमन कार्रवाइयों का वैधीकरण और सत्यापन करता है, और इसे उपलब्ध राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्रों में पंजीकृत करता है।**

संकेतक/सूचक 6.4.1 : एफएमई वन प्रबंधन प्रचालन इस प्रकार से विकसित कर सकता है कि उन्हें उपयुक्त तंत्रों के अधीन उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्रों में एक परियोजना के रूप में पंजीकृत किया जा सके। ऐसा करने के लिए एफएमई को निम्नलिखित की जरूरत होगी :

क. एफएमई की परियोजना परिसीमाओं को परिभाषित करना, जिस पर एक कार्बन परियोजना के रूप में विचार हो और उसे विकसित किया जा सके।

ख. वर्तमान कार्बन स्टॉक (भूमि के ऊपर, भूमि के नीचे और खंडहर) और साथ ही साथ कार्बन प्राच्छादन की दृष्टि से बढ़ते स्टॉक का मूल्यांकन करने और परिमाणीकरण करने के लिए आधार रेखा अध्ययन करना

ग. परियोजना अतिरिक्तता, अपरिमेयता और रिसाव कारकों का मूल्यांकन और प्रलेखन

घ. पीडीडी (परियोजना डिजाइन दस्तावेज) विकसित करना

संकेतक/सूचक 6.4.2 : एफएमई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री की पहचान कर सकता है जिसमें वे मूल्यांकन और वैधीकरण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के साथ परियोजना का पंजीकरण करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

संकेतक/सूचक 6.4.3 : सत्यापन और वैधीकरण मूल्यांकन निष्पादित करने के लिए और यथोचित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री में इस परियोजना को पंजीकृत करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु एफएमई डीओई (अभिहित प्रचालन निकाय) का चयन कर सकता है।

## विषय घ : वन संसाधनों का संधारणीय और किफायती उपयोग

यह विषय वनों से संबद्ध हितलाभों की एक सूची के साथ, वन उत्पादों और सेवाओं के उपयोग पर जोर के साथ, वन उत्पाद के विविध और संपूर्ण उपयोग, सुदृढ स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और विकास से संबद्ध है। इस विषय के अंतर्गत संबोधित अन्य मुद्दों में काष्ठ और गैर काष्ठ उत्पादों, अपव्यय न्यूनीकरण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाने के लिए मूल्य वर्धन, निष्कर्षण की प्रकृति और प्रकार से संबंधित दिशानिर्देशों सहित एनडब्ल्यूएफपी के संधारणीय निष्कर्षण के लिए लिखित ढाँचे की स्थापना, निष्कर्षण की प्रबलता और बारंबारता और बाढ़ की परती अवधियां शामिल हैं। यह विषय वन सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर सम्यक विचार के साथ वन प्रबंधन गतिविधियों को, स्थान और समय की दृष्टि से डिजाइन और क्रियान्वित करने के तरीके के साथ पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों और एफएमई प्रबंधन में उनके एकीकरण पर भी विचार करता है। इस विषय में पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए मूल्यांकन और भुगतान, आरईडीडी+, कार्बन प्राच्छादन इत्यादि से संबंधित उभरते पहलू भी शामिल हैं।

### सिद्धांत 7 : वन संसाधनों की सूची और संधारणीय कटाई व्यवस्था

मापदंड 7.1 : एफएमई निर्धारित वन क्षेत्र के अंदर सावधिक रूप से खड़े पेड़ों, बड़े होते पेड़ों और वन संसाधन पुनरुद्भवन सहित वन संसाधनों की सूची बनाता है, सर्वेक्षण करता है और चित्रण करता है। प्रमाणन के दायरे के अंतर्गत सभी व्यापार योग्य वन उत्पाद और अभिरक्षा श्रृंखला की सूची बनाई गयी है और उनका आर्थिक मूल्यांकन किया गया है।

संकेतक/सूचक 7.1.1 : एफएमई अपने क्षेत्राधिकार में और प्रमाणन दायरे में यथा प्रदत्त सभी वन संसाधनों का सावधिक सर्वेक्षण आयोजित करेगा और उनकी विस्तृत सूची तैयार करेगा।

संकेतक/सूचक 7.1.2 : प्रमाणन के दायरे में आने वाले सभी व्यापार योग्य वन उपजों की विस्तृत सूची बनायी जानी चाहिए (खड़े तैयार पेड़ों का स्टॉक और बढ़ते पेड़ों का स्टॉक दोनों)।

संकेतक/सूचक 7.1.3 : एफएमई सावधिक रूप से परिभाषित/निर्धारित वन क्षेत्रों में वन संसाधनों का एक मूल्यांकन करेगा और इसकी तुलना समरूप पारिस्थितिकीय प्रकार के

एक दुरुस्त वन की पुनःपूर्ति / वृक्ष पुनःस्थापन दरों के साथ करेगा। मूल्यांकन की सीमा का निर्धारण वन प्रबंधन गतिविधियों के आकार और प्रबलता पर आधारित होगी।

**मापदंड 7.2 : एफएमई हटाए जाने योग्य सामग्री का कुल परिमाण निर्धारित करेगा, जिसे सभी निष्कर्षणीय वन उपज के लिए प्राप्त किया जा सकता है, जिसका निर्धारण मानक स्वतंत्र मूल्यांकन पद्धतियों और / या स्थापित पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार किया जाता है।**

संकेतक/सूचक 7.2.1 : एफएमई वन उपज का वह परिमाण निर्धारित करेगा जिसकी परिभाषित वन क्षेत्र से कटाई की जा सकती है। तदनुसार प्रत्येक वन उपज की संधारणीय सीमाओं का प्रबंधन योजना में नियोजन किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 7.2.2 : एफएमई उन स्वतंत्र मूल्यांकन पद्धतियों और / या पारंपरिक प्रथाओं को परिभाषित और प्रलेखित करेगा जिसका उपयोग, व्यावहारिक आंकड़ा और प्रकाशित साहित्य के संयोजन के आधार पर वन उपज की संधारणीय उपज सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया गया था।

संकेतक/सूचक 7.2.3 : गैर काष्ठ वन उपज के मामले में, जहाँ एफएमई के लिए संधारणीय उपज सीमा निर्धारित करना कठिन है, एफएमई उदार दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निष्कर्षण के लिए संधारणीय कटाई तकनीकों को परिभाषित और क्रियान्वित करेगा।

**मापदंड 7.3 : एफएमई यह सुनिश्चित करता है कि वन उपज निष्कर्षण उन स्तरों पर है जो संधारणीय हैं, और यह कि वन उपज का वार्षिक निष्कासन प्रत्येक अलग अलग वन संसाधन (अर्थात् काष्ठ और गैर-काष्ठ) के लिए निर्धारित सीमा के बिल्कुल अंदर है।**

संकेतक/सूचक 7.3.1 : एफएमई प्रबंधन चक्र की प्रबंधन योजना में सभी व्यापार योग्य वन उपज के लिए कटाई दरें निर्धारित करेगा। इन कटाइयों को संधारणीय स्तर पर बनाए रखा जाता है और संसाधन सूची वृद्धिशील प्रवृत्ति दर्शाती है, या इसे भविष्य में भी कम से कम वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जाता है।

संकेतक/सूचक 7.3.2 : प्राकृतिक वन प्रबंधन गतिविधियों के लिए, औसत वार्षिक कटाई, या तो, क्षेत्रफल, परिमाण या द्रव्यमान की दृष्टि से, मापदंड 7.2 के माध्यम से निर्धारित

वार्षिक निष्कासन योग्य कटाई सीमाओं और प्रबंधन योजना के तहत विहित सीमाओं को पार नहीं करेगी।

संकेतक/सूचक 7.3.3 : वृक्षारोपण प्रबंधन के लिए, संवृद्धि और कटाई दरें (विरलन और अंतिम कटाई के लिए) सुप्रलेखित सूचना और / या क्षेत्र परीक्षण पर आधारित होंगी, और राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर प्रजातियों के प्रेक्षित व्यवहार के संगत होंगी। सभी मामलों में, मापदंड 7.2 में विनिर्दिष्ट ऊपरी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

**मापदंड 7.4 : एनडब्ल्यूएफपी (गैर काष्ठ वन उपज) के निष्कर्षण के संबंध में एफएमई द्वारा लिखित दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं और इसे बनाए रखा जाता है और इसकी निगरानी की जाती है।**

संकेतक/सूचक 7.4.1 : एफएमई प्रबंधन योजना में एनडब्ल्यूएफपी के निष्कर्षण और निष्कासन हेतु दिशानिर्देश प्रलेखित करेगा। इन दिशानिर्देशों में वे दिशानिर्देश भी शामिल होंगे जो कटाई / संग्रहण की प्रकृति, परती अवधियों, संधारणीय कटाई के सुरक्षित स्तर और कटाई की गहनता और बारंबारता से संबंधित होंगे।

संकेतक/सूचक 7.4.2 : एफएमई कटाई की गहनता और बारंबारता, निष्कर्षण की प्रकृति और प्रकार, कटाई की गयी मात्रा और कटाई के क्षेत्रफल सहित एनडब्ल्यूएफपी की कटाई / संग्रहण का अभिलेख बनाए रखेगा।

संकेतक/सूचक 7.4.3 : कटाई / संग्रहण अभिलेख का एफएमई द्वारा मापदंड 7.3 के प्रावधानों द्वारा यथा निर्धारित एक उदार कटाई दर की गणना करने के लिए निगरानी और वस्तु सूची को शामिल कर बाद की कटाई के स्तरों पर निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

## **सिद्धांत 8 : वनों से लाभ**

मापदंड 8.1 : यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन उत्पादकता बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश किए जा रहे हैं और प्रथाएं स्थापित की गयीं हैं, एफएमई दुरुस्त और दीर्घावधिक आर्थिक व्यवहार्यता की दिशा में प्रयत्न करता है, जबकि उत्पादन की पारिस्थितिकीय, सामाजिक और प्रचालन लागतों का भी ध्यान रखता है। (प्राथमिक

रूप से एक सामाजिक अधिदेश, या संरक्षण दृष्टिकोण से प्रबंधित वनों के लिए, उद्यम की आर्थिक व्यवहार्यता से संबंधित संकेतक/सूचक के प्रासंगिक भाग लागू नहीं होंगे)

संकेतक/सूचक 8.1.1 : एफएमई वन प्रबंधन गतिविधियों से संबद्ध सभी आय और साथ ही साथ लागतों को शामिल करने के लिए अपनी गतिविधियों का लघु, मध्यम और दीर्घावधिक बजटीकरण करता है। सभी सामाजिक, पारिस्थितिकीय और प्रचालनगत लागतों पर विचार करते हुए कम से कम लंबी अवधि में उद्यम की वित्तीय व्यवहार्यता आर्थिक प्रतिमान में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है।

संकेतक/सूचक 8.1.2 : संकेतक/सूचक 8.1.1 में निर्णीत बजट के अनुसार प्रबंधन योजना के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए पूंजी, मशीनरी और मानव संसाधनों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करने के प्रयोजन से एफएमई के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए।

संकेतक/सूचक 8.1.3 : यह सुनिश्चित करने के लिए कि दीर्घ अवधि में एफएमई की आर्थिक स्थिरता बनी रहे, एफएमई आय सृजन कार्य-कलापों और साथ ही साथ वर्तमान और प्रस्तावित निवेशों सहित अपनी प्रबंधन गतिविधियों की सावधिक समीक्षा (प्रमाण पत्र की वैधता के दौरान कम से कम एक बार) करेगा।

**मापदंड 8.2 : एफएमई यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन संव्यवहार और निर्णय, स्थानीय मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण, और स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण पर जोर के साथ वन संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।**

संकेतक/सूचक 8.2.1 : एफएमई को विभिन्न काष्ठ और गैर - काष्ठ वन उत्पादों के संधारणीय उपयोग पर आधारित एक विविधिकृत अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

संकेतक/सूचक 8.2.2 : वन संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एफएमई को नियोजित प्रबंधन गतिविधियों के साथ, जहाँ आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, परंपरागत प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए।

संकेतक/सूचक 8.2.3 : लागत को ध्यान में रखने के अध्यक्षीन वनों से व्युत्पन्न वाणिज्यिक उत्पादों के मान और विविधता को बढ़ाने के लिए एफएमई काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादों के स्थानीय और/या डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेगा।

**मापदंड 8.3 : एफएमई कटाई, निष्कर्षण और प्रसंस्करण सहित वन प्रबंधन गतिविधियों के दौरान वन वर्धमान संग्रह और अन्य वन संसाधनों की क्षति को न्यूनतम रखना सुनिश्चित करेगा। इसमें कटाई पश्च अपशिष्ट, कटाई अवशेष और वन से गैर वाणिज्यिक बीनाई / निष्कासन शामिल है।**

संकेतक/सूचक 8.3.1 : एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि कटाई कार्यों में खड़े पेड़ों का अपव्यय और क्षति कम से कम हो।

संकेतक/सूचक 8.3.2 : पर्यावरण प्रभावों से बचने के लिए या इन्हें सीमित करने के लिए और उत्पाद अपव्यय को कम करने के लिए अहाता में संग्रह, कुंदा अवतरण / कुंदों का ढेर बनाने और कुंदा चयन कार्य की रूपरेखा इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि इनकी संख्या और आकार कम से कम हो।

संकेतक/सूचक 8.3.3 : आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों (जैसे भावी वनों के लिए कार्बनिक और पोषण मूल्य और वनों में बड़े हुए दहनशील ईंधन भार निर्माण) पर विचार करते हुए स्थल पर कटाई अवशेष (पेड़ों की छाटन, डालियां, कटे टुकड़े इत्यादि) और साथ ही साथ अन्य जैव भार को अवधारित रखने के लिए एफएमई के पास लिखित दिशानिर्देश होने चाहिए।

संकेतक/सूचक 8.3.4 : एफएमई कम प्रयुक्त प्रजातियों और साथ ही साथ निम्नतर और / या गैर वाणिज्यिक श्रेणियों के काष्ठ सहित अपने उत्पाद के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगा सकता है।

संकेतक/सूचक 8.3.5 : एफएमई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कटाई के पश्चात् पुनः रोपाईं/ पुनरुद्भवन समय पर और सफल हो, और इस प्रकार से हो जिससे कि बाद की कटाइयों से पूर्व वन संसाधन की जीवन क्षमता बहाल हो जाए।

**मापदंड 8.4 : एफएमई प्रचालन वन पारिस्थितिक तंत्र प्रकार्यों, सेवाओं और संसाधनों को मान्यता देते हैं, इन्हें जारी रखते हैं, और जहाँ उपयुक्त होता है इनका मूल्य बढ़ाते हैं। ये**

प्रचालन विद्यमान कानूनी / नियामक ढाँचा के अनुसार और परिभाषित वन क्षेत्र की पारिस्थितिकीय वहन क्षमता पर गौर करते हुए एफएमई द्वारा विनियमित किए जाते हैं, इनकी निगरानी की जाती है और इन्हें नियंत्रित किया जाता है।

संकेतक/सूचक 8.4.1 : एफएमई परिदृश्य से संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के पूरे विस्तार/वर्णपट की पहचान करेगा और प्रलेखित करेगा और गैर काष्ठ वन सेवाओं, जो या तो आय सृजित करने वाला हो या न हो, के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता प्रदर्शित करेगा।

संकेतक/सूचक 8.4.2 : वन प्रबंधन कार्य-कलापों को वन सेवाओं पर उनके प्रभावों पर उचित विचार करते हुए, स्थानिक और कालतः, डिजाइन और क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

संकेतक/सूचक 8.4.3 : एफएमई उन हितधारकों के साथ नियमित रूप से वार्ता करेगा जिन पर वन प्रचालनों का प्रभाव पड़ सकता है।

संकेतक/सूचक 8.4.4 : एफएमई, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए जैसे आरईडीडी+, पारिप्रणाली सेवा आदि के लिए भुगतान, वन संसाधनों की संधारणीयता और विद्यमान विनियामकीय ढाँचा पर विचारन के अध्यक्षीन, वन संसाधनों और सेवाओं के उपयोग को अधिकतम कर सकता है।

**विषय ड : सामाजिक रूप से उत्तरदायी वन प्रबंधन -  
समाज और समुदाय के अधिकार और संबंध**

यह विषय आदिवासियों, स्थानीय समुदायों, वन वासियों और वन श्रमिकों से संबद्ध अधिकारों, रियायतों और विशेषाधिकारों और मामलों से संबंधित है। इसमें कार्य-स्थल, स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी पहलुओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा में वनकर्मियों के प्रशिक्षण, और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को शामिल करते हुए एक सुरक्षित कार्य वातावरण, लिखित नीतियों और दिशानिर्देशों के लिए एफएमई द्वारा की गयी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इस विषय द्वारा संबोधित अन्य मुद्दों में मजदूरों द्वारा संघ बनाने और सामूहिक रूप से सौदा/समझौता करने का अधिकार, जाति, धर्म, लिंग, उम्र के आधार पर श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, यह विषय वन संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के अधिकार, इन अधिकारों के उपयोग और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) प्राप्त करने के बाद उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग, और प्रबंधन गतिविधि के कारण होने वाले किसी भी अनजाने नुकसान या नकारात्मक प्रभावों के लिए मुआवजा, और जिसे कानूनी सुरक्षा उपायों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है, शामिल है। स्थायी, अस्थायी और अनुबंध श्रमिकों के साथ, यह विषय स्व-नियोजित व्यक्तियों के साथ-साथ मात्रानुपातिक श्रमिकों (जो भारतीय संदर्भ में सर्वाधिक हैं) के अधिकारों को भी संबोधित करता है।

**सिद्धांत 9 : समुदाय के अधिकार और संबंध - वन प्रबंधन प्रचालन स्थानीय समुदायों, वन वासियों और मूल निवासियों / आदिवासियों के अधिकारों को स्वीकार करता / मान्यता देता है और उनके दीर्घावधिक सामाजिक और आर्थिक दुरुस्तगी बनाए रखता है और बढ़ाता है।**

**मापदंड 9.1 : एफएमई वन वासियों, आदिवासियों और अन्य वन आश्रित समुदायों के अधिकारों को स्वीकार करता है और सम्मान करता है।**

संकेतक/सूचक 9.1.1 : एफएमई प्रमाणन के दायरे में आने वाले वन क्षेत्रों से संबद्ध विभिन्न वनवासी समूहों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों का अभिनिर्धारण करेगा और प्रलेखित करेगा।

संकेतक/सूचक 9.1.2 : एफएमई प्रमाणन के दायरे में आने वाले वन क्षेत्रों से संबद्ध वनवासी समूहों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का आकलन करेगा और प्रलेखित करेगा।

संकेतक/सूचक 9.1.3 : एफएमई के शीर्ष प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित एफएमई की एक लिखित प्रतिबद्धता होगी, कि यह वनवासियों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को स्वीकार करता है और उनके अधिकारों का सम्मान करता है।

संकेतक/सूचक 9.1.4 : एफएमई वनवासियों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के अतिक्रमण / उल्लंघन से संबंधित किसी शिकायत या शिकवे को अभिलेखित करेगा और प्राथमिकता के आधार पर उनका हल निकालेगा।

**मापदंड 9.2 : एफएमई वनवासियों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के नियोजन, प्रशिक्षण और अन्य सामाजिक सेवाओं की पहचान करता है और इनके अवसर उपलब्ध कराता है।**

संकेतक/सूचक 9.2.1 : एफएमई वनवासियों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों को नियोजन, प्रशिक्षण और अन्य सामाजिक सेवाओं के अवसर प्रदान करेगा।

संकेतक/सूचक 9.2.2 : एफएमई स्थानीय समुदायों और आदिवासियों के कौशल समुच्चयों और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में योगदान करेगा और रोजगार, संविदाकरण, व्यापार और मूल्य वर्द्धन में अवसरों की पहचान के बारे में स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करता है।

**मापदंड 9.3 : वन प्रजातियों के उपयोग या पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में वन वासियों के पारंपरिक ज्ञान को स्वीकार किया जाता है और प्रलेखित किया जाता है और वन प्रचालनों में ऐसे ज्ञान के किसी उपयोग के लिए उचित प्रतिकर प्रदान किया जाता है। इसके लिए प्रतिकर पर औपचारिक रूप से करार किया जाता है और वन प्रचालनों की शुरुआत से पूर्व उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति ली जाती है।**

संकेतक/सूचक 9.3.1 : वन प्रजातियों, प्रबंधन प्रणालियों या वन उत्पादों और सेवाओं के उपयोग के संबंध में वन वासियों के पारंपरिक ज्ञान के किसी उपयोग को प्रलेखित किया जाता है।

संकेतक/सूचक 9.3.2 : मौजूदा विधानों के अनुसार या समझौता द्वारा वन वासियों के पारंपरिक वन संबंधी ज्ञान और प्रथा के वाणिज्यिक उपयोग के लिए उचित प्रतिकर प्रदान करने हेतु एफएमई द्वारा एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 9.3.3 : प्रचालनों को शुरू करने से पूर्व ऐसे प्रतिकर के लिए मानदंड और तंत्र, जिसके लिए संकेतक/सूचक 9.3.2 में योजना बनाई गयी है, पर वन वासियों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति पर औपचारिक रूप से समझौता किया जाएगा।

**मापदंड 9.4 : एफएमई भावी आयोजना, जिसमें गतिविधियों का विस्तार और / या तीव्रीकरण / समेकन भी शामिल है, में मार्गदर्शन हेतु अपनी प्रबंधन गतिविधियों के अभिज्ञात सामाजिक प्रभावों के परिणामों का उपयोग करता है। प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के भाग के रूप में, एफएमई एफपीआईसी के आधार पर सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हितधारक परामर्श करता है, हितधारक परामर्श के दौरान प्राप्त आदानों को अभिलेखित करता है और ऐसी गतिविधियों की आयोजना चरण में अर्थात् क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित हितधारकों द्वारा व्यक्त किसी चिंता के उपशमन के लिए सक्रिय प्रयास करता है।**

संकेतक/सूचक 9.4.1 : एफएमई अपने वन प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित प्रबंधन कार्यकलापों के सामाजिक प्रभावों का स्वतंत्र मूल्यांकन (वन प्रबंधन प्रचालनों के पैमाने और प्रबलता और साथ ही साथ इसके साथ संबद्ध जोखिमों के आधार पर) करेगा।

संकेतक/सूचक 9.4.2 : यह मूल्यांकन सावधिक रूप से किया जाएगा, प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के दौरान कम से कम एक बार या वन प्रबंधन प्रचालनों और वन संसाधन या प्रबंधन क्रिया-कलापों में बड़े परिवर्तनों के पैमाने के लिए यथा उपयुक्त अधिक बार किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 9.4.3 : एफएमई द्वारा प्रभाव आकलन प्रक्रिया के भाग के रूप में स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति के आधार पर एक हितधारक सहलग्नता प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों की सूची अभिलेखित और अद्यतित की जाएगी और साथ ही हितधारकों की टिप्पणियों और सरोकारों को प्रलेखित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 9.4.4 : एफएमई हितधारकों की चिंताओं का सक्रिय रूप से शमन करने के लिए सभी उपाय करेगा और वर्तमान प्रचालन दायरे और साथ ही साथ प्रचालनों के विस्तार / तीव्रतीकरण / समेकन या बंद करने के मामलों सहित आयोजना कार्यकलापों में प्रभाव आकलन के उपयोग को प्रदर्शित करेगा।

**मापदंड 9.5 : एफएमई यह सुनिश्चित करता है कि वन प्रबंधन प्रचालन स्थानीय आश्रित आबादी के संसाधनों और अधिकारों को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः खतरे में नहीं डालता है या क्षीण नहीं करता है और इन प्रचालनों के संबंध में स्थानीय समुदायों या अन्य हितधारकों द्वारा की गयी किसी शिकायत का हल निकालने और समाधान करने के लिए तंत्र स्थापित करता है। उन मामलों में जहाँ वन प्रबंधन प्रचालनों के कारण अनजाने में स्थानीय समुदायों विशेषकर आदिवासियों की संपत्ति, संसाधन, आजीविका या अधिकारों की कोई हानि या क्षति हो जाती है, ऐसी हानियों और क्षतियों की यथा लागू कानूनी साधनों के प्रावधानों के माध्यम से हल निकाला जाता है। कानूनी ढाँचे के अनुसार प्रदत्त क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, और विशेषकर उन मामलों में जहाँ ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति कानूनी ढाँचों में समाहित नहीं है, एफएमई इन शिकायतों का समाधान करने के लिए और इन प्रभावित पक्षकारों को एक निष्पक्ष, यथोचित परिणाम प्रदान करने हेतु एफएमई एफपीआईसी के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत उपयुक्त और प्रलेखित प्रक्रियाविधि निष्पादित करता है ।**

संकेतक/सूचक 9.5.1 : एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि वन प्रबंधन कार्य (अधिकार निहित वनों में) स्थानीय समुदायों, वन वासियों और आदिवासियों के संसाधनों और अधिकारों को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हानि नहीं पहुँचाता है क्षीण नहीं करता है। स्थानीय समुदायों, आदिवासियों और अन्य वनवासियों के कानूनी अधिकार, संपत्ति, संसाधनों, या आजीविका की हानि करने या क्षति पहुँचाने से बचने के लिए यथोचित उपाय करेगा।

संकेतक/सूचक 9.5.2 : जहाँ यह साक्ष्य मौजूद होता है कि स्थानीय समुदायों, वन वासियों और आदिवासियों के संसाधनों और अधिकारों का वन प्रबंधन प्रचालनों द्वारा उल्लंघन किया गया है, एफएमई इस उल्लंघन का समाधान निकालने के लिए कदम उठाएगा, और उठाए गए कदमों को प्रलेखित करेगा।

संकेतक/सूचक 9.5.3 : एफएमई इस संबंध में कोई शिकावा / शिकायत सहित, संसाधनों और अधिकारों को हुई क्षति के सभी दृष्टांतों और साथ ही साथ प्रभावित पक्षकारों का अभिलेख बनाएगा।

संकेतक/सूचक 9.5.4 : स्थानीय समुदायों, आदिवासियों और वनवासियों की संपत्तियों, संसाधनों, आजीविका या अधिकारों को हानि पहुँचाने या क्षति पहुँचाने के मामलों में, समस्याओं को यथा लागू कानूनी साधनों के प्रावधानों के माध्यम से हल किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 9.5.5 : उन मामलों में जहाँ ऐसी हानि कानूनी ढाँचा द्वारा कवर नहीं हैं, इन शिकायतों के समाधान के लिए और इन प्रभावित पक्षकारों को निष्पक्ष परिणाम प्रदान करने के लिए एफएमई प्रभावित पक्षकारों के साथ एफपीआईसी के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत यथोचित और प्रलेखित प्रक्रियाविधियां निष्पादित करेगा।

संकेतक/सूचक 9.5.6 : नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव के प्रकार, उसकी गंभीरता, पैमाने और प्रबलता के आकलन के आधार पर और साथ ही साथ एफपीआईसी प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर ऐसे नुकसान के लिए उचित, न्यायसंगत मुआवजे की गणना करने और प्रदान करने के लिए एफपीई के पास लिखित प्रक्रियाविधियां होगी।

**मापदंड 9.6 : वन आश्रित समुदायों के विशेष सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, पारिस्थितिकीय, या आर्थिक, महत्व के स्थलों का ऐसे लोगों के साथ समन्वय कर स्पष्ट रूप से पहचान की जाती है और एफएमई द्वारा मान्यता दी जाती है और संरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थलों की सुरक्षा करने के लिए मूल निवासियों / स्थानीय समुदायों के अधिकारों को एफएमई द्वारा मान्यता दी जाती है और आदर किया जाता है।**

संकेतक/सूचक 9.6.1 : वन समुदायों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ एफएमई वन आश्रित समुदायों के विशेष सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय, आर्थिक या धार्मिक महत्व के स्थानों की पहचान, चित्रण करेगा और जहाँ संभव हो जमीन पर सीमांकित करेगा।

संकेतक/सूचक 9.6.2 : प्रबंधन योजना में विशेष महत्व के ऐसे स्थलों की पहचान और सुरक्षा के लिए लिखित नीतियां होंगी और ऐसे स्थलों की सुरक्षा में एफएमई कर्मचारियों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 9.6.3 : पुरातात्विक अभिरुचि के विशेष स्थलों के निर्णय के संबंध में उपयुक्त अधिकारियों को सूचना दी जाती है और एफएमई उक्त क्षेत्रों के लिए इन प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए उपयोग प्रतिबंधों का पालन करेगा।

संकेतक/सूचक 9.6.4 : एफएमई विशेष सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, मनोरंजन, विरासत या धार्मिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए मूल निवासी / स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देगा और उनका सम्मान करेगा और स्वामित्व अधिकारों और अन्य के अधिकारों, वन संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रभाव और साथ ही साथ वन के अन्य प्रकार्यों के साथ अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए समुदायों को इन स्थलों तक पर्याप्त पहुँच की अनुमति देगा।

**सिद्धांत 10 : श्रमिकों के अधिकार - सभी स्तरों पर स्थायी, अस्थायी और अनुबंध श्रमिकों सहित।**

**मापदंड 10.1 : एफएमई कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को शामिल करने वाले सभी प्रयोज्य कानूनों और / या विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है या उससे अधिक करता है।**

संकेतक/सूचक 10.1.1 : एफएमई निम्नलिखित कार्रवाइयों के द्वारा एक सुरक्षित कार्य परिवेश का पोषण करेगा:

- क. सभी प्रासंगिक कार्य-स्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करके
- ख. कार्य-स्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार सुगम करके
- ग. संबद्ध स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम की पहचान करके और एक ऐसे कार्य परिवेश का अंगीकरण करके जो स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालते हों।
- घ. कार्य-स्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा विषय पर वन श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके।

संकेतक/सूचक 10.1.2 : एफएमई के पास कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रचालन के पैमाने के लिए उपयुक्त लिखित दिशानिर्देश और नीतियां होंगी, और जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगी।

संकेतक/सूचक 10.1.3 : एफएमई प्रासंगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों और विनियमों के बारे में अद्यतित जानकारी बनाए रखेगा और इस जानकारी को वन कर्मचारियों को प्रसारित करेगा।

संकेतक/सूचक 10.1.4 : एफएमई अद्यतित दुर्घटना / कार्यस्थल चोट / सुरक्षा अभिलेख बनाए रखेगा; इन अभिलेखों को दुर्घटना के प्रकार और इसकी प्रकृति, कारण और किए गए उपशामक उपाय को परिलक्षित करने के लिए अद्यतित किया जाता है।

संकेतक/सूचक 10.1.5 : सभी वन श्रमिकों को उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे; वन श्रमिक सुरक्षा उपकरणों का उचित उपयोग करते हैं और उचित प्रबंधन और कटाई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं।

संकेतक/सूचक 10.1.6 : एफएमई खराब या अपर्याप्त कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा।

संकेतक/सूचक 10.1.7 : एफएमई किसी भी व्यावसायिक चोटों या कार्यक्षेत्र संबंधित चोटों के मुआवजे के लिए न्यूनतम आवश्यकता के रूप में, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रासंगिक प्रावधानों को स्थापित और कार्यान्वित करेगा।

**मापदंड 10.2 : एफएमई सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) समझौतों का सम्मान और कार्यान्वयन करता है, जो आईएलओ के कार्य-स्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा (1998) में शामिल है।**

संकेतक/सूचक 10.2.1 : एफएमई उन सभी लागू आईएलओ समझौतों का सम्मान करेगा और उन्हें क्रियान्वित करेगा, जिनकी भारत ने अभिपुष्टि की है, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं,

क. आईएलओ संधि सं. 87 के अनुसार श्रमिकों को उनकी स्वयं की पसंद की ट्रेड यूनियनों में स्वतंत्रपूर्वक संगठित होने के लिए प्रावधान

ख. श्रमिकों को संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी करने जिनके परिणामस्वरूप आईएलओ संधि सं. 98 - संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी अधिकार संधि, 1949 - अनुच्छेद 1 और 2, के अनुसार करार होता है।

ग. आईएलओ संधि सं. 111 - भेदभाव (नियोजन और पेशा), 1958 - समान व्यवहार अधिकार

घ. आईएलओ संधि 100 - समान पारिश्रमिक, 1951 - समान वेतन का अधिकार

संकेतक/सूचक 10.2.2 : एफएमई द्वारा लागू कानूनों और / या विनियमों के तहत गारंटीशुदा लाभ और सुरक्षा के श्रमिकों का अधिकार आशवासित किया जाएगा और उसके लिए प्रावधान किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 10.2.3 : एफएमई द्वारा श्रमिकों और / या उनके संगठनों द्वारा की गयी शिकायतों / उठाए गए विवादों के समाधान के लिए प्रलेखित प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

संकेतक/सूचक 10.2.4 : विवाद समाधान प्रक्रिया में, कम से कम, निम्नलिखित प्रकारों के विरोधों / विवादों, को स्वीकृत किया जाएगा और उनके समाधान के लिए उपयुक्त प्रक्रियाविधि विकसित करेगा (संगठन के पैमाने, प्रसार और संमिश्रता, श्रमिकों की भूमिकाओं की प्रकृति, और विरोधों की प्रबलता पर आधारित)

क. श्रमिक और प्रबंधन के बीच

ख. श्रमिकों या श्रमिक समूहों और / या संघों के बीच

ग. श्रमिक / प्रबंधन और वाह्य एजेंसियों के बीच

**मापदंड 10.3 : स्थायी, अस्थायी और संविदा श्रमिकों के लिए भर्ती, पदोन्नति, बर्खास्तगी, पारिश्रमिक और हितलाभ के लिए प्रासंगिक भारतीय श्रम कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लिखित दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं। एफएमई जाति, धर्म, लिंग, आयु आदि के आधार पर कर्मचारियों के बीच नकारात्मक भेदभाव नहीं करता है।**

संकेतक/सूचक 10.3.1 : एफएमई के पास एफएमई द्वारा नियोजित स्थायी, अस्थायी और ठेका श्रमिकों की भर्ती, पदोन्नति, बर्खास्तगी, पारिश्रमिक और लाभ के संबंध में प्रासंगिक भारतीय श्रम कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लिखित दिशानिर्देश होंगे।

संकेतक/सूचक 10.3.2 : एफएमई श्रमिकों को उनके लिए निर्धारित काम के घंटे, मजदूरी दरों, वेतन और हितलाभों को संसूचित करेगा और क्षेत्र कर्तव्यों में श्रमिकों को काम पर लगाने से पहले इनके बारे में उनकी सहमति के संबंध में लिखित दस्तावेज प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में जहां इस तरह के अधिकारों को कानूनी रूप से कवर नहीं किया गया है, एफएमई उद्योग सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार प्रावधानों की पहचान करेगा और लागू करेगा।

संकेतक/सूचक 10.3.3 : एफएमई जाति, धर्म, लिंग, उम्र, धर्म आदि के आधार पर कर्मचारियों / श्रमिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा।

संकेतक/सूचक 10.3.4 : एफएमई 14 वर्ष से कम उम्र के श्रमिकों को नियुक्त करने या संविदा पर रखने की अनुमति नहीं देगा।

संकेतक/सूचक 10.3.5 : सभी श्रमिकों को कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान किया जाएगा; जो निम्न वेतन अनुसूचियों में से एक, जो भी अधिक हो के रूप में लागू किया जाएगा :

- क. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा यथा निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी
- ख. राज्य विशिष्ट दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर
- ग. एमजीएनआरईजीए राज्य विशिष्ट दैनिक मजदूरी दर
- घ. श्रमिकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त मजदूरी समझौता

संकेतक/सूचक 10.3.6 : एफएमई इस मानदंड के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित श्रमिकों द्वारा उठाए गए किसी भी शिकायत की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए, अपने प्रबंधन के भीतर से पर्याप्त रैंक का एक अधिकारी नियुक्त करेगा।

**मापदंड 10.4 : वन प्रबंधन प्रचालनों के पैमाने और प्रबलता के उपयुक्त एफएमई प्रबंधन योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए वन श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।**

संकेतक/सूचक 10.4.1 : एफएमई प्रबंधन योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु अपने श्रमिकों के लिए एक प्रलेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा।

संकेतक/सूचक 10.4.2 : सभी एफएमई कर्मचारियों को प्रबंधन योजना के उचित कार्यान्वयन में प्रशिक्षित किया जाएगा। एफएमई इन प्रशिक्षणों के सभी अभिलेख बनाए रखता है।

संकेतक/सूचक 10.4.3 : एफएमई को वन प्रबंधन गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान सभी कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। सुरक्षा प्रशिक्षण / उपयोग प्रशिक्षण सहित ऐसे सभी उपकरणों और रसायनों के उपयोग का उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संकेतक/सूचक 10.4.4 : एफएमई प्रबंधन योजना के उचित कार्यान्वयन में आदिवासियों सहित वन आश्रित समुदायों को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। एफएमई स्थानीय श्रमिकों की क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में या तो योगदान देता है या सीधे तौर पर इसे विकसित करता है।

संकेतक/सूचक 10.4.5 : एफएमई श्रमिकों के प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों के परामर्श से, उनके आर्थिक सेहत में सुधार करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने हेतु श्रमिकों के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के अवसरों की पहचान करेगा।

## विषय च : पारिस्थितिकीय अखंडता और वन की सेहत - संरक्षण और प्रबंधन

यह विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और उच्च संरक्षण और जैव विविधता मूल्यों के संसाधनों के संरक्षण के मुद्दों से संबंधित है। यह विषय एफएमई के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत और उसकी जीवन शक्ति, और विविधता के अनुरक्षण और संरक्षण की भी देखभाल करता है - आनुवंशिक, प्रजातियों, परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर। संरक्षण क्षेत्रों में न केवल प्रजातियों के घनत्व या जैव विविधता के उच्च स्तर वाले क्षेत्र शामिल हैं, बल्कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रकार्य करते हैं और साथ ही साथ वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो स्थानीय लोगों के लिए सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे संरक्षण क्षेत्र के विशिष्ट संरक्षण गुण होते हैं जैसे संसाधन का अनूठापन / भावी पीढ़ियों के लिए इसकी प्रतिस्थापनीयता / अवशिष्ट रूप। यह विषय एक कार्यात्मक वन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर भी विचार करता है, जिसमें प्रावधान सेवाएं, नियामक सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं और सहायक सेवाएं शामिल हैं, जिनमें से कई मूर्त नहीं हो सकते हैं, परंतु जिनका नुकसान प्रणाली के पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करेगा।

**सिद्धांत 11: पारिस्थितिकी, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन - संरक्षण, संवर्धन और पुनर्वासन**

**मापदंड 11.1 :** एफएमई इस प्रकार से वन प्रबंधन प्रचालन करता है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की प्राकृतिक विशेषताओं को बनाए रखता है, जैव विविधता का संरक्षण करता है, जल संसाधनों की रक्षा करता है, भूमि क्षरण को रोकता है और क्षरित क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करता है। परिदृश्य के भीतर मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र के निरूपक प्रतिदर्श अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित हैं और मानचित्र पर दर्ज किए गए हैं, जो प्रचालन के पैमाने और प्रबलता और प्रभावित संसाधनों की विशिष्टता के लिए उपयुक्त हैं।

**संकेतक/सूचक 11.1.1 :** एफएमई एफएमयू के अंदर और जहाँ कहीं भी संभव हो बाहर भी, क्षेत्रीय परिदृश्य के अंदर मौजूद पारिस्थितिक तंत्रों के निरूपक प्रतिदर्श की पहचान, अभिलेखन करेगा और संरक्षित रखेगा।

संकेतक/सूचक 11.1.2 : एफएमई निरूपक परिदृश्य की प्रकृति, सीमा और संरचना के संबंध में सूचना का संग्रह करेगा और उसकी समीक्षा करेगा, और जहाँ कहीं भी संभव होगा उन्हें प्रबंधन योजना में शामिल करेगा।

संकेतक/सूचक 11.1.3 : एफएमयू के अंदर मौजूदा पारिस्थितिक तंत्रों के निरूपक प्रतिदर्श को मानचित्र पर ऐसे चित्रित किया जाएगा जैसा कि जमीन पर अभिहित किया गया हो, और संरक्षण प्रथाएं और नीतियां प्रबंधन योजना में शामिल किए जाएंगे। जहाँ इन परिदृश्यों को संरक्षित रखने के लिए मौजूदा कानूनी उपाय अपर्याप्त हैं, एफएमई ऐसे क्षेत्रों के संरक्षण में सहायता पहुँचाने के लिए कार्रवाई करेगा।

संकेतक/सूचक 11.1.4 : एफएमयू के अंदर दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों या वितरण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, संरक्षित प्रक्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाएगा और मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 11.1.5 : यदि एफएमयू में या परिवेशी परिदृश्य में संरक्षण प्रक्षेत्रों और जैविक गलियारे को स्पष्ट रूप से चित्रित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता है, तब एफएमई घटना के सामान्य क्षेत्रों और वन में वन्यजीव प्रवासन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त क्षेत्रों को प्रत्येक वन प्रकार के लिए प्रतिधारित रखा जाता है।

संकेतक/सूचक 11.1.6 : संरक्षित क्षेत्रों, संरक्षित प्रजातियों और उनके पर्यावासों का रखरखाव करने के लिए वन प्रबंधन कार्य निष्पादित करते समय विशिष्ट संरक्षणात्मक उपाय क्रियान्वित किए जाएंगे।

संकेतक/सूचक 11.1.7 : एफएमई समय-समय पर (वन प्रबंधन संचालन के पैमाने और प्रबलता और वन संसाधन की सीमा के आधार पर, लेकिन प्रबंधन योजना चक्र के दौरान कम से कम एक बार) प्रमुख जैविक और अजैविक कारकों की निगरानी करता है जो संभावित रूप से वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की सेहत और जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे कीट, रोग, अति चराई और अतिवृद्धि, अग्नि, और जलवायु कारकों द्वारा कारित क्षतियों, वायु प्रदूषकों या वन प्रबंधन गतिविधियों के कारण होने वाली क्षति।

संकेतक/सूचक 11.1.8 : एफएमई को समरूप वन प्रकार के सुसमृद्ध वनों के तना घनत्व स्तरों को हासिल करने के लक्ष्य के साथ कृत्रिम पुनरुद्भवन पर देशी प्रजातियों के प्राकृतिक उत्थान को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ऐसी वनीकरण और पुनर्वनीकरण गतिविधियों का संवर्धन करना चाहिए जो पारिस्थितिक सेहत में सुधार और उनकी बहाली में योगदान करते हों।

संकेतक/सूचक 11.1.9 : जब नए बाग खंड तैयार किए जा रहे हैं, तो बाग के पैमाने और सीमा को परिदृश्य के अंदर प्राकृतिक वन धानी (स्टैंड) के स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें प्रजाति मिश्रण और विविधता शामिल है।

संकेतक/सूचक 11.1.10 : वृक्षारोपण में, जहाँ कहीं भी संभव हो, प्रबंधन उद्देश्यों के साथ साथ वृक्षारोपण के पैमाने और सीमा के आधार पर प्रजातियों, उद्गमों, प्रतिरूपों, आयु वर्गों और / या आवर्तनों के मिश्रण को शामिल कर, विविधता लायी जानी चाहिए।

**मापदंड 11.2 : एफएमई वन क्षेत्रों की जैव विविधता और पारिस्थितिक कार्यों पर अपनी प्रबंधन गतिविधियों के प्रभावों पर विचार करता है और पिछली प्रबंधन गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त/खराब हो चुके पारिस्थितिक प्रकार्यों/मूल्यों का पुनर्वासन/पुनर्स्थापन करता है।**

संकेतक/सूचक 11.2.1 : एफएमई नियोजित प्रचालनों और किसी भी प्रमुख प्रबंधन मध्यवर्तन से पहले, एफएमयू में, पैमाने, आकार और संमिश्रता की दृष्टि से उपयुक्त, प्रबंधन प्रचालन के पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र आकलन करेगा।

संकेतक/सूचक 11.2.2 : वन प्रचालनों के संचयी प्रभावों को समझने के लिए, एफएमयू स्तर पर और साथ ही एक परिदृश्य स्तर पर प्रभाव आकलन किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 11.2.3 : एफएमई उन सभी हितधारकों की पहचान, चित्रण करेगा और उनके साथ परामर्श करेगा, जिनके एफएमई की प्रबंधन गतिविधियों से प्रभावित होने की संभावना है।

संकेतक/सूचक 11.2.4 : प्रबंधन गतिविधियों को प्रभाव आकलन के परिणामों के आधार पर डिज़ाइन किया जाएगा और, जहां आवश्यक हो, संशोधित किया जाएगा। वन

प्रचालनों को पर्यावरण पर वन प्रबंधन के प्रभाव को कम करने और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के नुकसान और क्षति से बचने के लिए अनुकूलित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 11.2.5 : प्रचालन कार्य शुरू करने से पहले नियोजित वन प्रबंधन गतिविधियों का वन संसाधनों और पारिस्थितिक प्रकार्यों के साथ-साथ वनवासियों और वन आश्रित समुदायों के जीवन और आजीविका पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संचयी प्रभावों पर विचार किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 11.2.6 : एफएमई सुनिश्चित करेगा कि स्थल विघ्नकारी गतिविधियों जैसे भूमि की तैयारी, देखभाल, कटाई, सड़क निर्माण इत्यादि के कारण वनों को कोई नुकसान न हो और वन में मिट्टी के प्राकृतिक गुणों और इसकी लंबे समय तक उत्पादकता बनाए रखी जाती है।

संकेतक/सूचक 11.2.7 : जहाँ पिछली प्रबंधन गतिविधियों के कारण वन का नुकसान / क्षरण हुआ है, एफएमई वन को फिर से पुनर्जनित करने और पारिस्थितिक प्रकार्यों और मूल्यों को प्राकृतिक अवस्था में पुनर्बहाल करने के लिए कदम उठाएगा और ये कदम इलाका विशिष्ट होने चाहिए।

संकेतक/सूचक 11.2.8 : एफएमई निम्नलिखित कार्रवाइयों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि जल संसाधनों की गुणवत्ता और परिमाण संरक्षित रहे और मृदा तथा जल क्षरण कम से कम हो

क. जल और मृदा संरक्षण के लिए नदियों और धाराओं की तटों पर या जल निकायों के चारों ओर प्रतिरोधक क्षेत्र (प्रतिरोधक (बफर) जोन) स्थापित कर; इन प्रतिरोधक क्षेत्रों को मानचित्रों पर चिन्हित किया जाएगा।

ख. वनों के अंदर और बाहर जलग्रहण क्षेत्रों को नुकसान से बचाना।

ग. 30 इंच से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में किसी मृदा विघ्नकारी गतिविधियों का नियंत्रण कर।

घ. वार्षिक चक्र के अंदर, और प्रबंधन योजना के निर्देशों के अनुसार देशी वनस्पतियों या आवरण फसलों का उपयोग करते हुए रिक्त, पेड़ रहित या हाल में साफ किए गए क्षेत्रों में पर्याप्त वनस्पति आवरण सुनिश्चित कर।

**मापदंड 11.3 :** आने वाले समय में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को उत्तरोत्तर रूप से कम करने के लक्ष्य के साथ एफएमई सुनिश्चित करता है कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के सभी उपयोग प्रबंधन पर्यवेक्षण के तहत और एक अनुमोदित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) के पूर्व-निर्धारित मापदंडों के अंदर कड़ाई से नियंत्रित किए जाते हैं।

संकेतक/सूचक 11.3.1 : नर्सरियों, एफएमयू या प्रसंस्करण सुविधाओं में सभी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग एक एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम के तहत होगा। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग केवल तब किया जाता है जब गैर-रासायनिक प्रबंधन अप्रभावी साबित हो जाते हैं।

संकेतक/सूचक 11.3.2 : एफएमई अपनी नीतियों और कार्यों के माध्यम से, रासायनिक कीटनाशकों और कवकनाशियों पर निर्भरता को कम करने और कीट और रोग नियंत्रण के लिए जैविक, वन वर्द्धन और अन्य गैर-रासायनिक तंत्रों पर निर्भरता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।

संकेतक/सूचक 11.3.3 : जहाँ वैकल्पिक कीट प्रबंधन तंत्र की कमी के कारण रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अपरिहार्य हो जाता है, एफएमई

क. प्रयुक्त रासायनिक कीटनाशकों की एक संपूर्ण सूची बनाएगा;

ख. उत्पाद का नाम और सक्रिय घटक, स्थान और अनुप्रयोग पद्धति, कुल अनुप्रयुक्त मात्रा, और अनुप्रयोग की तिथि दर्ज करेगा;

ग. रासायनिक कीटनाशकों के परिवहन, परिचालन, अनुप्रयोग, और भंडारण के दौरान सभी सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करेगा;

घ. यह सुनिश्चित करेगा कि कीटनाशकों का उपयोग कीटनाशक विनिर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में किया जाता है और सभी कार्मिक सुरक्षित अनुप्रयोग हेतु यथोचित उपस्कर और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हैं;

संकेतक/सूचक 11.3.4 : एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि

क. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) टाइप 1ए और 1बी में सूचीबद्ध कीटनाशकों को क्षेत्रों या नर्सरियों में उपयोग नहीं किया जाता है,

ख. प्रचालनों में सतत कार्बनिक प्रदूषक संबंधी स्टॉकहोम समझौता (2001) के तहत प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है

ग. क्लोरिनयुक्त हाइड्रोकार्बन और अन्य कीटनाशक जो जैविक रूप से सक्रिय रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में संचित रहते हैं, का एफएमई में प्रयोग निषिद्ध रहेगा।

संकेतक/सूचक 11.3.5 : रासायनिक उर्वरकों के सभी उपयोग एक एकीकृत रासायनिक प्रबंधन (आईएनएम) योजना के दायरे में होगा, और एफएमई किसी भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पहले क्षेत्र का एक पोषक विश्लेषण करेगा।

संकेतक/सूचक 11.3.6 : निम्नलिखित के संबंध में एफएमई की लिखित प्रक्रियाविधि होगी

क. रसायनों का सुरक्षित उपयोग,

ख. सुरक्षा उपकरणों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) का उपयोग।

ग. रसायनों के परिवहन, भंडारण, उपयोग और दुर्घटनावश रिसाव के लिए आपातकालीन प्रक्रिया विधियां।

घ. अकार्बनिक कचरों, पुनर्चक्रण अयोग्य अपशिष्ट और खाली पात्रों का इस प्रकार से निपटान कि यह पर्यावरण को क्षतिग्रस्त नहीं करता है।

ड. वन प्रचालनों के दौरान घटित किसी रसायनिक छलकाव का एक पर्यावरण हितैषी तरीके से रोकथाम और नियंत्रण।

**मापदंड 11.4 : जैविक नियंत्रण एजेंटों का उपयोग भारत के नियामक ढांचे के तहत आता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुसार प्रलेखित, मानीटर और कड़ाई से नियंत्रण किया जाता है। एफएमई जैविक नियंत्रण एजेंटों के समावेशन और उपयोग के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण रखता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग निषिद्ध होगा।**

संकेतक/सूचक 11.4.1 : एफएमई को वन प्रबंधन प्रचालनों के अंदर जब तक अपरिहार्य न हो, किसी जैविक नियंत्रण एजेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए।

संकेतक/सूचक 11.4.2 : जैविक नियंत्रण एजेंटों का कोई अपरिहार्य उपयोग तभी किया जाएगा जब नियंत्रण की अन्य पद्धतियां अप्रभावी साबित हो जाती हैं, और यह उपयोग का कड़ाई से प्रलेखन, मानीटर और नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

स्वीकृत प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा; और लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना में किया जाएगा। जैविक नियंत्रण एजेंटों का उपयोग हमेशा ही एहतियाती दृष्टिकोण से किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 11.4.3 : एफएमयू के अंदर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग (वाणिज्यिक उपयोग के रूप में और साथ ही साथ अनुसंधान प्रयोजनों के लिए उपयोग के रूप में परिभाषित) किसी भी परिस्थिति में अनुमत नहीं होगा।

**मापदंड 11.5: एफएमई के अंदर प्राकृतिक वन क्षेत्रों में और साथ ही साथ प्राकृतिक वन क्षेत्रों के अंदर बाग में विदेशी पौधों को लाना निषिद्ध है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों / टीओएफ के बाहर खेत वानिकी/बागों के मामले में, एफएमई विदेशी पौध प्रजातियों के प्रवेश का पारिस्थितिकीय प्रभावों का आकलन करता है, और उनका प्रवेश और प्रसार को, लागू कानूनों के अंतर्गत प्रोटोकॉल के अध्यक्षीन कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।**

संकेतक/सूचक 11.5.1 : एफएमई प्राकृतिक वन में विदेश प्रजातियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश केवल बागों में अनुमत है और न कि प्राकृतिक वनों में।

संकेतक/सूचक 11.5.2 : एफएमई द्वारा विदेशी प्रजातियों का प्रवेशन, इसके पारिस्थितिकीय प्रभावों और / या अनुभवजन्य या प्रजातियों के प्रवेश को सहायता प्रदान करने के लिए किए गए अनुसंधान के आंकड़ों की समीक्षा के उपरांत ही किया जाएगा। यह साबित करना आवश्यक होगा कि स्वदेशी प्रजातियां प्रबंधन लक्ष्यों को हासिल करने में अक्षम हैं।

संकेतक/सूचक 11.5.3 : प्रवेश से पूर्व एफएमई वैज्ञानिक रूप से किए गए अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से यह सत्यापित करेगा कि प्रस्तावित प्रजाति उस क्षेत्र के पर्यावरण और जैव-विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती हैं और लंबे समय में तेजी से फैलने वाले नहीं हैं। समरूप पारि-क्षेत्रों में प्रस्तावित विदेशी प्रजातियों के प्रवेश का भी इससे होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है।

संकेतक/सूचक 11.5.4 : उन क्षेत्रों में जहाँ पूर्व में प्रवेश दी गयी विदेशी प्रजातियां समस्या उत्पन्न करने वाली पायीं गयीं और / या तेजी से फैलने वाली प्रकृति की पायीं

गयीं, एफएमई नियंत्रण उपाय क्रियान्वित करेगा। इन उपायों में क्षेत्र से विदेशी प्रजातियों को चरणबद्ध तरीके से निकालना, स्वदेशी प्रजातियों का संवर्धन करना और स्वदेशी प्रजातियों के पुनरुद्भवन की अनुमति देना और विदेशी प्रजातियों के स्थान फिर से प्राप्त करना शामिल है, परंतु इन उपायों तक सीमित नहीं है।

संकेतक/सूचक 11.5.5 : एफएमई विदेशी प्रजाति धानों की अनुकूलता की सावधिक निगरानी करेगा, जैसा कि धातकता, रोग और कीड़ा प्रकोप के परिमित स्तर द्वारा इंगित किए जाते हैं।

संकेतक/सूचक 11.5.6 : बागानों में प्रयुक्त सभी विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन योजना, या किसी अन्य उपयुक्त दस्तावेज में, विदेशी प्रजातियों के उद्गम का स्रोत और उद्गम स्थान या प्रतिरूप विवरण का अभिलेखन करेगा।

**मापदंड 11.6 : एफएमई प्राकृतिक वनों को बागानों में परिवर्तित नहीं करता है और ना ही प्राकृतिक वनों या बागानों को किसी अन्य भूमि उपयोग में परिवर्तित करता है, सिवाय जब यह परिवर्तन :**

- क. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार होता है, और
- ख. एफएमयू के बहुत ही सीमित भाग को प्रभावित करता है, और
- ग. रूपांतरण उच्च संरक्षण मूल्य वन क्षेत्रों, संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों , सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, या संकटग्रस्त प्रजातियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों के अंदर नहीं होता है।

मापदंड 11.6 (ख) और (ग) का उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि, ऊपर के उप-खंड 11.6 क), ख) यह समझना आवश्यक है कि इन मापदंडों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और किसी भी उद्देश्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एफएमई द्वारा प्राकृतिक वनों या बागानों का कोई भी डायवर्जन / विचलन उपर्युक्त और ग) के बावजूद दिसंबर, 1994 के बाद किसी भी रूपांतरण पर प्रमाणीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 11.6.1 : वे वन क्षेत्र जिन्हें दिसंबर, 1994 के बाद रूपांतरित किया गया है (या तो बागान से गैर वन उपयोग में या प्राकृतिक वन से बागान में या गैर

वन उपयोग के लिए) या रूपांतरण के लिए निर्धारित किए गए हैं, उनकी पहचान की जाएगी।

संकेतक/सूचक 11.6.2 : बागों या गैर वन भूमियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिवाय उन परिस्थितियों में जब रूपांतरण :

क. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार होता है।

ख. वर्तमान वर्ष या भावी वर्ष में एफएमयू के कुल क्षेत्रफल के 0.5 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल को प्रभावित नहीं करता है और इसके कारण दिसंबर, 1994 के बाद संचयित कुल परिवर्तित क्षेत्रफल एफएमयू के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है; और

ग. उच्च संरक्षण मूल्य वन क्षेत्रों के अंदर नहीं होता है या उसको क्षति नहीं पहुँचाता है या उसे संकट में नहीं डालता है, पारिस्थितिक तंत्र , सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोखिम में नहीं डालता है, या संकटग्रस्त प्रजातियों के पर्यावासों को जोखिम नहीं पहुँचाता है।

घ. वन रूपांतरण के मामले में दीर्घावधिक संरक्षण, आर्थिक, और सामाजिक लाभों में योगदान शामिल है।

मापदंड 11.7 : एफएमयू में वे बाग शामिल हैं जिन्हें उन क्षेत्रों में स्थापित किया गया था जिन्हें दिसंबर, 1994 के बाद प्राकृतिक वन से रूपांतरित किया गया था, प्रमाणन के लिए अर्हक नहीं होगा, सिवाय जहाँ :

क. स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य दिया जाता है कि एफएमई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूपांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं था, और

ख. इस रूपांतरण ने एफएमयू के बहुत ही सीमित क्षेत्रफल को प्रभावित किया है, और

ग. एफएमयू में स्पष्ट, काफी अधिक, अतिरिक्त, सुरक्षित दीर्घावधिक संरक्षण लाभ प्राप्त हुए हैं।

घ. उच्च संरक्षण मूल्य वन क्षेत्रों के अंदर नहीं होता है या उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है या उन्हें जोखिम में नहीं डालता है, पारिस्थितिक तंत्रों , सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, या संकटग्रस्त प्रजातियों के पर्यावासों को जोखिम में नहीं डालता है।

संकेतक/सूचक 11.7.1 : बागों के क्षेत्र, उनकी मूल स्थापना तिथियां, और क्षेत्रों की पूर्व की स्थिति की पहचान की जाएगी।

संकेतक/सूचक 11.7.2 : एफएमई के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार दिए गए वन रूपांतरण के सभी अनुमोदन का अभिलेख होगा। प्रमाण पत्र के दायरे के अंदर कोई भी क्षेत्र, जिसे एफसीए, 1980 के तहत स्पष्ट और असंदिग्ध अनुमोदन के बिना परिवर्तित किया गया है, प्रमाणपत्र निरस्त होने का दायी बना देगा।

संकेतक/सूचक 11.7.3 : दिसंबर, 1994 के बाद किसी भी क्षेत्र को प्राकृतिक वन से बाग में रूपांतरित नहीं किया गया है, सिवाय जहाँ :

- क. जब एफएमई स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि यह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस रूपांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं है; और
- ख. प्राकृतिक वन से रूपांतरित स्थलों पर बाग का कुल क्षेत्रफल, एफएमयू के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत से कम है, और
- ग. यह रूपांतरण एफएमयू में स्पष्ट, पर्याप्त, अतिरिक्त, सुरक्षित दीर्घावधिक रूपांतरण लाभ प्रदान करेगा।

**सिद्धांत 12 : उच्च संरक्षण मूल्य वनों (एचसीवीएफ)/संरक्षण के लिए विशेष स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन**

**मापदंड 12.1 : एफएमई ने वन प्रबंधन इकाई में, संरक्षण के लिए उच्च संरक्षण मूल्यों (एचसीवी) विशेषताओं/विशेष स्थलों की पहचान की है और उनका वर्गीकरण किया है, जो वन प्रबंधन के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त हैं, और उन्हें उनकी अनूठी विशेषताओं के लिए उपयुक्त तरीके से प्रबंधित करता है।**

संकेतक/सूचक 12.1.1 : एफएमई, वन संरक्षण के पैमाने के साथ-साथ वन प्रबंधन गतिविधियों की प्रबलता और गंभीरता के आधार पर, एफएमयू में मौजूद उच्च संरक्षण मूल्य (एचसीवी) विशेषताओं की पहचान करने के लिए सावधिक आधार पर मूल्यांकन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. गंभीर रूप से विलुप्तप्राय और विलुप्तप्राय प्रजातियों और समुदायों की व्यवहार्य अस्तित्व वाले संबद्ध वनस्पतियों और जीवों के ज्ञात स्थल
- ख. विशिष्ट, दुर्लभ, संवेदनशील और संरक्षित वन पारि-प्रणालियां
- ग. प्रजातियों के प्राकृतिक वितरण क्षेत्र और परिदृश्य क्षेत्र वाले वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परिदृश्य क्षेत्र
- घ. पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल
- ड. महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय महत्व के स्थल

संकेतक/सूचक 12.1.2 : इस मूल्यांकन में, कम से कम, निम्नलिखित शामिल होगा :

- क. क्षेत्रीय या राष्ट्रीय संरक्षण आंकड़ा कोष और मानचित्रों से मंत्रणा;
- ख. राष्ट्रीय एचसीवीएफ टूलकिट, यदि मौजूद है, का परामर्श, या एचसीवी उपस्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट का प्रथम और तृतीय भाग (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा तैयार किया गया एचसीवीएफ टूलकिट देखें)
- ग. एफएमई के वन सूची आंकड़ा और क्षेत्र कार्यकर्ताओं, संविदाकारों या परामर्शदाताओं के प्रेक्षण पर विचारन;
- घ. जैव-वैज्ञानिक और विज्ञान के विशेषज्ञों, स्थानीय समुदायों, और अन्य हितधारकों के साथ साक्षात्कार;
- ड. एचसीवी को संभावित खतरे की पहचान और प्रलेखन।

संकेतक/सूचक 12.1.3 : हितधारक परामर्श एक प्रलेखित एफपीआईसी प्रक्रिया और एफएमई के माध्यम से किया जाएगा और एफएमई सभी संबंधित हितधारकों की एक सूची प्रतिधारित करेगा।

संकेतक/सूचक 12.1.4 : परामर्श प्रक्रिया में उस क्षेत्र के अनुरक्षण, वर्धन और / या खतरों में कमी के लिए प्रस्तावित रणनीतियों के साथ उनके संरक्षण विशेषताओं की पहचान शामिल होना चाहिए।

संकेतक/सूचक 12.1.5 : एफएमई, एचसीवी के लिए लिखित मूल्यांकन प्रदान करेगा और इन एचसीवी के संरक्षण के लिए एफएमई की प्रबंधन रणनीतियों में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसमें स्वतंत्र रूप से या अन्य हितधारकों के सहयोग से सहयोगात्मक रूप से संरक्षण की योजनाओं का विकास शामिल हो सकता है।

**मापदंड 12.2 : प्रबंधन योजना में वे विशिष्ट उपाय शामिल हैं जो ऐहतियाती दृष्टिकोण के संगत प्रयोज्य संरक्षण विशेषताओं का अनुरक्षण और/या वर्धन सुनिश्चित करते हैं। ये उपाय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रबंधन योजना सारांश में विशिष्ट रूप से शामिल हैं।**

संकेतक/सूचक 12.2.1 : एफएमई, प्रबंधन योजना में और इसके सार्वजनिक सारांश में, एफएमयू में अभिज्ञात एचसीवी के प्रत्येक क्षेत्र के संरक्षण मूल्यों और साथ ही साथ इन मूल्यों के अनुरक्षण करने और/या वर्धन करने के लिए की गयी कार्रवाइयों को वर्णित करेगा।

संकेतक/सूचक 12.2.2 : एफएमई एचसीवी के क्षेत्रों के सार्वजनिक सारांश के, प्रचालनों के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त, सावधिक अद्यतन के लिए पर्याप्त और अर्थक्षम रूप से उचित समय अवधि निर्दिष्ट करेगा।

संकेतक/सूचक 12.2.3 : एफएमई यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि यह ऐहतियाती दृष्टिकोण के संगत एचसीवी का अनुरक्षण करने के लिए और/या बढ़ाने के लिए उपाय क्रियान्वित करता है।

**मापदंड 12.3 : प्रयोज्य संरक्षण विशेषताओं का अनुरक्षण करने के लिए या बढ़ाने के लिए नियोजित उपायों की प्रभाविता का आकलन करने के लिए वार्षिक निगरानी आयोजित की जाती है। इन निगरानी संकेतकों/सूचकों के निष्कर्षों के आधार पर, एफएमई सुधार के लिए यथा आवश्यक अपनी प्रबंधन प्रथाएं अपनाता है।**

संकेतक/सूचक 12.3.1 : एफएमई द्वारा, प्रचालनों के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त, वार्षिक निगरानी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो एचसीवीएफ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों से प्रासंगिक संरक्षण विशेषताओं का अनुरक्षण करने और / या बढ़ाने में इसकी प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है।

संकेतक/सूचक 12.3.2 : एफएमई एचसीवीएफ प्रबंधन और संरक्षण उपाय, जो एफएमई द्वारा विकसित किए गए हैं और क्षेत्र में क्रियान्वित किए गए हैं, की प्रगति पर नजर रखने के लिए मापन योग्य निगरानी संकेतक/सूचक विकसित करेगा।

संकेतक/सूचक 12.3.3 : एचसीवीएफ निगरानी के परिणाम का एचसीवीएफ प्रबंधन और संरक्षण नीतियों को उपांतरित करने और साथ ही साथ प्रबंधन योजना को संशोधित करने के लिए उपयोग किए जाएंगे।

**सिद्धांत 13 : वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं - मूर्त और अमूर्त दोनों पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की पहचान, परिमाणीकरण और मूल्यांकन**

**मापदंड 13.1 : एफएमई अन्यों के अलावा, वन पुनरुद्भवन और वंश क्रम, आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र विविधता, पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाएं, अवस्थाएं और उत्पादकता, मृदा क्षरण से संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रतिकूल जल प्रभावों जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि से सुरक्षा सहित वन क्षेत्र से संबद्ध सभी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और प्रकार्यों की पहचान करता है।**

संकेतक/सूचक 13.1.1 : एफएमई, संभव सीमा तक, वन पुनरुद्भवन और वंश क्रम, आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र विविधता, पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाएं, अवस्थाएं और उत्पादकता, मृदा क्षरण से संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रतिकूल जल प्रभावों जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि से सुरक्षा सहित वन क्षेत्र से संबद्ध सभी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और प्रकार्यों की पहचान करता है और प्रलेखित करता है।

संकेतक/सूचक 13.1.2 : एफएमई को एफएमई से संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं (शताब्दी पारिस्थितिक तंत्र मूल्यांकन, 2006) की पहचान करनी चाहिए :

क. प्रावधान सेवाएं : पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त उत्पाद जैसे, भोजन, कच्ची सामग्री, आनुवंशिक संसाधन, जल, खनिज, औषधीय पौधे इत्यादि शामिल है।

ख. विनियमन सेवाएं : पारिस्थितिक तंत्रों से प्राप्त लाभ जैसे, कार्बन प्राच्छादन, जलवायु विनियमन, अपशिष्ट अपघटन और विषहरण, वायु और जल शुद्धीकरण, कीट और रोग नियंत्रण इत्यादि शामिल है।

ग. सांस्कृतिक सेवाएं : आध्यात्मिक संवर्धन, संज्ञानात्मक विकास, चिंतन, मनोरंजन और सौंदर्य अनुभवों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र से लोगों को प्राप्त अभौतिक लाभ शामिल हैं

घ. सहायक सेवाएं : ऐसी सेवाएँ शामिल हैं "जो अन्य सभी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक हैं"। इनमें पोषक तत्व पुनर्चक्रण, प्राथमिक

उत्पादन और मृदा संरचना जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र के लिए खाद्य आपूर्ति, बाढ़ विनियमन और जल शोधन जैसी सेवाएं प्रदान करना संभव बनाती हैं।

संकेतक/सूचक 13.1.3 : इन सेवाओं की सतत मौजूदगी को सभी खतरों की पहचान की जानी चाहिए और जहाँ कहीं भी संभव हो, ऐसे खतरों के उपशमन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

संकेतक/सूचक 13.1.4 : ज्ञात पारिस्थितिकीय प्रकार्यों और मूल्यों को प्रबंधन योजना में वर्णित किया गया है और जैसे ही अतिरिक्त सूचना ज्ञात होती है, समय समय पर अद्यतित की जाती है; एफएमई प्रबंधन इकाई के अंदर पारिस्थितिकीय प्रकार्यों के बारे में सूचना/ज्ञान के अंतराल को पाटने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा।

संकेतक/सूचक 13.1.5 : वन प्रबंधन गतिविधियों को, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर प्रभावों का उचित ध्यान रखते हुए स्थानिक और कालतः डिजाइन और क्रियान्वित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 13.1.6 : एफएमई को गैर आय सृजक पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करनी चाहिए, और उन हितधारकों के साथ विमर्श करना चाहिए जो इन सेवाओं पर आश्रित हैं और जो वानिकी प्रचालनों से प्रभावित हो सकते हैं।

**मापदंड 13.2 : एफएमई के पास मृदा और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए लिखित दिशा-निर्देश, और मृदा विलक्षण और जल गुणवत्ता (भूजल और सतह जल) को बनाए रखने के लिए और इनमें वृद्धि करने के लिए उपयुक्त मृदा और आर्द्रता संरक्षण उपाय हैं। इसके अलावा, मृदा क्षरण, बहाव को नियंत्रित करने के उपाय भी संस्थापित किए जाएंगे, जिसमें धारा प्रतिरोधक प्रक्षेत्र, सड़क और नाला निर्माण दिशानिर्देश, ढलाव कटाई दिशानिर्देश शामिल हैं, पर इन तक सीमित नहीं हैं।**

संकेतक/सूचक 13.2.1 : एफएमई के पास मृदा और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए लिखित दिशा-निर्देश, और मृदा विलक्षण और जल गुणवत्ता (भूजल और सतह जल) को बनाए रखने के लिए और इनमें वृद्धि करने के लिए उपयुक्त मृदा और आर्द्रता संरक्षण उपाय होगा।

संकेतक/सूचक 13.2.2 : निम्नलिखित उद्देश्यों से सभी वन प्रचालनों को जल गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तनों (भौतिक, रासायनिक या जैविक) को कम से कम रखने हेतु डिजाइन किया जाएगा :

क. मिट्टी के जलमार्ग में परिवहन को कम से कम करना;

ख. धारा तट प्रबंधन प्रक्षेत्र का अनुरक्षण; और

ग. जल निकायों से प्रतिरोधक क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करना।

संकेतक/सूचक 13.2.3 : एफएमयू से गुजरने वाली सभी धाराओं के पथ की पहचान की जाएगी और मानचित्रों पर इन्हें सीमांकित किया जाएगा।

संकेतक/सूचक 13.2.4 : वन क्षेत्र के भीतर मिट्टी के प्रकारों को चित्रित किया जाएगा और वन प्रचालन करते समय ध्यान में रखा जाएगा। सभी वन प्रचालनों को, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों की रक्षा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रबंधित किए जाते हैं और उनमें उपयुक्त और उचित रूप से व्यावहारिक रूप से सुधार किए जाते हैं।

संकेतक/सूचक 13.2.5 : एफएमई उस ढलाव की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करेगा, जिसके परे पेड़ गिराने और कटाई की इजाजत नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में, अनुमत ढलाव 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए।

संकेतक/सूचक 13.2.6 : एफएमई के पास एफएमयू के अंदर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए माल और सेवाओं के कुशल वितरण सुनिश्चित करते हुए, नालियों और सड़कों के निर्माण, रखरखाव और उन्हें बंद करने हेतु लिखित दिशा-निर्देश होंगे। इन दिशानिर्देशों को कम से कम, राज्य के वन विभाग और / या लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

**सिद्धांत 14 : जैव-विविधता संरक्षण - प्रबंधन गतिविधियों या एफएमई के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के कारण जैव-विविधता मूल्यों के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए और इन्हें हुई हानियों के पुनर्वासन के लिए उपाय सहित।**

**मापदंड 14.1 : एफएमई के पास वन क्षेत्रों के अंदर जैविक विविधता (पारिस्थितिक तंत्र/परिदृश्य/आनुवंशिक विविधता) के अनुरक्षण, संरक्षण और वर्द्धन के लिए और एफएमयू की पारिस्थितिक अखंडता को सुदृढ करने के लिए लिखित दिशानिर्देश हैं।**

संकेतक/सूचक 14.1.1 : एफएमई के पास जैविक विविधता (पारिस्थितिक तंत्र/परिदृश्य/आनुवंशिक विविधता) के अनुरक्षण, संरक्षण और वर्द्धन के लिए लिखित दिशानिर्देश होंगे।

संकेतक/सूचक 14.1.2 : एफएमई को अपनी प्रबंधन गतिविधियों में धानी (स्टैंड) और परिदृश्य स्तरों पर प्रजातियों, वन्यजीव पर्यावासों और पारिस्थितिकीय समुदाय प्रकारों सहित देशी जैविक विविधता के संरक्षण को शामिल करना चाहिए।

संकेतक/सूचक 14.1.3 : प्रचालनों के पैमाने के अध्यधीन, एफएमई वन प्रबंधन प्रचालनों को इस प्रकार से संचालित करेगा कि प्राकृतिक परिवर्तनीयता की सीमा के अंदर वितरणों के अनुक्रमिक चरणों की की पूरी रेंज को अनुरक्षित रखा जा सके और कुछ समय में प्राकृतिक वन संरचना को पुनर्स्थापित किया जा सके।

संकेतक/सूचक 14.1.4 : वन प्रबंधन प्रथाएं, जहाँ उपयुक्त हो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों संरचनाओं की विविधता को बढ़ावा देंगी जैसे विषम-वृद्ध धानियों और प्रजातियों की विविधता जैसे मिश्रित धानियां। जहाँ उपयुक्त हो, इन प्रथाओं का उद्देश्य परिदृश्य विविधता को बनाए रखना और पुनर्स्थापित करना है।

संकेतक/सूचक 14.1.5 : एफएमई, धानी (स्टैंड) स्तरीय वन्य जीव पर्यावास तत्वों जैसे ढूँठों, दरीचाओं, गिराए गए काष्ठ मलबों और घोंसलों वाले पेड़ों को प्रतिधारित रखने के लिए, अपनी प्रथाओं में, क्षेत्र आधारित श्रेष्ठ वैज्ञानिक सूचना द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

संकेतक/सूचक 14.1.6 : कोई गैर वन आर्द्रभूमि / चरागाह और इसके संघटक तत्व, जो वन क्षेत्रों से संबद्ध पाए जाते हैं (परिरेखा के अंदर या परिरेखा में) संरक्षित रखे जाएंगे और मानचित्र पर सीमांकित किए जाएंगे।

संकेतक/सूचक 14.1.7 : एफएमई जैविक विविधता के संरक्षण और वन प्रबंधन योजना में इन प्रयासों पर विचार करने के लिए राज्य, केंद्रीय, या क्षेत्रीय संरक्षण योजना और प्राथमिकता-निर्धारण प्रयासों में प्रतिभागिता करेगा और/या इनके परिणामों को शामिल

करेगा और वन प्रबंधन योजनाओं में इन प्रयासों पर विचार करेगा। विश्वसनीय प्राथमिकता - निर्धारण प्रयासों के दृष्टांतों में राज्य वन्यजीव कार्य योजना, राज्य वन कार्य योजना, प्रासंगिक पर्यावास संरक्षण योजना या वन्यजीव पुनर्स्थापन योजना (जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी आदि) शामिल हैं।

मापदंड 14.2 : एफएमई वन क्षेत्र के भीतर शोषण प्रवण प्रजातियों की सूची बनाने के साथ निर्धारित वन क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले दुर्लभ, संकटग्रस्त, और विलुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों का आकलन करता है। रक्षोपाय मौजूद हैं जो दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों की रक्षा करते हैं। एफएमई ने प्रभावित संसाधनों की विशिष्टता और वन प्रबंधन के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त, संरक्षण प्रक्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्रों की स्थापना की है।

संकेतक/सूचक 14.2.1 : एफएमई वन क्षेत्र में शोषण प्रवण प्रजातियों की सूची के साथ एफएमयू के अंदर मौजूद दुर्लभ, संकटग्रस्त, और विलुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों का आकलन करेगा।

संकेतक/सूचक 14.2.2 : एफएमई द्वारा विशेष जैविक हित विशेषताएं और प्रतिनिधिक संरक्षण और सुरक्षित क्षेत्र सहित वन वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय, स्थानिक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए वन प्रबंधन के पैमाने और प्रबलता के लिए उपयुक्त, मौजूदा वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के अनुसार प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश स्थापित और प्रलेखित किए जाएंगे।

संकेतक/सूचक 14.2.3 : एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि वन श्रमिक एफएमयू में पाए जाने वाली वन वनस्पतियों और जीवों के विलुप्तप्राय, स्थानिक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रति जागरूक हैं और उनके संरक्षण में प्रशिक्षित हैं।

मापदंड 14.3 : यह निर्धारित करने के लिए कि निर्धारित वन क्षेत्र के भीतर जैव-विविधता मूल्य बरकरार रखा जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, एफएमई हितधारकों और संबंधित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित विज्ञान आधारित निगरानी पद्धति का उपयोग करते हुए वन क्षेत्र के जैव-विविधता मूल्यों को मापता है। इसके अलावा, एफएमई जैव विविधता संबंधी वन प्रबंधन गतिविधियों के संभावित प्रभाव का आकलन करेगा और

निम्नलिखित अनुक्रम के उपयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रबंधन रणनीति अपनाएगा कि जैव विविधता का कोई नुकसान नहीं होता है,

क. प्रभाव से बचना

ख. प्रभाव को न्यूनतम करना

ग. जैव विविधता विशेषताओं की बहाली / पुनर्वास

घ. अतिरिक्त संरक्षण कार्य

संकेतक/सूचक 14.3.1 : एफएमई को वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत आकलन पद्धति का उपयोग करते हुए सभी प्रासंगिक हितधारकों की सहलग्नता से वन क्षेत्र का जैव-विविधता आकलन करना चाहिए।

संकेतक/सूचक 14.3.2 : एफएमई को एफएमयू में वन आच्छादन प्रकारों और आयु और आकार वर्गों की विविधता का प्रलेखन करना चाहिए, और जहां विश्वसनीय डेटा उपलब्ध हैं परिदृश्य स्तर पर विविधता का प्रलेखन करना चाहिए।

संकेतक/सूचक 14.3.4 : वनों की सेहत और जीवनक्षमता को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रबंधन प्रथाओं को प्राकृतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। पर्याप्त आनुवंशिक, प्रजाति और संरचनात्मक विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है और/या प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों से वनों के स्थायित्व, जीवनक्षमता और प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखा जाता है और प्राकृतिक विनियमन तंत्रों को सुदृढ़ किया जाता है।

संकेतक/सूचक 14.3.5 : यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रचालन वन क्षेत्र की जैव-विविधता विशेषताओं को बरकरार रखता है, क्षीण करता है या बढ़ाता है, एफएमयू में जैव विविधता स्तरों पर वन प्रबंधन प्रचालनों के प्रभाव का आकलन किया जाता है।

संकेतक/सूचक 14.3.6 : यदि अनजाने में, या अनजाने कारणों (प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित किया जाना है) से जैव विविधता विशेषताओं पर वन संचालन का शुद्ध नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव की गंभीरता के आधार पर, एफएमई निम्नलिखित अनुक्रम में कार्रवाइयां कर नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा, अर्थात्

- क. प्रभाव से बचना
- ख. प्रभाव को न्यूनतम करना
- ग. जैव विविधता विशेषताओं की बहाली / पुनर्वास
- घ. अतिरिक्त संरक्षण कार्य

## अनुलग्नक - शब्दावली और परिभाषाएं

इस अनुलग्नक को 9 सितंबर, 2017 को एनसीसीएफ की शासी निकाय द्वारा अंगीकृत किया गया था। यह वन प्रमाणीकरण और विशेष रूप से एनसीसीएफ एसएफएम प्रमाणन मानक से संबंधित बुनियादी और मूलभूत शब्दों को परिभाषित करता है।

नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स (एनसीसीएफ) प्रतिलिप्याधिकार द्वारा सुरक्षित इस कार्य के किसी भाग को किसी भी साधन (ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक, जिसमें फोटोकॉपी, ध्वन्यालेखन, टेप ध्वन्यालेखन, या सूचना उपयोजन प्रणालियों) द्वारा एनसीसीएफ की लिखित अनुमति के बिना किसी भी स्वरूप में प्रतिकृति या प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती है।

प्रतिलिप्याधिकार © नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एण्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स (एनसीसीएफ)

## शब्दावली

### अनुकूली प्रबंधन

पहले से क्रियान्वित योजनाओं के परिणामों से सबक सीखते हुए प्रबंधन योजना और प्रथाओं में सतत् सुधार करने के लिए एक प्रणालीगत प्रक्रिया। (स्रोत: मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट)

### अतिरिक्त संरक्षण कार्य

गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला जिसका उद्देश्य जैव विविधता को लाभ पहुंचाना है, परंतु जिनके प्रभाव, या परिणाम का परिमाण निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। (स्रोत: रियो टिटो एंड बायोडाइवरसिटी : बायोडाइवरसिटी ऑफसेट डिजाइन)

उदाहरण के लिए : उन परियोजनाओं के बेहतर जैव विविधता संरक्षण परिणामों को सक्षम करने के लिए जिनमें वे शामिल हैं, संरक्षण व्यवस्थापनों में क्षमता निर्माण में मदद करना। इसमें पर्यावरण प्रबंधन और विकास कार्यक्रमों में उनकी प्रतिभागिता का समर्थन करना शामिल हो सकता है।

### वार्षिक स्वीकार्य कटौती (एएसी)

यह सुनिश्चित करते हुए कि कटाई की दर दीर्घावधिक पुनरुद्भवन और संवृद्धि की परिकल्पित दर से अधिक न हो, किसी भी वन उपज की कटाई / निष्कासन की संधारणीय रूप से स्वीकार्य / अनुमत स्तर, चाहे वह आयतन में हो या वजन में।

### प्रभावों से परिवर्जन

परिवर्जन में कार्रवाई के अपेक्षित या सामान्य मार्ग को बदलने का निर्णय शामिल है। जैव विविधता पर उनके अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए और एक प्रचालन के समय संभावित प्रभाव को कम करने के लिए, गतिविधियां शुरू होने से पहले इन होने वाली गतिविधियों को बदल या रोक दिया जाता है। (स्रोत: वर्ल्ड बिज़नेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिज़नेस इकोसिस्टम ट्रेनिंग ग्लोसरी ऑफ टर्मस एण्ड एक्रोनिम्स एण्ड फौना एण्ड फ्लोरा इंटरनेशनल्स द मिटिगेशन हेरारकी)

### बाध्यकारी समझौता

एक सौदा या संधि, लिखित या अलिखित, जो इसके हस्ताक्षरी के लिए अनिवार्य है कि वह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 की अपेक्षाओं को पूरा करे और कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। समझौते में शामिल पक्षकार ऐसा स्वतंत्र रूप से करते हैं और स्वेच्छा से इसे स्वीकार करते हैं।

साथ ही

अंतर्राष्ट्रीय संधियों या बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के संदर्भ में, जिनका भारत ने अनुसमर्थन किया है या स्वीकार किया है।

### **जैविक विविधता (जैव-विविधता)**

सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच विभिन्नता जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक परिसर जिसके वे भाग हैं; इसमें प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच विविधता शामिल है। जैव विविधता के तीन परस्पर संबंधित अनुक्रमित स्तर हैं : (क) आनुवंशिक विविधता (ख) प्रजाति विविधता और (ग) पारिस्थितिकी तंत्र या सामुदायिक विविधता (स्रोत: कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी)

### **जैव विविधता विशेषताएं**

संघटन, संरचना और प्रकार्य जैव विविधता की तीन प्राथमिक विशेषताएं हैं जिनका निम्नवत वर्णन किया गया है :

क) संघटन किसी पारिस्थितिक प्रणाली की पहचान और विविधता है। संघटन के वर्णनकर्ता प्रारूपिकतया किसी क्षेत्र या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी प्रजातियों की सूची हैं और संघटन के माप में प्रजातियों की समृद्धि और प्रजातियों की विविधता शामिल है।

ख) संरचना एक भौतिक संगठन या प्रणाली का स्वरूप है, जो पर्यावास की संमिश्रता से लेकर, जैसा कि समुदायों के अंदर मापा जाता है, पर्यावासों के स्वरूप (या पैच) तक और परिदृश्य पैमाने पर अन्य तत्वों में मापा जाता है।

ग) प्रकार्य एक या एक से अधिक पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसमें परभक्षण, जीन प्रवाह, प्राकृतिक विघ्नताएं और माइकोरिज़ल संसर्ग के साथ-साथ मृदा

विकास और हाइड्रोलॉजिकल चक्र जैसी अजैव प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रकार्यों के उदाहरणों में परभक्षी - भक्ष्य पशु प्रणाली, जल शोधन और पोषक चक्र शामिल हैं।

इनमें से प्रत्येक विशेषता बहु अनुपातिक हैं और स्थानिक और कालिक दोनों गतिशीलता को शामिल करते हैं। परिणामस्वरूप, इन विशेषताओं को अलग अलग पैमाने पर जाँच की जाती है, जिनमें क्षेत्र, परिदृश्य और पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। (स्रोत : इकोलोजिकल कंसेप्ट, प्रिंसपल एण्ड अप्लिकेशन टू कंजर्वेशन, 2008, बायोडाइवर्सिटी बीसी)

### **जैविक नियंत्रण एजेंट**

वे जीवित जीव जिनका उपयोग, अन्य जीवित जीवों का उपयोग करते हुए कीटों, घुनों, खरपतवारों और पाद रोगों जैसे अन्य जीवित जीवों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। (स्रोत: आइयूसीएन)

### **जैविक गलियारे**

वन क्षेत्रों में पारगमन गलियारे या प्राकृतिक रूप से मौजूद या एक विस्तृत समय अवधि में सृजित संयोजक वन क्षेत्र, जो वन्य जानवरों की आवाजाही के लिए पसंदीदा मार्ग के रूप में कार्य करते हैं, या तो प्रवास के लिए, या चारा खोजने के लिए, और शिकार के लिए।

### **जैवविविधता संरक्षण**

जैविक विविधता का संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण, संधारणीय उपयोग (संरक्षण), पुनः प्राप्ति और वृद्धि की कार्रवाई, जहां :

क) *संरक्षण* संसाधनों का संधारणीय उपयोग है और जिसमें सुरक्षा और साथ ही साथ शोषण/दोहन शामिल हैं और;

ख) परिरक्षण किसी वस्तु को बिना बदले या परिवर्तन किए रखने का एक पहलू है।

### **जैव उर्वरक**

सूक्ष्मजीवों की जीवित कोशिकाओं या कुशल नस्ल की अन्तर्निहित कोशिकाएं निहित उर्वरक जो बीज या मिट्टी के माध्यम से अनुप्रयुक्त किए जाने मूल परिवेश में उनकी अंतःक्रिया द्वारा फसल को पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। वे मिट्टी में कुछ सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाओं

को तेज करते हैं जो पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण किए जाने लायक पोषक तत्वों की उपलब्धता की सीमा को बढ़ाते हैं।

(स्रोत: तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय एग्रीटेक पोर्टल, जैविक खेती: जैविक इनपुट और तकनीक: [http://agritech.tnau.ac.in/org\\_farm/orgfarm\\_biofertilizertechnology.html](http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_biofertilizertechnology.html))

### **जैवभार (बायोमास)**

जीवित पौध सामग्री का प्रति इकाई क्षेत्र जिसमें तना, शाखाएं, पत्ते, फल, जड़ें आदि शामिल हैं (स्रोत : एसेंशियल क्लाइमेटिक वेरिबल्स टी12, ग्लोबल टेरेस्ट्रियल ऑबसर्विंग सिस्टम, 2009)

### **प्रतिरोधक प्रक्षेत्र**

किसी विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र का परिधीय क्षेत्र, जैसे कि महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास या मूल क्षेत्र, जहां संसाधन उपयोग पर कम प्रतिबंध हैं, और वन्यजीव और मानव गतिविधि के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए विशेष विकास उपाय किए जाते हैं। (स्रोत: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 2006 का संशोधन; यूनाईटेड नेशन्स इनवायरमेंट प्रोग्राम्स वर्ल्ड कंजर्वेशन मोनिटरिंग सेंटर बायोडाइवर्सिटी ए-जैड: <http://www.biodiversitya-z.org/content/buffer-zones>)

### **क्षमता निर्माण**

मानव संसाधन, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं, संगठनात्मक और संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने या सुदृढ करने की एक प्रक्रिया।

(स्रोत: [http://www.who.int/tobacco/control/capacity\\_building/background/en/](http://www.who.int/tobacco/control/capacity_building/background/en/))

### **कार्बन चक्र**

वायुमंडल, स्थलीय और समुद्री जीवमंडल, महासागरों और विभिन्न रासायनिक, भौतिक, भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा स्थलमंडल के माध्यम से विभिन्न स्वरूपों में कार्बन का प्रवाह, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) के रूप में। (स्रोत: आईपीसीसी, 2014: अनुलग्नक II: शब्दावली)

### **कार्बन निशान**

किसी व्यक्ति, परिवार, भवन, संगठन या कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष वातावरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा। (स्रोत: संयुक्त राज्य अमेरिका ईपीए)

### **कार्बन रजिस्ट्री**

सत्यापित, परियोजना आधारित अनुक्रमित प्रतिसंतुलनों के रूप में उत्सर्जन कमियाँ और निष्कासन का पारदर्शी तरीके से पंजीकरण करने के लिए; सत्यापित प्रतिसंतुलन, उत्सर्जन कमी टन (ईआरटी) के रूप में ब्रांडेड खरीद, बिक्री, बैंकिंग और कार्यमुक्ति का अभिलेखन करने के लिए; और वैकल्पिक रूप एक अलग खाते में, सत्यापित जीएचजी सूची की रिपोर्टिंग करने के लिए इसके सदस्यों द्वारा प्रयुक्त एक स्वैच्छिक, ऑनलाइन ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) पंजीकरण और उत्सर्जन ट्रेकिंग प्रणाली। (स्रोत: अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री (2010), अमेरिकी कार्बन रजिस्ट्री फ़ॉरेस्ट कार्बन प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, संस्करण 2.1)

### **कार्बन प्रच्छादन**

पौधों, स्थलीय या समुद्री जलाशयों के साथ-साथ भूवैज्ञानिक संरचनाओं में कार्बन का अवशोषण और भंडारण। (स्रोत: आईपीसीसी, 2014: अनुलग्नक II: शब्दावली)

### **कार्बन स्टॉक**

किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के पूल में निहित कार्बन की मात्रा।

### **वहन क्षमता**

किसी विशेष प्रजाति के जीवों की अधिकतम संख्या, जो पर्यावरण के किसी हिस्से में अनिश्चित काल तक अनुरक्षित रखे जा सकते हैं। (स्रोत: बायोडायवर्सिटी ग्लोसरी, कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डायवर्सिटी)

### **प्रमाणपत्र**

एक प्रमाणन प्रणाली के नियमों के तहत जारी किया गया एक दस्तावेज, जो यह विश्वास दिलाता है कि कोई विधिवत अभिज्ञात उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा, एक विनिर्दिष्ट मानक या अन्य नियामक दस्तावेज के अनुरूप है। (स्रोत: आईएसओ गाइड 2, पीईएफसी टर्मस् एण्ड डिफिनिशंस)

### **प्रमाणन मूल्यांकन**

किसी ग्राहक की, एक मानक की अपेक्षाओं की अनुरूपता पर लेखापरीक्षा, समीक्षा और निर्णय की संयुक्त प्रक्रिया। (स्रोत: आईएसईएएल आश्वासन संहिता)

मूल्यांकन के प्रकार :

क) पूर्व मूल्यांकन : आवेदक की उनके मुख्य मूल्यांकन के लिए तत्परता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन

ख) मुख्य मूल्यांकन : एनसीसीएफ प्रमाणीकरण के लिए एक आवेदक का मूल्यांकन

ग) पुनः मूल्यांकन : पुनः प्रमाणन के लिए मूल्यांकन

घ) निगरानी मूल्यांकन : सुधारात्मक कार्रवाई की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर किया गया मूल्यांकन

(स्रोत: एफएससी-एसटीडी-20-001 वी4-0, एफएससी शब्दावली)

### **अभिरक्षा श्रृंखला**

कटाई, परिवहन, प्रसंस्करण और वन से अंतिम प्रयोक्ता तक वितरण श्रृंखला के दौरान वन आधारित उत्पादों, और उसके उत्पादों की अभिरक्षा में सभी परिवर्तन। (स्रोत : अनुलग्नक 1, सामान्य दस्तावेज़ पीईएफएसी टर्मस एण्ड डिफिनिशन; 27 अक्टूबर 2006)

### **परिवर्तन मैट्रिक्स**

किसी निश्चित समय अवधि में किसी विशेष स्थल के वन संसाधनों में परिवर्तन की दर, परिमाण या प्रकृति। यह विविधता, प्रजाति प्रचुरता, प्रजातियों की तुलनात्मक विपुलता के अनुसार वर्तमान या पूर्व प्रबंधन गतिविधियों और नृविज्ञान प्रभावों और साथ ही साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रिया नेटवर्क का परिणाम हो सकता है।

### **जलवायु परिवर्तन**

जलवायु में कोई परिवर्तन जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं, जो वैश्विक वातावरण की संरचना को बदल देता है और जो तुलनीय समयावधियों में देखी गयी प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है। (स्रोत: अनुच्छेद 1, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी))

## जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

परिवर्तनशील जलवायु परिस्थिति से निपटने के लिए समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों की मदद के लिए की गई कार्रवाई। (स्रोत: यूएनएफसीसीसी)

वास्तविक या अपेक्षित जलवायु संदीपनों या उनके प्रभावों के प्रत्युत्तर में प्राकृतिक या मानव प्रणालियों में समायोजन, जो लाभकारी अवसरों की कम हानि या दोहन करता है। (स्रोत: आईपीसीसी)

## जलवायु परिवर्तन शमन

वातावरण में जीएचजी सांद्रता के स्थिरीकरण को हासिल करने और तदोपरांत और अधिक तापन को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी। (स्रोत: 'क्लाइमेट, कम्यूनिटी एंड बायो डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड 2008')

## सामूहिक सौदेबाजी

कोई नियोक्ता, कोई नियोक्ता समूह या एक या अधिक नियोक्ता संगठन, एक ओर, और दूसरी ओर एक या अधिक श्रमिक संगठनों के बीच निम्नलिखित के लिए होने वाली बातचीत :

क) काम करने की स्थिति और नियोजन की शर्तें निर्धारित करना; और / या

ख) नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच संबंधों को विनियमित करना; और / या

ग) नियोक्ताओं या उनके संगठनों और किसी श्रमिक संगठन या श्रमिक संगठनों के बीच संबंधों को विनियमित करना

(स्रोत: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नं. 154)

## संघर्ष समाधान

दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किसी असहमति पर उनके बीच एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने का रास्ता है। यह असहमति व्यक्तिगत, वित्तीय, राजनीतिक या भावनात्मक हो सकती है।

जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अक्सर असहमति को हल करने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत है।

बातचीत के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क) एक ऐसा समाधान लेकर आना, जिस पर सभी पक्ष सहमत हो सकें

ख) इस समाधान को खोजने के लिए यथा संभव जल्द से जल्द काम करना

ग) संघर्ष में शामिल समूहों के बीच संबंध में सुधार लाना, ना कि आहत करना

(स्रोत: सेक्शन 6. ट्रेनिंग फॉर कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कम्यूनिटी टूल बॉक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास:<http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/provide-information-enhance-skills/conflict-resolution/main>)

### **सर्वसम्मति**

सामान्य समझौता, जिसमें संबंधित हितों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग द्वारा तात्त्विक मुद्दों के निरंतर विरोध न होना और एक प्रक्रिया जिसमें सभी संबंधित पक्षों के विचारों को ध्यान में रखना और किसी भी परस्पर विरोधी तर्कों में सामंजस्य बिठाना शामिल है। टिप्पण : सर्वसम्मति के लिए एकमत्य की आवश्यकता नहीं है। (आईएसओ गाइड 2)

(स्रोत: अनुलग्नक 1, नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट पीईएफसी टर्मस एण्ड डिफिनिशन 27 अक्टूबर 2007)

### **सतत् सुधार**

वन प्रबंधन के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं में सुधार प्राप्त करने के लिए प्रबंधन प्रणाली और निष्पादन को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। (स्रोत: अनुलग्नक 1, नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट पीईएफसी टर्मस एण्ड डिफिनिशन 27 अक्टूबर 2007)

### **संरक्षण**

प्राकृतिक वातावरण और पारिस्थितिकीय समुदाय जो उनमें निवास करते हैं, के संरक्षण, परिरक्षण, प्रबंधन या पुनर्स्थापना। संरक्षण आम तौर पर वर्तमान सार्वजनिक लाभ और संधारणीय सामाजिक और आर्थिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग के प्रबंधन को शामिल करने के लिए किया जाता है।

### **संरक्षण विशेषताएं**

किसी ऐसे क्षेत्र की भौतिक, जैविक, पारिस्थितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और / या सौंदर्य संबंधी विशेषताएं जो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना महत्वपूर्ण बनाती हैं।

### **मापदंड**

परिस्थितियों या प्रक्रिया की कोई श्रेणी जिसके माध्यम से संधारणीय वन प्रबंधन का आकलन किया जा सकता है। एक मानदंड संबंधित संकेतकों/सूचकों के एक सेट की विशेषता है, जिसके परिवर्तन का आकलन करने के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है (स्रोत: मॉन्ट्रियल प्रोसेस, 1995; भोपाल इंडिया प्रोसेस ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

### **सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल**

ऐसे स्थान जिन्हें राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक या सामाजिक इतिहास के टुकड़े उनके सांस्कृतिक विरासत मूल्य के कारण संरक्षित किए गए हैं। ऐतिहासिक स्थलों को आमतौर पर कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है, और कई को आधिकारिक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल का दर्जा दिया गया है। एक ऐतिहासिक स्थल कोई भी इमारत, परिदृश्य, स्थल या संरचना हो सकती है जो स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय महत्व की है।

### **प्रथागत उपयोग अधिकार**

उन प्रथाओं के अनुसार, जो संहिताबद्ध हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, किसी समुदाय या व्यक्ति (यों) के पारंपरिक प्रयोग द्वारा नियत अधिकार और प्रथाएँ। वे निर्देशात्मक अधिकारों से भिन्न होते हैं अर्थात् पहले वाले स्थानीय उपयोग हैं, किसी विशेष स्थान या जिले के सभी निवासियों के हैं - बाद वाले अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकार हैं, जो उनके निवास स्थान के निरपेक्ष हैं - जैसे, वन क्षेत्रों के अंदर रहने वाले कुछ आदिवासी समुदायों के लिए, कुछ क्षेत्रों को पारंपरिक रूप से फूलों या फलों के संग्रह या शहद संग्रह के लिए या उनके मृतकों को दफनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

### **अवकर्षण**

मानवजनित (एन्थ्रोपोजेनिक) और पर्यावरणीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कार्बन भंडारण और काष्ठ उत्पादों का उत्पादन करने में किसी वन की क्षमता में कमी। यद्यपि वन क्षेत्र में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यह वन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, प्रजातियों की संख्या में कमी होती है, वृक्ष आवरण में कमी होती है, या वन संरचना का परिवर्तन होता है। (स्रोत: थॉम्पसन, आई. डी., एम. आर. और अन्य, 2013। एन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग एण्ड मोनिटरिंग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इकोलॉजी एण्ड सोसायटी 18(2):20)

### **निर्दिष्ट प्रचालनात्मक इकाई**

एक निर्दिष्ट प्रचालनात्मक इकाई (डीओई) एक स्वतंत्र संपरीक्षक है जो परियोजना प्रस्तावों को विधिमान्य करने या यह सत्यापित करने या यह सत्यापित करने के लिए कि क्या क्रियान्वित परियोजनाओं ने योजनाबद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हासिल की है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यकारी बोर्ड (सीडीएम ईबी) द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। (स्रोत: क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज : <https://cdm.unfccc.int/DOE/index.html>)

## विवाद समाधान

संघर्ष, विवाद या दावे को सुलझाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। विवाद समाधान को वैकल्पिक विवाद समाधान, उपयुक्त विवाद समाधान या संक्षेप में एडीआर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। विवाद समाधान प्रक्रियाएं, न्यायालय (राज्य और संघीय न्यायधीश या न्यायपीठ) द्वारा किसी सुनवाई में विवाद का निर्णय करने या अन्य संस्थान द्वारा किसी मामले या संविदा में निर्णय करने का विकल्प है। विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग परिवार, पड़ोस, रोजगार, व्यवसाय, आवास, व्यक्तिगत चोट, उपभोक्ता और पर्यावरण विवाद सहित किसी भी प्रकार के विवाद को हल करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और निजी नागरिकों को कार्यस्थल, रोजगार और करार के मामलों सहित कई क्षेत्रों में शिकायतों और विवादों को सुलझाने में सहायता करने के लिए विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है। (स्रोत: अमेरिकन बार एसोसिएशन, सेक्शन ऑफ डिसप्यूट रिजोल्यूशन :[www.americanbar.org/groups/dispute\\_resolution/resources/DisputeResolutionProcesses.html](http://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/DisputeResolutionProcesses.html))

## गिरे हुए काष्ठ मलबे

मृत पेड़ और उसके कुछ हिस्से जो वन की जमीन या नदी के तल पर गिरे हैं।

## पारिस्थितिकी - विकास

विकास जो पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संधारणीय है। इसमें वन निर्भर आजीविका को कम कर संधारणीय स्तर पर लाने के लिए और संरक्षित क्षेत्रों के संसाधनों की सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण संसाधनों का संधारणीय विकास हासिल करने, ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी का विकल्प तैयार करने और अलग अलग व्यक्तियों और परिवारों को रोजगार विकल्प प्रदान करने के लिए ग्रामीणों द्वारा स्वयं ही स्थल

विशिष्ट ग्राम स्तरीय योजना बनाना शामिल है। (स्रोत:मध्य प्रदेश वन विभाग वन्यजीव प्रशाखा की वेबसाइट:

[http://mpforest.org/wildlife/wing%20website%20final1\\_files/Page660.htm](http://mpforest.org/wildlife/wing%20website%20final1_files/Page660.htm))

### पारिस्थितिकीय संतुलन

पारिस्थितिकी संतुलन, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व है। (स्रोत: ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कॉपरेशन एण्ड डेवलपमेंट्स ग्लोसरी ऑफ स्टेटिस्टिकल टर्मस)

### पारिस्थितिकी समुदाय

किसी विशिष्ट समय में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों का वास्तविक रूप से या संभावित रूप से सहभागिता करने वाला एक संघ या समूह। (स्रोत: यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन्स कोर्स टाइटल्ड-ग्लोबल चेंज: साइंस ऑफ ससटेनेबिलिटी [http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/ecol\\_com/ecol\\_com.html](http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/ecol_com/ecol_com.html))

### पारिस्थितिकीय परिस्थितियां

पारिस्थितिक प्रणालियों की अवस्था जिसमें उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं और उन्हें जोड़ने वाली प्रक्रियाएं और अंतःक्रिया शामिल हैं। (स्रोत: यूनाइटेड स्टेट्स इनवायरलमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसिज रिपोर्ट ऑन द इनवायरमेंट : <https://cfpub.epa.gov/roe/chapter/eco/index.cfm>)

### पारिस्थितिक सेहत

एक ओर जैविक और सामाजिक संगठन का अनुरक्षण करने की क्षमता, और दूसरी ओर तर्कसंगत और संधारणीय मानव लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता।

(स्रोत: <http://www.eolss.net/sample-chapters/c09/e6-70-08-06.pdf>)

### पारिस्थितिकीय प्रक्षेत्र

व्यापक परंतु अपेक्षाकृत सजातीय प्राकृतिक वनस्पति संरचनाओं का एक प्रक्षेत्र या क्षेत्र, जो मुखाकृति में समरूप (जरूरी नहीं कि वे समान हों) हैं। (स्रोत: ग्लोबल इकोलॉजिकल जोन्स फॉर एफएओ फोरेस्ट रिपोर्टिंग : <http://www.fao.org/docrep/017/ap861e/ap861e00.pdf>)

### पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाएं

पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं में अपघटन, उत्पादन [संयंत्र पदार्थ का], पोषक चक्रण, और पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह शामिल हैं। (स्रोत: मिलेनियम इकोसिस्टम आकलन शब्दावली)

### पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं

अलग अलग व्यक्तियों या समग्र रूप से समाज के लिए मौद्रिक या गैर-मौद्रिक मूल्य वाली पारिस्थितिक प्रक्रिया या प्रकार्य। (स्रोत: आईपीसीसी, 2014: अनुलग्नक II: शब्दावली)

मुख्य रूप से चार प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं हैं:

- क) सांस्कृतिक सेवाएं
- ख) प्रावधान सेवाएँ
- ग) विनियमन सेवाएं
- घ) सहायक सेवाएँ

सांस्कृतिक सेवाएँ वे अभौतिक हितलाभ हैं जिसे लोग, सांस्कृतिक विविधता, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य, ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक विरासत मूल्य, मनोरंजन और पारिस्थिति-पर्यटन आदि सहित आध्यात्मिक समृद्धि, संज्ञानात्मक विकास, चिंतन, मनोरंजन और सौंदर्य अनुभवों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त करते हैं।

प्रावधान सेवाओं को पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त सामग्री या ऊर्जा आउटपुट के रूप में वर्णन किया गया है। इनमें भोजन, फाइबर, ईंधन, आनुवंशिक संसाधनों, ताजा पानी और अन्य संसाधन शामिल हैं। (स्रोत : द इकॉनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एण्ड बायोडायवर्सिटी : <http://www.teebweb.org/resources/ecosystem-services/>)

विनियामकीय सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं के विनियमन द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें वायु गुणवत्ता विनियमन, जलवायु विनियमन, जल शुद्धीकरण, परागण, रोग विनियमन, इत्यादि शामिल हैं। (<http://www.teebweb.org/resources/ecosystem-services/>)

सहायक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो सभी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के उत्पादन लिए अनिवार्य हैं।

### **विलुप्तप्राय प्रजातियां**

जब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो किसी वर्गिकी (टैक्सोन) को तब 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब आसन्न भविष्य में वन में उसके विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम होता है। (स्रोत: आईयूसीएन रेड लिस्ट)

### **स्थानिक प्रजातियां**

वे प्रजातियां जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं। कोई प्रजाति पृथ्वी के बड़े या छोटे क्षेत्रों के लिए स्थानिक हो सकती हैं: कुछ एक विशिष्ट महाद्वीप के लिए स्थानिक हैं, कुछ एक महाद्वीप के हिस्से हैं, और अन्य एक ही द्वीप के।

### **पर्यावरणीय स्थिरता**

एक अवस्था जिसमें पर्यावरण पर रखी गई मांग को सभी लोगों को अभी और भविष्य में रहने/जीने की अनुमति देने की इसकी क्षमता को कम किए बिना पूरा किया जा सकता है। , (स्रोत : फाइनेंशियल टाइम्स लक्सिकन : <http://lexicon.ft.com/Term?term=environmental-sistentability>)

### **विदेशज प्रजातियां**

मानव गतिविधियों द्वारा जानबूझकर या दूर्घटनावश प्रसार के परिणामस्वरूप इसके ऐतिहासिक रूप से ज्ञात प्राकृतिक परिसर के बाहर किसी क्षेत्र पायी जाने वाली प्रजातियां।

इसे अन्यदेशीय विदेशी या पुरःस्थापित प्रजातियों, विदेशज प्रजातियों के रूप में भी जाना जाता है (स्रोत: कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ग्लोसरी)

### **एक्स-सीटू संरक्षण**

एक संरक्षण विधि जिसके तहत जर्मप्लाज्म संसाधनों (बीज, पराग, शुक्राणु, व्यष्टि जीव) को उनके मूल पर्यावास या प्राकृतिक पर्यावरण से निकाल लिया जाता है। जैव विविधता के घटकों

को उनके मूल निवास या प्राकृतिक वातावरण के बाहर जीवित रखना। (स्रोत: कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डायवर्सिटी ग्लोसरी)

## फार्म वानिकी

छोटे खंड (कॉम्पैक्ट ब्लॉक) या कृषि भूमि में पेड़ों की खेती और प्रबंधन की प्रथा (स्रोत : आईएसएफआर 2015)

वन

क) पारिस्थितिक परिभाषा

समष्टि पारिस्थितिक प्रणाली जिसमें पेड़ प्रमुख जीव रूप होते हैं।

ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित

“शब्द, वन” को शब्दकोश में इसके अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इस विवरण में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 (i) के प्रयोजन से आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा निर्दिष्ट हों। धारा 2 में आने वाले “वन भूमि” शब्द में न केवल “वन” शामिल होगा “जैसा कि शब्दकोषीय अर्थ में समझा जाता है, अपितु वैसा कोई क्षेत्र जिसमें स्वामित्व के अनपेक्ष सरकार के अभिलेख में वन के रूप में दर्ज कोई क्षेत्र भी शामिल होगा”

ग) संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

10 प्रतिशत से अधिक और 0.5 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में पेड़ शिखर आच्छादन (या समकक्ष भंडारण स्तर) वाली भूमि। पेड़ों को स्वस्थानी में परिपक्वता पर न्यूनतम 5 मीटर तक की न्यूनतम ऊँचाई तक बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इसमें या तो बंद वन संरचनाएं हो सकती हैं, जहां विभिन्न ऊँचाई वाले पेड़ और बड़े हो रहे पेड़ जमीन के एक उच्च अनुपात को आच्छादित करते हैं; या अखंड वनस्पति आच्छादन वाली खुली वन संरचनाएं जिसमें पेड़ शिखर आच्छादन 10 प्रतिशत से अधिक है। वानिकी प्रयोजनों के लिए स्थापित अल्पव्यस्क प्राकृतिक पेड़ और सभी बाग जिन्हें अभी 10 प्रतिशत की शिखर सघनता या 5 मीटर की पेड़ ऊँचाई तक पहुँचना है, वन के तहत आता है, जैसा कि वन क्षेत्र के भाग के रूप में शामिल सामान्य क्षेत्र जिसे मानव मध्यवर्तन के परिणामस्वरूप या प्राकृतिक कारणों से अस्थायी रूप से खाली किया गया है परंतु वापस वन के रूप में तैयार होना प्रत्याशित है।

शब्द वन को इसकी उत्पत्ति के अनुसार आगे और दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है : प्राकृतिक वन और बाग वन।

#### घ) वन क्षेत्र

वन क्षेत्र का अर्थ है, वह क्षेत्र जिसे सरकारी अभिलेखों में "वन" के रूप में दर्ज किया गया है।

#### ड) वन आच्छादन

"वन आच्छादन" शब्द में "स्वामित्व और कानूनी स्थिति के अनपेक्ष 10% से अधिक वृक्ष चंदवा सघनता वाले 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी भूमि" शामिल हैं। (स्रोत: आईएसएफआर, 2013)

#### च) आरक्षित वन

भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र, जिसमें सुरक्षा का संपूर्ण स्तर है। आरक्षित वनों में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, जब तक अनुमति न दी गयी हो।

#### छ) संरक्षित वन

भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित कोई वन क्षेत्र, जिसमें सीमित स्तर की सुरक्षा है। संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति है जब तक निषिद्ध न हो।

#### वन सूची

वन संसाधनों के मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए इसके विभिन्न मापदंडों पर आंकड़ों का एक व्यवस्थित संग्रह, जिसमें अंकीकृत मानचित्र (डिजिटाइज्ड मैप्स) भी शामिल हैं, जो वन की अवस्थिति और प्रकृति (पेड़ के आकार, उसकी आयु, उसकी मात्रा और प्रजातियों की संरचना सहित) का वर्णन करता है और साथ ही साथ अन्य वन मूल्यों जैसे मृदा, वनस्पतियों और वन्य जीव विशिष्टताओं का भी वर्णन करता है।

#### वनवासी (वन आश्रित समुदाय)

अनुसूचित जनजाति और पशुचारणिक समुदायों के सदस्य या समुदाय जो मुख्य रूप से वन में निवास करते हैं और जीविका की जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर आश्रित हैं। इसके अलावा "अन्य पारंपरिक वनवासी" भी हैं जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व अपनी जीविका की जरूरतों के लिए तीन से अधिक पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं। (स्रोत: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006)

### **वन प्रबंधन**

वन संसाधनों के प्रचालनगत प्रबंधन और समग्र प्रशासनिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं और आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं, विशेष रूप से वनवर्धन, संरक्षण और वन विनियमन से संबंधित वानिकी की शाखा। (स्रोत: भोपाल इंडिया प्रोसेस ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

### **वन प्रबंधन उद्यम (एफएमई)**

कोई व्यक्ति या संगठन जो किसी वन क्षेत्र में प्रचालन की प्रबंधन आयोजना और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई व्यक्ति या संगठन जिसके पास वन क्षेत्र पर पंजीकृत संपत्ति अधिकार है (स्रोत: अनुलग्नक 1, नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स टर्मस एण्ड डिफिनिशन; 27 अक्टूबर 2006)

कोई संगठन, कोई कंपनी या वन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रचालन। (स्रोत: एफएससी-एसटीडी-20-012 वी1-1; तकनीकी शब्दों की एफएससी शब्दावली)

### **वन प्रबंधन इकाई (एफएमयू)**

कोई एक स्थानिक क्षेत्र या कई स्थानिक क्षेत्र जिसे/जिन्हें स्पष्ट दीर्घकालिक प्रबंधन उद्देश्यों के सेट, जो एक प्रबंधन योजना में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हैं, के लिए प्रबंधित स्पष्ट रूप से निर्धारित परिसीमाओं के साथ प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया गया है / किए गए हैं। इस क्षेत्र या इन क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क) प्रबंधन उद्देश्यों में योगदान देने के प्रयोजन से इस स्थानिक क्षेत्र या विधिक अधिकार या संगठन द्वारा या उसकी ओर से प्रचालित क्षेत्र के अंदर या सटी हुई सभी सुविधाएं और क्षेत्र; और

ख) इस स्थानिक क्षेत्र से बाहर, और जो सटी हुई नहीं हैं, सभी सुविधाएं और इसके अंदर के सभी क्षेत्र जो प्रबंधन उद्देश्यों में योगदान देने के एकमात्र प्रयोजन से इस संगठन द्वारा प्रचालित है। (स्रोत: एफएससी - एटीडी - 01-001 वी5-2; एफएससी शब्दावली शब्द)

मुख्य रूप से वन द्वारा आच्छादित, स्पष्ट उद्देश्यों के एक सेट और ए दीर्घकालक वन प्रबंधन योजना के अनुसार प्रबंधित एक स्पष्ट रूप से सीमांकित भूमि क्षेत्र। किसी वन प्रबंधन इकाई में कई सौ हैक्टेयर से उसके अंश तक शामिल हो सकते हैं। वन प्रबंधन इकाई के संपूर्ण क्षेत्र को स्पष्ट रूप से जमीन पर सीमांकित करना होगा और सामान्यतया एक मानचित्र पर भी। जिन व्यापक उद्देश्यों के तहत संपूर्ण प्रबंधन इकाई को संचालित किया जाता है, उप-इकाइयों का प्रबंधन अलग और अलग प्रबंधन व्यवस्था के तहत किया जा सकता है। (स्रोत: भोपाल इंडिया प्रोसेस ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

### **वन पुनःस्थापन**

वन पुनःस्थापन का उद्देश्य एक विकृत वन को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करना है - अर्थात्, मूल रूप से वन की प्रकल्पित संरचना, उत्पादकता और प्रजातियों की विविधता को फिर से स्थापित करना। (स्रोत: एफएओ)

### **स्वेच्छा से, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी)**

यह सिद्धांत कि किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति देने या वापस लेने का अधिकार है जो उस भूमि को प्रभावित कर सकते हैं जिसके वे स्वामी हैं, जिनका उस पर कब्जा है या जिनके अन्यथा उपयोग में है। (स्रोत: शब्दावली। 'प्लान विवो स्टैंडर्ड 2012 ड्राफ्ट फॉर कंसल्टेशन' 2012)

स्वेच्छा से का तात्पर्य यह है कि कोई जोर-जबरदस्ती, धमकी या हेरफेर नहीं है।

पूर्व का तात्पर्य है कि सहमति कोई भी प्राधिकार जारी करने या गतिविधियों के शुरू होने से पर्याप्त रूप से पहले मांगी जानी है और मूल निवासी परामर्श / सर्वसम्मत प्रक्रियाओं की समय आवश्यकताओं के प्रति सम्मान दिखाया गया है।

सूचित का तात्पर्य है कि प्रदत्त सूचना विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है, जिसमें किसी प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि की प्रकृति, आकार, गति, उत्क्रमण और पूर्वावस्था में लाने की गुंजाइश; परियोजना का उद्देश्य और साथ ही इसकी अवधि; अवस्थिति और प्रभावित क्षेत्र;

संभावित जोखिमों सहित संभावित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन; परियोजना के निष्पादन में शामिल संभावित कर्मों; और परियोजनाओं में शामिल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस प्रक्रिया में सहमति को वापस लेने का विकल्प शामिल हो सकता है। परामर्श और भागीदारी एक सहमति प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं। (स्रोत : इंडिजेनेस पीपल्स एण्ड माइनरिटीज सेक्शन, ऑफि ऑफ द हाई कमिशनर फॉर ह्यूमेन राइट्स रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी एण्ड नन-डिस्क्रिमिनेशन ब्रांच : <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/FreePriorandInformedConsent.pdf>)

### **आनुवंशिक विविधता**

किसी आबादी, किसी प्रजाति, किसी संयोजन, या किसी समुदाय के अलग अलग व्यक्तियों/जीवों के बीच आनुवंशिक सामग्री की मात्रा में भिन्नता। (स्रोत: यूनाइटेड नेशन्स, 1992)

### **आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव**

कोई जीव जिसमें आनुवंशिक सामग्री को इस तरह से बदल दिया गया है जो स्वाभाविक रूप से संभोग और / या प्राकृतिक पुनर्संयोजन द्वारा नहीं होता है। (स्रोत: जीएमओ (जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म) संबंधी एफएससी-पीओएल-30-602 एफएससी व्याख्या पर आधारित)।

### **बढ़ते हुए पेड़ धानी (स्टैंड)**

किसी वन क्षेत्र या काष्ठ निहित भूमि के किसी वन धानी (स्टैंड) में खड़े पेड़ों की संख्या/मात्रा, जिसका व्यास आवक्ष ऊंचाई (डीबीएच) पर एक निश्चित व्यास से अधिक है। इसमें जमीन स्तर से तना की लंबाई या किसी दिए गए शीर्ष व्यास तक खूंट की ऊंचाई शामिल है, और इसमें छाल के साथ-साथ एक निश्चित व्यास से ऊपर की शाखाएं भी शामिल हो सकती हैं।

### **पर्यावास / वास**

वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है और / या उस वातावरण की परिस्थितियाँ जिनमें मिट्टी, वनस्पति, पानी और भोजन शामिल हैं।

### **वन की सेहत**

वन की स्थिति जो नुकसान के लिए स्वाभाविक रूप से लचीला है; जैव विविधता जिसकी विशेषता है, इसमें काष्ठ, मछली, वन्य जीवन और मनुष्यों के लिए सतत् निवास स्थान शामिल

है, और यह वर्तमान और भविष्य के संसाधन प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करता है। (स्रोत: भोपाल इंडिया प्रोसेस ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

### उच्च संरक्षण मूल्य वन (एचसीवीएफ)

सभी वनों के पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्य होते हैं, जैसे कि वन्यजीव पर्यावास, जल-संभर संरक्षण, पुरातात्विक स्थल आदि, जहां इन मूल्यों को उत्कृष्ट महत्व या सूक्ष्म महत्व माना जाता है, वन को उच्च संरक्षण मूल्य वन (एचसीवीएफ) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

(स्रोत: प्रो फ़ोरेस्ट, द हाई कंज़र्वेशन वैल्यू फ़ॉरेस्ट टूलकिट, संस्करण 1, दिसंबर 2003)

निम्नलिखित में से कोई भी मूल्य वाले वन:

एचसीवी 1 - प्रजाति विविधता। स्थानिक प्रजातियों, और दुर्लभ, संकटग्रस्त या विलुप्तप्राय प्रजातियों सहित जैविक विविधता की सघनता, जो वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।

एचसीवी 2 - परिदृश्य स्तर के पारिस्थितिकी तंत्र और मिश्रण। अखंड वन परिदृश्य और बड़े परिदृश्य-स्तर के पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र मिश्रण जो वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, और जिनमें वितरण और विपुलता के प्राकृतिक पैटर्न में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली प्रजातियों के बड़े हिस्से की व्यवहार्य आबादी शामिल है।

एचसीवी 3 - पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावास। दुर्लभ, संकटग्रस्त, या विलुप्तप्राय पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावास या आश्रय स्थान।

एचसीवी 4 - सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। नाजुक परिस्थितियों में बुनियादी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जिनमें जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण और असुरक्षित मिट्टी और ढलानों के कटाव का नियंत्रण शामिल है।

एचसीवी 5 - सामुदाय की जरूरतें। स्थानीय समुदायों या मूल निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं (उदाहरण स्वरूप आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, पानी) को पूरा करने के लिए स्थल और संसाधन बुनियाद, जिनकी पहचान इन समुदायों या मूल निवासियों के साथ जुड़ाव के माध्यम से की जाती है।

एचसीवी 6 - सांस्कृतिक मूल्य। वैश्विक या राष्ट्रीय सांस्कृतिक, पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व और / या स्थानीय समुदायों या मूल निवासियों के साथ सहलग्नता के माध्यम से अभिजात स्थानीय समुदायों या मूल निवासियों की पारंपरिक संस्कृतियों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक या धार्मिक / पवित्र महत्व के स्थल, संसाधन, पर्यावास और परिदृश्य। स्रोत: एफएससी - एसटीडी - 01 - 001 वी5-2 (स्रोत: एफएससी ग्लोसरी ऑफ टर्मस)

### संकेतक/सूचक

एक मात्रात्मक या गुणात्मक मापदंड जिसे किसी मानक के सापेक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। यह निष्पक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से मानक के एक प्रासंगिक तत्व का वर्णन करता है। (स्रोत: पीईएफसी टर्मस् एंड डिफिनिशन)

### स्वदेशी प्रजातियां (इसे देशी प्रजाति, या स्व-प्रतिरक्षी प्रजाति भी कहा जाता है)

एक ऐसी प्रजाति जिसे ऐतिहासिक समयों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली और आत्मनिर्भर आबादी के रूप में देखी गई है। (स्रोत : बर्न कन्वेंशन 1979)

प्रजातियां या जीन प्ररूप जो एक ही क्षेत्र, इलाके या जैव शीर्ष (बायोटोप) में विकसित हुए हैं और स्थापना के समय विशिष्ट प्रमुख पारिस्थितिक स्थितियों के अनुरूप अनुकूलित हुए हैं। (स्रोत : वानिकी नियमों और परिभाषाओं का संकलन, आंतरिक रिपोर्ट संख्या 6, 2002, यूरोपीय वानिकी संस्थान)

### एकीकृत पोषक प्रबंधन

यह मिट्टी, पोषक तत्व, जल, फसल और वनस्पति का प्रबंधन है, जो मृदा उर्वरता, भूमि उत्पादकता में सुधार करने और इसे बनाए रखने और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के उद्देश्य से एक विशेष फसल और खेती प्रणाली के अनुरूप होता है। यह भूमि की क्षीणता को कम करते हुए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, भौतिक, रासायनिक, जैविक और हाइड्रोलॉजिकल गुणों के संबंध में मिट्टी की सेहत को अनुकूलित करने का लक्ष्य रखता है। (स्रोत: फूड एण्ड एग्रिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन : <http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/spi/scpi-home/managing-ecosystems/integrated-plant-nutrient-management/ipnm-what/n/#a>)

### एकीकृत कीट प्रबंधन

एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) एक पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य जैव-कीटनाशकों और पौध जनित कीटनाशकों जैसे नीम संमिश्रणों के उपयोग पर जोर देने के साथ सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक सभी उपलब्ध वैकल्पिक कीट नियंत्रण विधियों और तकनीकों को नियोजित करके कीट आबादी को अर्थक्षम दहलीज के स्तर पर बनाए रखना है। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है जब फसल में कीट आबादी अर्थक्षम सीमा स्तर (ईटीएल) को पार कर जाती है। पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण को कम से कम विघ्न देने पर लक्षित व्यवहार्य और वहनीय उत्तम कृषि प्रथाओं के अंगीकरण के माध्यम से अर्थक्षम दहलीज स्तर के नीचे कीट आबादी का दमन। (स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, एकीकृत कीट प्रबंधन, 08-अक्टूबर -2014)

फसल उत्पादन और संरक्षण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण जो स्वस्थ फसलों को उगाने और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न प्रबंधन रणनीतियों और प्रथाओं को जोड़ती है। आईपीएम कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के विश्लेषण के लिए और कीटों को नियंत्रित करने और उन्हें आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के संबंध में स्वीकार्य स्तर (कार्रवाई सीमा) पर रखने के लिए अपने विभिन्न तत्वों के प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण-आधारित विधि है। (स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन : <http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/spi/scpi-home/managing-ecosystems/ingrgrated-pest-management/en/>)

## परिदृश्य

एक भौगोलिक मिश्रण, जो किसी दिए गए क्षेत्र में भूवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक, मृदा, जलवायु, जैविक और मानव संबंधों के प्रभाव से उत्पन्न पारिस्थितिक तंत्र से बना है (स्रोत: इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ग्लोसरी ऑफ डेफिनिंसेज़)

"परिदृश्य दृष्टिकोण" से कृषि, खनन, और अन्य उत्पादक भूमि का उपयोग पर्यावरण और जैव विविधता के लक्ष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भूमि के आवंटन और प्रबंधन के लिए उपकरण और अवधारणाएं प्रदान करना आशयित है।

## स्थानीय समुदाय

किसी भी आकार का समुदाय जो एफएमयू से सटे हुए हैं, और वे भी जो इतना निकट हैं कि अर्थव्यवस्था या प्रबंधन के पर्यावरणीय मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं या उनकी अर्थव्यवस्था, अधिकार या वातावरण को प्रबंधन गतिविधियों द्वारा या एफएमयू के जैव भौतिक पहलुओं द्वारा काफी प्रभावित किया जाता है। (स्रोत: एफएससी-एसटीडी-01-001 वी5-2, एफएससी शब्दावली के शब्द)

### **प्रबंधन योजना**

आंकड़ों, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों, अभिलेखों और मानचित्रों के आधार पर एक लिखित दस्तावेज, जो किसी भी प्रबंधक, कर्मचारी या संगठन द्वारा एफएमयू के अंदर या उसके संबंध में, निष्पादित की जा रही गतिविधियों, जिसमें लक्ष्यों और नीतियों के कथन भी शामिल हैं, का वर्णन करता है, न्यायोचित ठहराता है और विनियमित करता है। (स्रोत: एफएससी-एसटीडी-01-001 वी5-2, स्रोत: एफएससी शब्दावली के शब्द)

साथ ही,

कार्य योजना, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक लिखित दस्तावेज है जो पिछले प्रबंधन प्रथाओं के प्रभाव का आकलन करते हुए और उपयुक्त प्रबंधन मध्यवर्तनों का निर्णय लेकर और वन संसाधनों का संरक्षण करने और उनका कुशल उपयोग करने के लिए प्रबंधन प्रथाएं विहित करते हुए मौजूदा वन और जैव विविधता, जलवायु, खाद्य और जैव कारकों की स्थिति का वर्णन करता है। यह किसी वन की नीति और कार्रवाई और नियंत्रणकारी उपचार की निरंतरता बनाए रखने पर लक्षित है। (स्रोत: नेशनल वर्किंग प्लान कोड, 2014)

### **प्रभाव का न्यूनीकरण**

प्रभाव की अवधि, प्रबलता और / या सीमा को कम करने के लिए किए गए उपाय (यथा उपयुक्त प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संचयी प्रभावों सहित,) जिन्हें पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव है। (स्रोत: बिज़नेस एंड बायोडायवर्सिटी ऑफ़सेट्स प्रोग्राम (बीबीओपी) ग्लोसरी)

### **मुद्राकरण**

वस्तु या सेवा का मुद्रा में मूल्य निर्धारण।

### **मानीटरिंग और मूल्यांकन**

मॉनिटरिंग को एक सतत कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिणाम हासिल करने में प्रबंधन और मुख्य हितधारकों को प्रगति के शुरुआती संकेतों, या उसकी कमी के साथ चालू मध्यवर्तन उपलब्ध कराना है। एक चालू मध्यवर्तन किसी परिणाम के लिए एक परियोजना, कार्यक्रम या अन्य प्रकार की सहायता हो सकती है। (स्रोत : हैंडबुक ऑन मोनिटरिंग एण्ड इवेलुएटिंग फॉर रिजल्ट्स, यूनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम)

मूल्यांकन एक प्रवृत्त कवायद है जो व्यवस्थित रूप से और उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रगति और परिणाम की उपलब्धि का आकलन करने का प्रयास करता है। मूल्यांकन एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जिसमें एक परिणाम प्राप्त करने के प्रयास के दौरान ज्ञान और सीख का मूल्यांकन करने की उभरती जरूरतों के प्रत्युत्तर में विभिन्न काल बिन्दुओं पर निष्पादित अलग अलग दायरे और गहराई का मूल्यांकन शामिल है। सभी मूल्यांकन - यहां तक कि परियोजना मूल्यांकन जो प्रासंगिकता, प्रदर्शन और अन्य मानदंडों का आकलन करते हैं - को केवल कार्यान्वयन या तत्काल परिणाम के विपरीत परिणामों से जोड़ने की जरूरत है। (स्रोत: हैंडबुक ऑन मोनिटरिंग एण्ड इवेलुएटिंग फॉर रिजल्ट्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)

### **गैर अनुरूपता**

ऐसी स्थिति जिसमें संपरीक्षा साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि प्रचालन एक प्रमाणन मापदंड के साथ अनुपालना में नहीं किए गए हैं। (स्रोत : अनुलग्नक 1, नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट पीईएफसी टर्मस एण्ड डिफिनिशन; 27 अक्टूबर, 2006)

### **गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी भी देखें)**

काष्ठ के अलावा कोई भी उत्पाद जो वनों में पैदा होता है और इसमें फल और मेवे, सब्जियां, मछली और शिकार, औषधीय पौधे, रेजिन, सुगंध और कई प्रकार के छाल और फाइबर जैसे बांस, बेंत और कई अन्य ताड़ और घास शामिल हैं। (स्रोत: सीआईएफओर)

### **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान**

इसमें बिना भुगतान के अन्यथा प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं (या, आमतौर पर, उनके प्रावधान को बढ़ाने के लिए संभावित प्रबंधन गतिविधियों के लिए) के अतिरिक्त गारंटीशुदा प्रवाह के बदले भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधकों को भुगतान की एक श्रृंखला शामिल है। ये

भुगतान प्रश्नगत सेवाओं के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है, उदाहरणार्थ, अलग अलग व्यक्ति, समुदाय, कारोबार घराना या विभिन्न पक्षकारों की ओर से कार्य करते हुए सरकार।

(स्रोत : पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज : ए बेस्ट प्रैक्टिस गाइड, मई 2013, [www.ecosystemassessments.net/resources/payments-for-ecosystem-services-a-best-ultsguide.pdf](http://www.ecosystemassessments.net/resources/payments-for-ecosystem-services-a-best-ultsguide.pdf))

प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशिष्ट प्रथाओं को प्रोत्साहित करने या हतोत्साहित करने के लिए भुगतान या पुरस्कार का उपयोग करते हुए बाजार-आधारित दृष्टिकोण। (स्रोत: आईयूसीएन शब्दावली परिभाषाएँ)

### **बाग / लगाए गए वन**

विदेशी या देशी प्रजातियों के साथ रोपण या बुवाई द्वारा स्थापित एक वन क्षेत्र, अक्सर एक या कुछ प्रजातियों, नियमित दूरी और समान उम्र, और जिसमें प्राकृतिक वनों की प्रमुख विशेषताओं और तत्वों की कमी होती है। (स्रोत: एफएससी-एसटीडी-01-001 वी5-2, ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

वनीकरण या पुनः वनीकरण की प्रक्रिया में रोपण या / और बने के द्वारा स्थापित वन धानी (स्टैंड) (स्टैंड्स) जो या तो पहली बार लगायी गयी प्रजातियों (सभी लगाए गए पेड़) या स्वदेशी प्रजातियों के गहन रूप से प्रबंधित धानी (स्टैंड) हैं, जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं: एक या दो प्रजातियां, समान उम्र के, नियमित दूरी/अंतराल। (स्रोत: भोपाल इंडिया प्रोसेस ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

### **ऐहतियाती दृष्टिकोण**

एक सिद्धांत जो यह कहता है कि पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी को पर्यावासों या प्रजातियों को होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जब गंभीर या अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय अवकर्षण का खतरा हो। (स्रोत: आईयूसीएन ग्लोसरी)

### **संरक्षित क्षेत्र**

संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति का दीर्घकालिक संरक्षण हासिल करने के लिए, कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित, मान्यता प्राप्त, समर्पित और प्रबंधित भौगोलिक स्थान। (स्रोत: आईयूसीएन, 2008)

### **दुर्लभ प्रजाति**

वे प्रजातियां जो असाधारण या दुर्लभ हैं, लेकिन उन्हें संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये प्रजातियाँ भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्रों या विशिष्ट पर्यावासों में अवस्थित हैं, या बड़े पैमाने पर बहुत कम फैले हुए हैं। वे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (2001) के करीब करीब संकटग्रस्त (एनटी) श्रेणी के लगभग समतुल्य है, जिसमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जो निकट भविष्य में एक संकटग्रस्त श्रेणी के अर्हक होने के करीब हैं, या जिनके इसके लिए अर्हक होने की संभावना है। वे जोखिमग्रस्त प्रजातियों के भी लगभग बराबर हैं (स्रोत: आईयूसीएन, (2001)। आईयूसीएन रेड लिस्ट केटेगरीज एण्ड क्रिटेरिया: संस्करण 3.11; एफएससी-एसटीडी-01-001 वी5-2; एफएससी ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

### **पुनरुद्भवन**

प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से बंजर या अवकर्षित भूमि / वन पर वनस्पति की स्थापना या उसे समृद्ध करने का कार्य।

क) कृत्रिम पुनरुद्भवन (एएफ)

बीजों या वानस्पतिक वनीकरण के माध्यम से कृत्रिम तरीकों से वनों की स्थापना या संवर्धन। (स्रोत: <http://www.fao.org/docrep/005/Y4171E/Y4171E39.htm>)

ख) सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुद्भवन (एएनआर)

क्षेत्र में अंतर्निहित रूप से मौजूद मातृ वृक्षों और वन्यजीवों की रक्षा और पोषण करके द्वितीयक वन का पुनरुद्भवन करना। इसका उद्देश्य प्राकृतिक वन पुनरुद्भवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं, जैसे मृदा क्षरण, खर पतवार प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा, और आवृतिक विघ्नों, को हटा कर या कम कर प्राकृतिक अनुक्रमिक प्रक्रिया को तेज करना है, न कि प्रतिस्थापित करना है। (स्रोत: असिसटेड नेचुरल रिजेनरेशन ऑफ फोरेस्ट्स, फूड एण्ड एग्रिकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन : <http://www.fao.org/forestry/anr/en/>)

ग) प्राकृतिक पुनरुद्भवन (एनआर)

किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक बीजारोपण, बीज फैलाव, कॉपिसिंग, चूसन, आदि द्वारा किसी वन का पुनरुद्भवण। (स्रोत: ग्लोसरी ऑफ सेंटर फॉर सस्टेनेबल फोरेस्ट मैनेजमेंट एण्ड फोरेस्ट सर्टिफिकेशन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल)

### **पैमाना, प्रबलता और जोखिम**

पैमाना का तात्पर्य एफएमयू और इसके संचालन और प्रबंधन गतिविधियों जैसे वनवर्धन प्रचालन, सड़क निर्माण आदि का सापेक्ष आकार या उसकी सीमा से है। यह गतिविधियों के देहली स्तरों की पहचान और आकलन में भी मदद करता है।

प्रबलता एफएमयू के अंदर प्रबंधन गतिविधियों के स्तर पर आधारित है। यह पर्यावरणीय, सामाजिक या आर्थिक मूल्यों पर प्रबंधन गतिविधियों के प्रभाव के बल, उसकी गंभीरता या शक्ति की माप है। वन प्रबंधन के संदर्भ में, प्रबलता का आशय स्थल विघ्नकारी गतिविधियां, जैसे कटाई मशीनों, पेड़ों को हटाने, मृदा तैयारी, पौधरोपण, उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग आदि द्वारा कारित विघ्न है।

जोखिम का आशय प्रतिकूल परिणाम या एक अस्वीकार्य प्रतिकूल प्रभाव वाली किसी घटना की संभावना और संभाव्यता से है, जो एफएमयू में किसी भी गतिविधि द्वारा कारित होता है, जिसके परिणामस्वरूप मापदंड स्तर पर गैर-अनुपालना होती है।

(स्रोत: स्केल, इंटेसिटी एंड रिस्क (एसआईआर) गाइडलाइन्स फॉर स्टैंडर्ड डेवलपर्स, एफएससी-जीयूआई-60-002/1-0)

### **ठूठ**

पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़ों, आदि और अन्य जीवों के निवास स्थान के रूप में सेवारत मृत पेड़। (स्रोत : वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचूरल रिसोर्सेज, स्नेग्स, कोअर्स वूड डेब्रिस, विल्ड लाइन, जिम बॉटोफ, डीएनआर स्टिवार्ड विल्डलाइफ बायोलोजिस्ट, 2009)

### **हितधारक**

साझे हित वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का कोई समूह या कोई संगठन, जो किसी संगठन के प्रचालन से सरोकार रखता हो या प्रभावित होता हो। (स्रोत: आईएसओ 14004, पीईएफसी टर्मस एण्ड डिफिनिशंस)

## क) प्रभावित हितधारक

कोई व्यक्ति, समूह या कोई संगठन जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रबंधन इकाई की गतिविधियों में रुचि हो, या उससे सरोकार रखता हो या उससे प्रभावित होता हो। प्रभावित हितधारकों के विभिन्न उदाहरण हैं, जिसमें स्थानीय पड़ोस, श्रमिक, समूह या प्रबंधन इकाई से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं परंतु उन तक सीमित नहीं हैं।

प्रभावित हितधारकों के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं -

स्थानीय समुदाय, वनवासी और आदिवासी, श्रमिक, वनवासी, पड़ोसी, डाउनस्ट्रीम भूस्वामीगण, स्थानीय संसाधक, स्थानीय व्यवसायी, किरायेदार और भू-धृति और उपयोग अधिकार धारक, जिसमें भू-स्वामी, प्रभावित हितधारकों की ओर से कार्य करने वाले प्राधिकृत या ज्ञात संगठन शामिल हैं, उदाहरणार्थ सामाजिक और पर्यावरणीय एनजीओ, श्रमिक संघ। (स्रोत: एफएससी-एसटीडी-01-001 वी5-0)।

## ख) इच्छुक हितधारक

कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या कोई संगठन; जिसने संगठन की गतिविधियों में अभिरुचि दर्शायी है, या जिसकी अभिरुचि ज्ञातव्य है। (स्रोत: एफएससी-एसटीडी-01-001 वी5-2, एफएससी ग्लोसरी ऑफ टेकनिकल टर्मस)

## हितधारक परामर्श

यह हितधारकों और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता के बीच एक संवाद है। (स्रोत: स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट: ए गुड प्रैक्टिस हैंडबुक फॉर कंपनीज ड्रिंग बिजनेस इन इमर्जिंग मार्केट्स, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन)

## हितधारक सहलग्नता

किसी संगठन द्वारा स्वीकृत परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों को संलग्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया। (स्रोत: एए1000 स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 2011)

## हितधारक पहचान

संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 21 सहित, परंतु इस तक सीमित नहीं, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले परियोजना हितधारकों की पहचान करना और सूची बनाना।

### हितधारक चित्रण

मानक निर्धारण प्रक्रिया के लिए पहले से अभिज्ञात और अभिरूचि रखने वाले हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य।

हितधारक चित्रण कार्य में हितधारकों के प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करना, प्रत्येक क्षेत्र के मुद्दे और उन तक पहुँचने के लिए संचार के सर्वोत्तम साधन।

संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 21 में वर्णित प्रमुख हितधारक समूह इस प्रकार हैं :

कारोबार और उद्योग, गैर सरकारी संगठन, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय, किसान और छोटे वन भूमि-स्वामी और ट्रेड यूनियन, स्थानीय प्राधिकारी, मूल निवासी, बालिकाएं और युवा।

(स्रोत : स्टैकहोल्डर मैपिंग - <https://www.developingstandards.org/system-development/standard-setting-process/stakeholder-mapping>)

### सतत वन प्रबंधन

वनों के अंतर्निहित मूल्यों और भावी उत्पादकता में किसी अनुचित कमी के बिना और भौतिक और सामाजिक परिवेश पर अवांछनीय प्रभावों के बिना वांछित वन उत्पादों और सेवाओं के निरंतर प्रवाह के उत्पादन के संबंध में प्रबंधन के एक या अधिक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वन प्रबंधन की प्रक्रिया। (स्रोत: सतत वन प्रबंधन और वन प्रमाणन केंद्र, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल)

### सतत उपयोग

जैविक विविधता के घटकों का इस तरह से और ऐसी दरों पर उपयोग करना जो जैविक विविधता के दीर्घकालिक पतन का कारण न बने, और जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता बनी रहे (स्रोत: जैविक विविधता अधिनियम 2002)

### भू-धृति के दावे (भू-धृति अधिकार)

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा भूमि और / या प्राकृतिक संसाधनों के भू-धृति पर किए गए कानूनी दावे। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रासंगिक वर्गों का संदर्भ ग्रहण करें।

### संकटग्रस्त प्रजातियाँ

गंभीर रूप से विलुप्तप्राय, विलुप्तप्राय या असुरक्षित के रूप में आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज़ द्वारा वर्गीकृत किसी भी प्रजाति के लिए एक छत्रक शब्द। (स्रोत: आईसीयूएन, 2012)

कोई भी प्रजाति जो भविष्य में अपनी सीमा के सभी या कुछ हिस्सों के भीतर विलुप्त होने की कगार पर हैं और जिसके अस्तित्व में संख्यात्मक गिरावट या पर्यावास गिरावट के कारण बने हुए हैं। (स्रोत: विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र प्रोटोकॉल, 1997)

### वनों के बाहर के पेड़

क) भारत

“दर्ज वन क्षेत्रों के बाहर उगने वाले सभी पेड़” को वनों के बाहर के पेड़ों के रूप में परिभाषित किया गया है। दर्ज वन क्षेत्र का अर्थ है "आरक्षित", "संरक्षित 'या' अवर्गीकृत वन'। कृषि भूमि, कृषि वानिकी में निजी भूमि में उगने वाले पेड़, खेत की मेड़ और घरों के साथ, और बागों और बगीचों और बगीचों में आम और सरकारी गैर-वन भूमि में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, नहरों और रेलवे लाइन के साथ उग रहे पेड़ टीओएफ गठित करते हैं। वनों के बाहर के पेड़ ब्लॉक, रैखिक और बिखरे हुए क्षेत्र के रूप में उगे हुए हो सकते हैं।

ख) एफएओ

0.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों के पेड़, जहाँ धानी (स्टैंड) स्तर 5 प्रतिशत से कम है यथा स्थिति 5 मीटर तक की ऊँचाई तक बढ़ने में सक्षम पेड़ या जहाँ धानी (स्टैंड) स्तर 20 प्रतिशत से कम है, परिपक्वता पर यथा स्थिति 5 मीटर की ऊँचाई तक नहीं बढ़ सकने की क्षमता वाले पेड़; स्थायी पेड़ फसल में बिखरे हुए पेड़ जैसे फलदार पेड़ और नारियल के पेड़; पार्कों और बगीचों, भवनों के चारों ओर और गलियों के किनारे के पेड़, सड़कों, रेलवे, नदियों, सोतों और नहरों के साथ लगे पेड़; 20 मीटर से कम चौड़ाई और 0.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के आश्रय के पेड़ सहित वनों और अन्य पेड़ों वाली भूमियों के रूप में अपरिभाषित भूमि पर खड़े पेड़"। "

### भोगाधिकार/फलोपभोग

वन उपज जो प्राकृतिक प्रक्रिया से निकलती है जैसे कि गिरी हुई शाखाएं, पत्तियां, फल, और जिनकी फसल वन संसाधनों की उपयुक्तता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

### वनों की जीवनक्षमता

कारकों का एक व्यापक समूह जो वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की संरचना या कार्य को प्रभावित करता है। इन कारकों को आम तौर पर प्राकृतिक या विदेशज बायोटिक एजेंटों, अजैविक तनावकारक और मानवजनित उत्सर्जन और वनों के हेरफेर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पुनरुद्भवन अवस्था का आकलन करने में मदद करने वाले कारक, दावानल से प्रभावित क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त क्षेत्र, चराई से संरक्षित क्षेत्र, छंटाई प्रथा, वनों में तेजी से बढ़ने वाले खरपतवार प्रजातियों से प्रभावित क्षेत्र, कीटों और बीमारियों की घटनाएं, वन अवकर्षण और इसके कारक;

### **वन्यजीव पुनःप्राप्ति योजना**

वन्यजीव आबादी के बड़े पैमाने पर या स्थानीयकृत पुनर्वास के लिए संरक्षण उन्मुख परियोजनाओं में आमतौर पर पर्यावास संरक्षण, यथा स्थिति और वाह्य स्थाने प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियों के एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण शामिल होते हैं।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

- भोपाल इंडिया प्रोसेस
- यूनाईटेड नेशन्स फोरम ऑन फोरेस्ट्स
- आइटीटीओ पिसपल्स एण्ड गाइडलाइन्स फॉर द ससटेनेबल फोरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल ट्रॉपिकल फोरेस्ट्स
- एमटीसीसी क्रिटेरिया एण्ड इंडिकेटर्स फॉर फोरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेसन्स
- एसएफआई ससटेनेब्लिटी फोरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड
- एफएससी इंटरनेशनल जेनरिक इंडिकेटर्स एफएससी - एसटीडी - 60 - 004 वी 1 - 0 ईएन
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हाइ कंजर्वेशन वैल्यू टूलकिट एडिशन 1 (दिसंबर 2003)